राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11 विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस संख्या 1

बुधवार,

दिनांक 10 नवम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

शोक प्रस्ताव को प्राथमिकता देने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में शोक प्रस्ताव नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि सदन की परम्परा के अनुसार, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि शोक प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाय और प्रश्नों को बाद में रखा जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं सदन की परम्परा के विपरीत एक चीज होगी। मैं मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह ख्याल है···

श्री भवणलाल (हिन्डोन) : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर···

श्री अध्यक्ष : No point of order. There is alread one point of order.

ववेश्चन आवर के बाद, यह परम्परा रही है, शोक प्रस्ताव लिये जाते रहे हैं- यदि मैं सही हूं, इसलिए परम्परा के माफिक तो यह ठीक ही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव शोक प्रस्ताव है। कई एक शोक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष सर्वप्रथम आये हैं और सर्वप्रथम आने चाहिये। मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आप रिजेक्ट करें या मंजूर करें-यह आपके अधिकार की बात है। मैं सदन की परम्पराओं को मद्देनजर रखते हुए इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सैद्धान्तिक, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आदर के साथ यह निवेदन करूं, मुझे विशेष इस पर निवेदन नहीं करना है। यदि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का निधन होता है तो सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। आज जो इस सदन के एक सम्माननीय सदस्य का देहान्त हुआ है- उनके लिए शोक प्रस्ताव को भी प्रश्नोत्तर काल के बाद रखा जाना-मेरे ख्याल से तो यह व्यवस्था का प्रश्न अवश्य है। मुझे विशेष इस बारे में और कुछ निवेदन नहीं करना है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ अपोजीशन पार्टी ने जो सुझाव रखा है, मैं तो उस सुझाव को ठीक समझता हूं। शोक प्रस्ताव कहीं

Page No.2

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हो, शोक प्रस्ताव पहले आता है। परम्परा यदि प्रश्नों के बाद लेने की ही है तो उस परम्परा को छोड़ कर इसे पहले लेना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: Thank you

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक याद पड़ता है, अब तक जितने शोक प्रस्ताव रखे गये है वह क्वेश्चन आवर के बाद रखे गये हैं। क्वेशचन आवर के बाद बिजनेस शुरू होता हैं। माननीय सदस्य को याद हो, लेकिन मुझे याद नहीं पडता है कि क्वेश्चन आवर के पहले कभी शोक प्रस्ताव रखा गया हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से जो कुछ भी उत्तर दिया गया उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं निवेदन करूंगा जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू आदि का निधन जब हुआ तो शोक प्रस्ताव सर्वप्रथम आया। पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह होना चाहिए, यही ठीक है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिये। कृपा कर इसे पहले रख लें तो अच्छा है। जो शोक प्रस्ताव है, उसके बारे में कह दें।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कहा, उसकी पुष्टि कांग्रेस के माननीय सदस्य ने की। लेकिन मैं इस सदन की परम्परा और रूल्स को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जैसी सम्मति हो, उसको लेऊंगा।

"Unless the Speaker otherwise directs, the relative precedence of the business before the House shall be in the following order:---

(i) Oath,
(ii) Questions,
(iii) Obituary references,"

चूंकि यह शोक प्रस्ताव है और इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया गया है इसलिए शोक प्रस्ताव के संदर्भ में कोई परम्परा का होने या नहीं होने के प्रश्न को मैं नहीं लेना चाहता। इस शोक प्रस्ताव के बाद में क्वेश्चन आवर रख दूंगा। इसलिए मैं शोक प्रस्ताव को पहले ले लेता हूं।

महारावल श्रीलक्ष्मण सिंह: very good

स्वर्गीय श्री देवीलाल बुरासिया एवं ठा. श्री रघुवीर सिंह बिसाऊ के निधन पर शोक–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख है कि वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री देवी लाल बुरासिया का दिनांक 24 जुलाई, 1971 एवं भूतपूर्व सदस्य मेजर ठा. श्री रघुवीर सिंह बिसाऊ का दिनांक 21 सितम्बर, 1971 को देहान्त हो गया है।

Page No.3

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवीलाल बुरासिया चतुर्थ विधान सभा के लिये अजमेर जिले के केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र की सुरक्षित सीट से निर्वाचित हुए थे

स्वर्गीय श्री बुरासिया आरम्भ से ही समाज सेवा में प्रयत्नशील थे। वे केकड़ी नगरपालिका तथा भवन निर्माण कमेटी, केकड़ी के सदस्य एवं खटीक सभा केकड़ी के मंत्री रहे।

स्वर्गीय श्री बुरासिया राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति व राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री रघुवीर सिंह बिसाऊ प्रथम एवं तृतीय विधान सभा के सदस्य थे एवं चतुर्थ विधान सभा के लिये भी वे स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुये थे। उन्होंने अस्वस्थता के कारण 8 फरवरी, 1969 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था।

स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह झुंझुनू जिला स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अब माननीय सदस्य इस पर कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री देवीलाल बुरासिया का देहावसान हो गया। जैसा कि अभी आपने फर्माया, श्री देवीलाल बुरासिया इस सदन के एक सक्रिय सदस्य थे और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसी प्रकार मेजर ठाकुर श्री रघुवीर सिंह भी इस सदन के सदस्य रहे हैं। वह काफी सक्रिय थे और अपने क्षेत्र के अन्दर काफी प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। लम्बे अर्से से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। यह दुःख का विषय है, उनका देहावसान हो गया। मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री देवीलालजी बुरासिया स्वतंत्र दल के सम्माननीय सदस्य थे। उनके आकस्मिक निधन से हमारे दल को क्षति पहुंची है। श्री देवीलालजी बुरासिया अजमेर जिले के विधायकों में स्वतंत्र दल के तीसरे विधायक थे जिनका आकस्मिक निधन हुआ। प्रथम श्री विजयसिंह रावत नसीराबाद से चुन कर आये थे। बाद में श्री सुमेरसिंहजी, महाराजा किशनगढ़, जो किशनगढ़ से चुन कर आये थे। अब श्री देवीलालजी बुरासिया का निधन हुआ। श्री देवीलाल बुरासिया ने इस विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विविध प्रकार के प्रश्न पूछ कर अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर

Page No.4

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रकाश डाला। वह एक निष्ठावान विधायक थे। जब इस देश के अन्दर दल बदलुओं की निम्नस्तरीय राजनीति विधायक अपना रहे थे तब उन्होंने सिद्धान्त और निष्ठा को नहीं छोड़ा और आखिर तक स्वतंत्र दल का उन्होंने साथ दिया।

मैं अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ठाकुर श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ सन् 1952 से लेकर सन् 1957 तक और बाद में सन् 62 से 69 तक इस सदन के सम्माननीय सदस्य रहे। वे भूतपूर्व जयपुर राज्य के प्रमुख सरदारों में से थे। वे बहुत ही लोकप्रिय थे और उन्होंने विधान सभा से त्याग-पत्र देकर एक असाधारण कदम उठाया था। वे बहुत ही भले व्यक्ति थे। मैं उनको अपनी और अपने दल की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के सथ से मैं इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री देवीलाल बुरासिया और श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ को मेरी ओर से तथा मेरे दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों को उनके विछोह के दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री हरीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री देवीलाल बुरासिया और स्वर्गीय ठाकुर श्री रघुवीर सिंह बिसाऊ को मेरी तरफ से तथा मेरे दल के सदस्यों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें व दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब श्री देवीलाल बुरासिया के स्वर्गवास होने की खबर सुनी तो मुझे बहुत ही पीड़ा हुई। वे अपनी जाति और अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय थे और उन्होंने शराबबन्दी के लिये काफी कार्य किया। अपनी जाति और क्षेत्र में शराब के फैले हुए रोग से कई परिवारों को बचाया। वे बड़े सज्जन और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके परिवार के सदस्यों को इस दुख के सहने की शक्ति प्रदान करें।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, श्री रघुवीरसिंहजी बिसाऊ के देहान्त का मुझे अति दुःख है। ठाकुर रघुवीरसिंहजी बिसाऊ के निकट रहने का मौका मुझे यहां मिला था, वे बहुत ही सरल स्वभाव के बड़े सज्जन व्यक्ति थे। राज्य द्वारा फैलाये गये रोग से उनका लीवर बढ़ गया था और अन्त में वह रोग उन्हें ले बैठा। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह

Page No.5

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे व उनके परिवार वालों को हिम्मत दे ताकि वे इस दुख को सहन कर सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री देवीलाल बुरासिया और ठाकुर श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि वे सभी खड़े हों और दो मिनट मौन रख कर दिवंगत आत्माओं की चिरशान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर स्वर्गीय श्री देवीलाल बुरासिया और ठाकुर श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ की आत्माओं के लिए प्रार्थना की)

स्थान ग्रहण करें। प्रश्न। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

विधान सभा के सदस्यतर व्यक्ति के मंत्री—रूप में सदन में बैठने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, पहले एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने हाउस के अन्दर एक अपरिचित व्यक्ति को बैठे हुए देख रहा हूं जो कि न केवल सदन में ही बैठा हुआ है अपितु वह ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठा हुआ है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मन्त्रिमंडल के सदस्य हैं। हमें पता नहीं कि ये कहां से आये हैं, किस प्रकार आये, किस स्थान से चुन कर आये हैं। यदि यह कहीं से चुन कर आये हैं तो इन्हें इस सदन के सदस्य होने के नाते शपथ ग्रहण करनी चाहिये थी। पर इन्होंने कोई शपथ ग्रहण नहीं की है—ऐसा हमें प्रतीत होता है और फिर भी ट्रेजरी बैन्चेज में बैठे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, वह क्वेश्चन आवर के बाद में उठाया जाता है।

श्री श्रवणलाल : अपरिचित व्यक्ति हैं इसलिये जरूरी है?

श्री अध्यक्ष : इसे मैं बाद में ले लूंगा। श्री श्रवणलाल जी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर क्वेश्चन आवर में इन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था के प्रश्न को अभी ले लिया जाय और निर्णय दिया जाय।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आपको जानकारी कैसे नहीं है? आपको जानकारी है इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जवाब देने के पहले इनको शपथ लेना जरूरी है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। इसको बाद में ले लूंगा।

श्री नरोत्तमसिंह : यह तो जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य किस प्रकार आये

(श्री भैरोंसिंह)
हैं पर यह पता है कि यह मिनिस्टर हैं। लेकिन यह पता तो पड़ जाय कि ये किस प्रकार आये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कौनसा व्यवस्था का प्रश्न है, जिसका निराकरण करना जरूरी है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं और मिनिस्टर होने के नाते उन प्रश्नों का जवाब देना उनके लिए जरूरी है, तो सारी स्थिति तो सदन के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसका स्पष्टीकरण चाहिये। यही है जिस पर व्यवस्था की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : कर दूंगा।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय· · ·

श्री अध्यक्ष : कुछ सही नहीं है। ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि हमारे कान्स्टीट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिये मिनिस्टर बना सकते हैं और उसे फिर 6 माह के भीतर भीतर इलेक्शन लड़ कर जीतना जरूरी है और अगर वह 6 माह में इलेक्शन लड़ कर जीत जाये तो मिनिस्टर रह जायेगा वरना अगर वह हार जाता है तो फिर मिनिस्टर नहीं रह सकता है। ऐसा हमारे संविधान में प्रोविजन है इसलिये श्री ओंकारलाल को मिनिस्टर बनने का अधिकार है जैसा कि हमारे कान्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है। इन्हें उसके अनुसार जवाब देने का पूरा हक है मिनिस्टर की हैसियत से पर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किन्तु इन्हें विधान सभा में शपथ तो ग्रहण करना चाहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां। वह शपथ ग्रहण नहीं करेंगे इनके लिए जरूरी नहीं है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। मैं सभी बतला दूंगा। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह तो जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है, कान्स्टीट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति 6 माह के लिए मन्त्री पद पर की जा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को भी नियुक्त किया जाता है वह किसी असाधारण परिस्थितियों में नियुक्त करना होता है। मैं नहीं समझता, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी कि जिसके लिये इनकी नियुक्ति होना जरूरी हो गया। न, अध्यक्ष महोदय, ऐसी असाधारण घटना हुई कि जिससे इनका लेना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार तो, अध्यक्ष महोदय, ये जिसको चाहेंगे उसको मन्त्री पद पर नियुक्त कर देंगे। यह तो कोई बात ठीक नहीं हुई है। अगर ऐसा करते तो हमारे हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मन्त्री ले लिये गये होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इनको

(श्री दौलतराम सारण)

मन्त्रिमण्डल में क्यों लिया गया ? न तो इनका कोई व्यक्तित्व है और न आज तक इनके द्वारा कोई सार्वजनिक और राजनैतिक कार्य ही जनता के हित के लिये किया गया है। ये तो इस तरह से ऊपर से थोपे गये हैं इस सदन पर जो कि अवान्छनीय हैं और खास तौर से इस सदन के उन माननीय सदस्यों के लिये बड़ा खेद का विषय है जो कि कांग्रेस के दल में हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। इस सदन के कांग्रेसी सदस्यों के लिये ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया है और उन पर अविश्वास करके इन्हें मिनिस्टर बनाया गया है। इससे इस सदन के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों के दिल पर आघात लगता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह संवैधानिक है। संविधान में ऐसा है।

श्री दौलतराम सारण : दूसरी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि आपकी सूचना में तो है कि उनको मन्त्री–मण्डल की सदस्यता की शपथ दिलायी तो यहां पर भी उन्हें शपथ दिलाने में क्या एतराज है ? उनकी मुख्य मन्त्रीजी ने नियुक्त की है तो उन्हें शपथ भी दिला दें तो क्या है इससे वो अपने विभाग का सही प्रतिनिधित्व ही कर सकेंगे···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन।

श्री अध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, विरोधी पक्ष के नेता!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने जो यह उत्तर दिया कि श्री औंकारलालजी को मन्त्री पद के लिये नियुक्ति सही संवैधानिक दृष्टि से है वह तो सर्वथा उचित है। मैं इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता हूँ। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह संसदीय परम्पराओं और नैतिकता की दृष्टि से मैं इसे उचित नहीं समझता। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मन्त्रीजी से यह कहने की चेष्टा करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, यह चतुर्थ विधान सभा का आखिरी सत्र है और इस तरह से चतुर्थ विधान सभा के आखिरी सत्र में इस प्रकार एक मन्त्री को लिया जाता है जो कि इस सदन का माननीय सदस्य नहीं और जिसकी नियुक्त 6 माह के लिये ही हुई है क्योंकि 6 माह के अन्दर मन्त्री पद पर ऐसे किसी व्यक्ति को लिये जाने से उसे विधान सभा का इलेक्शन लड़ कर, जीत कर आना पड़ता है। अगर यह भी इलेक्शन लड़ कर जीत कर यहां इस सदन में आकर बैठते तो उचित था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह परम्परा उचित नहीं है। चतुर्थ विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और पांचवीं विधान सभा के लिए जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और चतुर्थ विधान सभा के कार्यकाल पर पर्दा गिर जाता है अगर टैक्निकल रूप से देखा जाय तो मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि अगर इन्हें चतुर्थ विधान सभा के कार्यकाल में ही मन्त्री पद पर नियुक्त

Page No.8

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
करना था तो पहले इन्हें इलेक्शन लड़कर आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो अच्छा था। मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में बिना चुनाव लड़ कर आने और मन्त्री पद पर बिना चुनाव जीत कर इनकी नियुक्ति का विषय संदिग्ध है ऐसी मेरी धारणा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे व्यक्ति हैं जो जनसंघ के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी चाहूंगा। एक तो यह, माननीय मुख्य मन्त्री को संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार है। उन्होंने यह बताया, यह संवैधानिक है तो मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा, जिस समय मन्त्री पद पर आपने लिया, उस समय क्या आप इस बात को ध्यान में रख कर चले हैं—जिस छः महीने की अवधि के लिये मंत्री पद पर आप नियुक्ति कर सकते हैं, उस छः माह की अवधि में चुनाव हो जायगा? दूसरा मैं जानना चाहूंगा क्या सरकारी पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि मंत्री पद के लिए किसी गैर-सदस्य को यदि नियुक्त किया जाता है तो औपचारिकता को निभाने के लिए राजस्थान विधान सभा के सचिवालय को इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती कि एक मन्त्री इस प्रकार नियुक्त किया गया है और सदन में इस पद पर आसन ग्रहण करते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे? मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता —यह कांग्रेस पार्टी का आन्तरिक मामला है। विवाद खड़ा हुआ दागी बेदागी का। बेदागी आदमी लेना था तो सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों में कोई बेदागी नहीं मिला...

श्री रोशनलाल शर्मा : गलत, गलत।

श्री विजयसिंह : शेम, शेम।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पहले ही कहा, यह कांग्रेस पार्टी का आन्तरिक मामला है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ता...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आपको नहीं पड़ना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था।

श्री विजयसिंह : दागी हैं इसलिए उधर बैठे हुए हैं। नहीं तो इधर बैठते।

श्री प्रद्युम्नसिंह (धौलपुर) : आप दागी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य स्वतन्त्र पार्टी के नेता और जनसंघ के नेता बोले-तो यह पुरानी टीम के जाने का अफसोस मालूम पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : आपका दल है नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप नई टीम का साथ दे रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : देखेंगे। आ रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपकी राय से बने होंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, श्री ओंकारलाल, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, कोपरेटिव मिनिस्टर के सम्बन्ध में कि वे इस हाउस में स्ट्रेंजर हैं, अतः इनको सदन में बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य इस बात से सहमति रखते हैं, यद्यपि यहां व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया गया है जिस संवैधानिक स्थिति से सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। किसी भी व्यक्ति को छः महीने के लिए संविधान के अन्तर्गत मंत्री पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस पद पर नियुक्त किया जाना असंवैधानिक नहीं, नितान्त संवैधानिक है। इस पर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती। माननीय सदस्य ने एक अन्य प्रश्न उठाया है कि विधान सभा सचिवालय को इसकी सूचना मिली या नहीं। यह प्रश्न भी, संविधान के अन्तर्गत नहीं आता। यह मुख्य मंत्री के विवेक पर है कि वह किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर दें। इनकी नियुक्ति का प्रश्न गजट में भी प्रकाशित हुआ है और शपथ में सौभाग्य से मैं स्वयं सम्मिलित था। इसलिए सूचना देने, न देने का निराकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में संविधान के अन्तर्गत माननीय सदस्य की नियुक्ति आती है अतः उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता माननीय सदस्य को डिबेट में पार्टीसिपेट करने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय सदस्यों के चिन्तन के लिए जो संविधान के आर्टिकल 88 की व्याख्या की गई है, वह प्रस्तुत कर देना उचित समझता हूं :

Every House of Parliament being an autonomous body would not allow any person who is not a member of that House either to participate in its proceedings or to vote. The present article engrafts an exception to that general rule. It enables every Minister as well as the Attorney General to speak in either House of Parliament but such person would have a right to vote only if he is a member of that House of Parliament in which the voting takes place.

इसलिए व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय सदस्य ने संविधान के अन्तर्गत उठाया है, वह निरस्त करने के योग्य है क्योंकि व्यवस्था संविधान के अन्तर्गत ऐसी है।

अब मैं प्रश्नों को लेता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी एक आपत्ति है, अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ विधान सभा के कार्य काल में यदि कोई सदस्य, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री पद ग्रहण करता है तो इस विधान सभा के कार्यकाल में उसको चुनाव लड़ कर आना चाहिए। यह मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : यह संविधान के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री रघुनाथ विश्नोई।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, शिक्षा, श्रम, विधि, विद्युत्, समाज कल्याण विभाग]

ग्राम मुकाम धोकधोरा सड़क

1. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील नोखा, जिला बीकानेर में ग्राम मुकाम में एक बड़ा धार्मिक स्थान है जहां पूरे भारतवर्ष से हजारों की संख्या में यात्री आते हैं ? अगर हां, तो क्या यह भी सत्य है कि मुकाम मन्दिर से धोकधोरा तक एक मील सड़क अभी तक कच्ची है और उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं ? अगर हां, तो उसकी मरम्मत कराने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पिछली साल इस टुकड़े को पक्की मेटल सड़क बनाने का सरकार ने आश्वशन दिया था ? अगर हां, तो उसको मेटल करने का कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं किया गया है ? अब वह पक्की मेटल सड़क कब तक बना दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां । यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है ।

(2) आश्वासन की जानकारी इस विभाग को नहीं है । यह सड़क वार्षिक योजना 71-72 में स्वीकृत नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आश्वासन उप मंत्री ने दिया, जो यहां बैठे हुए हैं, जो अब मंत्री या उप मंत्री नहीं हैं। यह आश्वासन हाउस में दिया था, आप जानकारी कर लीजिये । यह एक मील लम्बी सड़क है, आप बना दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपको जवाब दे दिया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक मील लम्बी सड़क है . . .

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : भगवान के मन्दिर से धोकधोरा तक की सड़क है, मुकाम मन्दिर है । इसके बारे में 1958 से लगातार घोषणा की है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया ने भी घोषणा की थी ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह एक मील की सडक पूरी नहीं की गई है ।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जवाब चाहते हैं हम, कब तक यह पूरी की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है । सिंचाई मंत्री !

नहर टूटने से क्षति

2. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि 19 व 20 दिसम्बर, 1970 की दरम्यानी रात को चम्बल नहर की बांई मुख्य नहर ग्राम बडगांव (तहसील लाडपुरा) के पास टूट गई थी ? अगर हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करवाई गई व उसके क्या परिणाम निकले ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर के टूटने के कारण लगभग 400 बीघा भूमि पर खडी फसल गेहूं, आलू, धनिया एवं चना नष्ट हो गया व खलिहानों में पडा चावल नष्ट हो गया ? अगर हां, तो हानि की विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार ने हुई हानि के लिए क्या कदम उठाए और किस किस को राहत दी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, दि. 20-12-70 को प्रातः 3 बजे बांई मुख्य नहर की एक शाखा बूंदी ब्रांच चैन 240 पर दांई ओर टूट गई थी। सहायक अभियन्ता द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी जिससे पता चला कि नहर के टूटने का मुख्य कारण पाइपिंग था।

(2) जी नहीं, केवल 106 बीघा 8 बिस्वा भूमि में फसलें कुप्रभावित हुई थी। फसलवार क्षति सूची 'अ' संलग्न है।

(3) विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष का इस बीच के कारण नुकसान हो गया अब भी सिंचाई विभाग ने इरिगेशन चार्जेज से मुक्त नहीं किये ?

श्री हरिदेव जोशी : डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, मुआवजा अर्लिएस्ट पे कर दिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह इरिगेशन से सम्बन्धित प्रश्न मैंने पूछा है कि राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की। मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने, जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें सिंचाई शुल्क से भी मुक्त नहीं किया है और उसकी वसूली की जा रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जानकारी नहीं है। यदि वसूलात की कार्यवाही हो रही है तो रोक दी जायगी।

श्री देवीदत्त पांड्या : जो वसूली कर ली गई है, वह रिटर्न कर दी जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

अध्यापक का स्थानान्तरण

3. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुरार।

Page No.12

(श्री गंगासहाय)
(सीकर) ने श्री शंकरलाल शर्मा, अध्यापक को अपने पत्रांक 1419–21 दिनांक 20–12–1968 द्वारा बिना सक्षम अधिकारियों के आदेश के सीकर कार्यालय के आदेश के लिये रिलीज कर दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि निरीक्षक विद्यालय सीकर ने बिना किसी जांच के ही उक्त अध्यापक का स्थानान्तर कूर के स्थान पर कर दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रधानाध्यापक सीकर ने श्री शंकरलाल का बकाया वेतन आदि का भुगतान भी नहीं किया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अध्यापक श्री शंकरलाल ने परेशान होकर उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भूख-हड़ताल भी की थी जिसे ग्रामवासियों व सरपंच के आश्वासन पर तोड़ी थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक के गलत ढंग से किये गये स्थानान्तर का न्यायपूर्ण निर्णय अभी तक भी नहीं किया गया है ?

शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री शंकरलाल शर्मा के विरुद्ध जनता की ओर से कई शिकायतें थीं और शाला में भी श्री शर्मा का व्यवहार शिष्ट नहीं था जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से सन्तुष्ट होकर श्री शर्मा का स्थानान्तरण गुरार से सिंहरावट किया गया था। श्री शर्मा द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक थे और द्वितीय वेतन श्रृंखला का पद केवल सिंहरावट में ही रिक्त था।

(3) श्री शंकर लाल शर्मा के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनके वेतन आदि की राशि मनीआर्डर द्वारा कमीशन काट कर भेजी गई थी जिसे श्री शर्मा ने लेने से इन्कार कर दिया। दिनांक 30-4-70 को श्री शर्मा की उपस्थिति में इस सम्बन्ध में विधालय निरीक्षक सीकर द्वारा भुगतान के आदेश दिये गये जिसके अनुसार अध्यापक को अधिकतर भुगतान हो चुका है।

(4) जी हां। दिनांक 14–2–69 को श्री शंकरलाल शर्मा भूख-हड़ताल पर बैठे थे और दूसरे दिन दिनांक 15–2–69 को प्रधानाध्यापक व ग्रामवासियों के आश्वासन पर उन्होंने भूख-हड़ताल तोड़ दी।

(5) जी हां। अध्यापक के विरुद्ध शिकायत की जांच विचाराधीन है।

श्री गंगा सहाय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि शेष भुगतान जल्दी कर दिया जावेगा। तो शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : भुगतान की राशि मुझे नहीं मालूम है। जल्दी ही करा दिया जावेगा।

श्री गंगा सहाय : आखिर महीने, दो महीने, चार महीने, कोई तो अवधि हो ? जल्दी से क्या तात्पर्य है।

Page No.13

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): यह रवैया है वह गलत है। इन्सपेक्टर लोग पांच पांच सौ रुपये रिश्वत के लेकर ट्रांसफर करते हैं। जो ढांचा इस वक्त चल रहा है विश्नोईजी शिक्षा मन्त्री बने हैं तब से तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। एक उपमा देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई उपमा नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : श्रवणलाल अध्यापक था। उसको किसी प्रकार रिलीज पर दिया गया। वह शिक्षा मंत्रीजी के पास गया और उसकी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग में इतना घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : यह तो बड़े अफसोस की बात है कि आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ जब कि खूब प्रचार किया गया कि भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : पांच पांच सौ रुपये रिश्वत के लिये जाते हैं और ट्रांसफर किये जाते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 68 का मामला है और जिन इन्स्पेक्टर महोदय की शिकायत कर रहे हैं वे तो 6 महीने से वहां पर हैं। यह इनसे सम्बन्धित शिकायत नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके कार्यालय की बात है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर होते हैं उनके लिए नियम भी हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह इससे सम्बन्धित नहीं है और अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

ए. एस. आई. कम्पनी रामगन्ज मन्डी के मजदूरों को सुविधायें

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ए. एस. आई. कम्पनी रामगन्ज मन्डी द्वारा खनिज उत्पादन हेतु कितने मजदूर काम पर लगाये हुए हैं। अलग अलग खानों पर काम करने वालों की संख्या बताने की कृपा करें। यह भी बतावें कि मजदूरों को पिछले तीन साल में क्या मजदूरी दी गई है व बोनस कितना दिया गया है ?

(2) मजदूरों की सुविधा हेतु ए. एस. आई. कम्पनी द्वारा किन किन स्थानों पर स्कूल, अस्पताल व मकान बनाये गये हैं और उन पर राज्य सरकार से कितना कितना ऋण या अनुदान दिया गया है ?

(3) राज्य सरकार से ए. एस. आई. कम्पनी को उद्योग के बढावे व फैलाव के लिये कितना ऋण दिया हुआ है और उस पर क्या ब्याज लिया जाता है ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (1) ए. एस. आई. कम्पनी, रामगन्ज मन्डी द्वारा खनिज उत्पादन हेतु अलग अलग खानों पर कार्य करने वाले मजदूरों की औसत संख्या व उनको दी गई मजदूरी एवं बोनस एवं मंहगाई का विवरण पिछले तीन साल 1968, 69 व 70 का सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ए. एस. आई. कम्पनी रामगन्ज मन्डी द्वारा खान कुम्भ कोट जोगन हेडी, सायलखेड़ी, दुर्जनपुरा व लक्ष्मीपुरा, तहसील रामगन्ज मन्डी में स्कूलें, अस्पताल एवं मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाये गये हैं तथा 200 स्थाई क्वार्टर्स का निर्माण भी किया है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 4,17,000 रुपये ऋण के रूप में तथा 1,04 250 रुपये के अनुदान रूप में अब तक दिये गये हैं।

(3) ए. एस. आई. कम्पनी रामगंज मंडी के उद्योग को बढ़ाने तथा प्रसार के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया है। जो ऋण आवास योजना के लिये दिया गया उस पर 6½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है।

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई है)

श्री जुझारसिंह : इतना बड़ा प्रश्न है। सूची मिली नहीं।

श्री भीखाभाई : जो सूचना उपलब्ध थी, सत्र प्रारंभ होने से पहले ही मैंने माननीय सदस्य को निवेदन कर दिया था। आप चाहें तो और निवेदन कर सकता हूं।

श्री जुझारसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है लेकिन मिली नहीं है।

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं। माननीय सदस्य से मेरी बात हुई है। थोड़े में मैंने उनको बता दिया। 2,80 हजार 58 में दिये। मजदूरी के लिये बता दूं और रेट्स भी चाहें तो बता दूं। माननीय सदस्य ने पूछा था कि मिनिमम कितना मिलता है। मिनिमम वेतन अब रिवाइज कर दिया है और अब 120 कर दिया है। जो मिलना चाहिये।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो आपत्ति थी वह तो दूर ही नहीं की गई है। आप फर्मा रहे हैं कि यह पूछें तो कह दूं और वह पूछें तो कह दूं।

श्री भीखाभाई : सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिये जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सूची मेज पर रखने का प्रश्न उठाया। यहां पर भी वह सूची नहीं है।

श्री भीखाभाई : भेजी गई या नहीं, माननीय सदस्य को मिली या नहीं–पता लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अब तो सूची पढ़ दी ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री देवीदत्त गढ़िया (बारां): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी है।

Page No.15

श्री अध्यक्ष : आर्डर । प्रश्न कर्ता ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी है और सदन को गुमराह किया है । उनको खेद प्रकट करना चाहिये···

श्री अध्यक्ष : आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं । आर्डर प्लीज । वे सब मंगवा लेंगे खुद ।

श्री जुझारसिंह : सूची सदन की मेज पर रख दी है । उनके इतना मात्र कह देने से डिटेल्स तो मिलती नही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को स्थगित कर दूं ।

श्री भैरोंसिह : एक प्रश्न, क्या यह सही है कि श्रमिक कानून के अन्तर्गत मजदूरों को जितना वेतन, बोनस और अन्य सुविधायें मिलनी चाहिये वे अब तक नहीं मिल रही हैं ?

श्री भीखाभाई : यह बात सही नहीं है । जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, माइन्स के सारे वेजेज वगैरह सब सेन्ट्रल सेक्टर में हैं। केन्द्रीय सरकार देती है। मैं कह सकता था कि यह हमारी परिधि में नहीं आता है और माइन्स डिपार्टमेंट की परिधि में आता है, मैं इसको वापिस कर सकता था । जो सूचना मुझे प्राप्त हो सकती थी, उसको प्राप्त करने की कोशिश की और बताया मैंने कि इस प्रकार क्वार्टर बनाये गये, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गयी, बच्चों के लिये, शिशु शाला का प्रबन्ध भी किया गया । माननीय सदस्य चाहेंगे तो केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग को लिख देंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी उत्तर में यह स्पष्टतया कहा गया है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है । आसन के द्वारा भी इस बात की सूचना दी गयी कि सूची आसन तक भी नहीं पहुंची है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : ताड़ना भी दी है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय कह रहे हैं सूची भेज दी । प्रश्न का दारोमदार सूची पर आधारित नहीं होता तो माननीय प्रश्नकर्ता नहीं पूछते और सूची नहीं आती । सूची पर निरर्थक भाषण मंत्री महोदय दे रहे हैं इसका क्या अर्थ है वे सदन के अन्दर कृपा कर प्रकाश नहीं डालेंगे ? एक सम्माननीय सदस्य ने आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया हैं ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय को खेद भी प्रकट नहीं करना चाहिये ? मैं समझता हूं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब सब बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है तो क्या मन्त्री महोदय सहिष्णुता के साथ खेद प्रकट करना भी आवश्यक नहीं समझते ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि कोई गलत बात हुई तो मैं क्षमा मांग लेता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाहुदार : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्नकर्ता महोदय ने प्रश्न पूछा । उत्तर आने दीजिये । फिर आपत्ति हो तो कहिये ।

Page No.16

श्री रघुनाथ विश्नोई : उत्तर में मंत्री जी ने क्षमा मांग ली है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ओवरसाइट से या कहीं गलती से कोई सूची माननीय सदस्य को मिलने से अगर रह गई है तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित अधिकारी को टास्क पर लीजिये। यहां तो मैं कहता हूं, सूची नहीं आई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब प्रश्न पूछा जाता है और सूची मांगी जाती है तो वह सूची सदस्य के सामने नही आती है। यह एक मामला नहीं है कई बार ऐसा होता है। उत्तर यहां दे दिया जाता है कि सूची दे दी गई, पर शासन कहता है नहीं दी गई तो इस तरह से मन्त्री महोदय सदन में गलत जानकारी देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण विपक्ष के नेता महोदय ने मांग लिया है और मंत्री महोदय ने खेद भी प्रकट कर दिया है। इसलिये अब यह प्रश्न यहीं समाप्त हो जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : खेद तो प्रकट कर दिया, पर बार बार यही करते हैं। जब यह हालत है तो हम कहां जावेंगे उत्तर लेने के लिये। यह समाजवादी समाज का नारा देने वाली इस सरकार का हाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न कर्ता।

श्री जुझारसिंह : सन् 68 में मजदूरों की रेट थी 60 रुपया और सात रुपया मंहगाई भत्ता। 69 में भी यही रेट रही अब 70 में जाकर 85 रुपया किया गया है तो क्या यह रेट जब से मन्जूर हुई तब से मजदूरों को दी जा रही हैं या पहले वाली ही दी जाती रही थी ?

श्री भीखाभाई : पहले मिनिमम वेजेज की रेट 60 रुपया ही थी! अब 85) रुपया हो गई है।

श्री जुझारसिंह : यह 85 रुपया कब से हो गई है ?

श्री भीखाभाई : 8-10-71 से। फिर इस बारे में मैंने माननीय सदस्य को सारी बातें रू बरू भी बता दी थी।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जब और मजदूरों की महंगाई भत्ता की रेट 47 रुपया थी तब इनकी सात रुपया ही थी ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि यह उस समय की मिनिमम वेजेज थी। फिर यह मामला राजस्थान सरकार के देखने का नहीं है, केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का मामला है। ये सब सेन्ट्रल एक्ट से गाइड होते हैं सेन्ट्रल का विभाग इसकी देखभाल के लिये अलग से हैं। हमारे तो यह अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि 47 रुपया मंहगाई भत्ते के मुकाबले में क्या सात रुपया देना वाजिब था ? आपको तो पैसा मिल जाता है अतः चुप रहते हैं।

श्री भीखाभाई : इसका उत्तर अध्यक्ष महोदय, मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 5।

ग्राम रीजोन में बांध का निर्माण

5. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रीजोन जिला झालावाड़ में बान्ध बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो बांध का कार्य चालू क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध में किन्हीं व्यक्तियों की जमीन डूब में आती है इसी वजह से इसका कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(3) इस बान्ध की योजना पर कितना खर्चा होगा और कितनी जमीन की सिंचाई कहां कहां की होगी ?

(4) बांध का कार्य कब चालू होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) इस योजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, सर्वेक्षण होने पर ही यह बताना सम्भव होगा।

(4) सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर और योजना की स्वीकृति होने पर एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य चालू किया जा सकता है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि दो साल से बजट में इस बान्ध के लिये रकम मंजूर होती रही है और काम भी प्रारम्भ कर दिया गया था एक बार तो, परन्तु एक भैरोंलाल पटेल, जो वहीं के रहने वाले हैं, जो कांग्रेस के मेम्बर हैं, उनकी जमीन चूंकि इस बांध में डूब में आ रही थी, इसलिये इस बान्ध के काम को रोक दिया गया और इस योजना को ही ठप्प कर दिया गया ? मंत्रीजी जो कुछ कह रहे हैं यह बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। सही स्थिति और है जो वे छिपा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यही है कि उसका सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ है और जब तक सर्वे कम्पलीट नहीं होता है, तब तक काम प्रारम्भ करने के आदेश नहीं दिये जा सकते।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि चालू सत्र के बजट में भी इसके लिये रकम का प्रावधान किया हुआ है। काम भी शुरू हो गया था पर उसे मध्यावधि चुनावों के समय बन्द कर दिया गया था और वह भी इसलिये कि उनकी जमीन इस में डूब में आ रही थी ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बजट प्रोविजन हो भी सही, पर जब तक

(श्री हरिदेव जोशी)
सर्वे होकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं हो तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता।

जोधपुर एवं पाली जिलों में सड़कों पर व्यय

6. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि एक ही सड़क सोजत–बिलाड़ा सड़क सुधार के लिये जोधपुर जिले के अन्तर्गत स्वीकृति संख्या एफ. 2 (354) पी. डब्लू. 151, दिनांक 8-11-1963 के द्वारा 2,40,000) रुपये व पाली जिले के अन्तर्गत भी स्वीकृति संख्या एफ. 2 (105) पी.डब्लू. ए.एस. 68 दिनांक 31-10-1968 द्वारा 2,40,000) रुपये स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के अन्तर्गत इस कार्य पर 1,20,888) रुपये व पाली जिले के अन्तर्गत 124,000) व्यय किये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी इस कार्य के लिये जोधपुर जिले के अन्तर्गत 35,000 रुपये व पाली जिले के अन्तर्गत 30,000) रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा है ?

(4) यह सड़क कुल कितनी लम्बी है, और इस सड़क का कितना हिस्सा जोधपुर जिले के अन्तर्गत है और कितना हिस्सा पाली जिले के अन्तर्गत ?

(5) इस सड़क पर जोधपुर जिले के अन्तर्गत किन किन सुधार कार्यों हेतु कितना कितना तखमीना कब कब बनाया गया और पाली जिले के अन्तर्गत किन किन सुधार कार्यों हेतु कितना कितना तखमीना कब कब बनाया गया ?

(6) इस सड़क पर दोनों जिलों के अन्तर्गत कितना सुधार कार्य किन किन मदों में किया जा चुका है और कितना सुधार कार्य किन किन मदों का शेष है ?

(7) इस सड़क के सुधार कार्य को पूर्ण कराने हेतु अब दोनों जिलों में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

(8) इस सड़क पर कितना कितना कार्य कब कब कितनी धनराशी का ठेके पर व कितना कार्य सीधे मजदूरों से विभाग द्वारा कराया गया ? किन किन ठेकेदारों को कितना कितना पेमेन्ट कब कब किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां।

(2) जोधपुर जिले में 1 23,838) रुपये तथा पाली जिले में 1,24,000) रुपये व्यय किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) सड़क की लम्बाई 30 किलोमिटर है जिसमें 12 किलोमीटर जोधपुर जिले में तथा 18 किलोमीटर पाली जिले में है।

(5) इस पूरी सड़क पर क्रास ड्रेनेज कार्य को छोड़कर तखमीना 6,73,700) रुपये का 3-2-69 को स्वीकार किया गया तथा 30-4-71 को 7/0 से 12/0 किलो

(श्री शिवचरण माथुर)

मीटर का क्रास ड्रेनेज कार्य सहित 1,99,500) रुपये की स्वीकृति रूरल कार्य मद से जोधपुर डिविजन को दी गई है। जिला जोधपुर 0।0 से 7।0 किलोमीटर प्लान मद से डामर कार्य हुआ है तथा 7।0 से 12।0 में रूरल वर्क्स की मद से कार्य चल रहा है पाली जिला 3 किलोमीटर व 15 किलोमीटर मेटल रोड़ किया गया है।

(7) जोधपुर तथा पाली जिले हेतु क्रमशः 1.25 लाख तथा 5.50 लाख की आवश्यकता होगी।

(8) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकर लाल : आपने बताया कि 6 लाख का तखमीना था। पांच लाख की और आवश्यकता होगी। यह क्या बात है? पहले तो यह पूरा तखमीना 6 लाख का ही था? इस पर अब तक 14 लाख खर्च हो चुका है और आप अब भी और भी रकम खर्च की बात कह रहे हैं तो क्या आपका पहले वाला तखमीना गलत था?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें पहले क्रास ड्रेनेज कार्य शामिल नहीं था। सी.डी. वर्क्स का एस्टीमेट हमने मांगा है। बाकी फेमीन में कुछ ज्यादा खर्चा हुआ।

श्री शंकर लाल : मेरा यह भी कहना है कि दोनों जिलों में एक ही प्रकार की धनराशि स्वीकार हुई है तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक जगह का खर्चा हुआ हो, दूसरी जगह का रह गया हो। तो यह बताने की कृपा करें कि टोटल अमाउण्ट कितना खर्च हुआ और अब टोटल कितने की और आवश्यकता होगी।

श्री शिवचरण माथुर : फेमीन में 15 किलोमीटर की ग्रेवल रोड से मेटल्ड रोड अब तक हो चुकी है और करीब दस किलोमीटर के लिए चिप्स तोड़ी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बाढ़दार।

इन्टक एवं महिला विद्यालय, उदयपुर के मंत्री के विरुद्ध मुकद्दमा

7. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) इन्टक के मन्त्री तथा महिला विद्यालय, उदयपुर के मन्त्री श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत के विरुद्ध सी. बी. आई. के द्वारा क्या कोई मुकदमा धारा 409 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या उस मुकदमे का चालान सम्बन्धित मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश कर दिया गया और अब वह मुकदमा किस स्टेज पर है ?

(3) उपरोक्त मुकदमे की पैरवी सरकारी पक्ष की ओर से कौन कर रहा है और कितने साक्षी अब तक बयान दे चुके हैं ?

(4) उपरोक्त मुकदमे में कुल अभियुक्त कितने हैं और क्या अभियुक्त जमानत पर है ? यदि हां, तो कौन अभियुक्त की किस किस ने कितने कितने की जमानत दी है ?

Page No.20

विधि मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : इस प्रश्न का सम्बन्ध चूंकि गृह विभाग से है, अतः गृह मन्त्रीजी अपने समय पर इसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आज का नहीं है। पहले भी स्थगित हुआ था। आज अगर स्थगित किया जावेगा तो पता नहीं आगे कब आवेगा। यह निवेदन करना पड़ता है कि क्या....

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न ही स्थगित कर दिया गया तो सप्लीमेन्टरी का सवाल नहीं आता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब कभी उदयपुर का प्रश्न इस तरह का आता है तब यही रास्ता अपनाया जाता है. लोग आक्षेप करते हैं। आप पर भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझ पर नहीं करते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे टालने की यह सरकार भी कोशिश कर रही है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी सी जिम्मेदारी तो निभाइये साहब। आपने विधि मन्त्रीजी से पूछा है उनका यह कहना है कि इसका गृह-मन्त्रीजी से सम्बन्ध है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके ही दफ्तर से छुटकर प्रश्न हमारे सरकार के पास जाते हैं। आपको होम मिनिस्टर से पूछना था। वैसे सरकार कहती है जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। फिर इस प्रश्न का उत्तर देने में वह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी कहां गई?

श्री अध्यक्ष : खाम खां समय नष्ट करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे कल या परसों तक इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं?

(गृह मन्त्री के सदन में अनुपस्थित होने की स्थिति में)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहिये, अब कहां जावें हम?

श्री अध्यक्ष : आप कहीं मत जाइये, यहीं बैठिये।

परसों की लिस्ट में इसको फिक्स-अप कर देते हैं।

नेक्स्ट। श्री देवीदत्त गाड़िया।

अग्नि से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स

8. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां विद्युत् सहायक अभियन्ता कार्यालय के अधीन क्षेत्र में सन् 1967 से अब तक कितने ट्रांसफार्मर्स जल कर व अन्य प्रकार से नष्ट हो गए और उनकी लागत कितने रुपयों की थी? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने इन जले ट्रान्स-फार्मर्स के कारणों की जांच करवाई है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.21

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सन् 1967 से अब तक कोई भी ट्रान्सफार्मर जलकर नष्ट नहीं हुए। विभिन्न दक्षता और वोल्टेज रेश्यो के 1967 से अब तक 20 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। इनको ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। इनकी सूची मय अनुमानित कीमत के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1967 में खराब हुए दो ट्रांसफार्मरों की और 1971 में तीन ट्रांसफार्मरों की इन्क्वारी करवाई गई थी। रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाड़िया : सूची कहां है सदन की मेज पर ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : यह तो सारा ही गोलमाल है।

श्री अध्यक्ष : मेज पर तो है।

श्री देवीदत गाड़िया : मुझे नहीं मिली है। यह सिर्फ इन्क्वायरी रिपोर्ट मिली है। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान में और हमारी सरकार ने राज-काज की भाषा हिन्दी घोषित की है और सारा काम हिन्दी में करने के आदेश दिये गये हैं लेकिन जो रिपोर्ट है वह अंग्रेजी में मिली है। मेरी समझ में नहीं आता ये सरकारी अधिकारी क्यों नहीं हिन्दी में रिपोर्ट देते हैं। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है मैं इसे फाड़कर फेंकता हूं (सदन में रिपोर्ट की प्रतिलिपि फाड़ी गई) और सरकार से निवेदन करता हूं कि यह हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय अनेक बार इस मुद्दे को उठाया गया है लेकिन ये सरकार के मन्त्री और सरकार के निकम्मे अधिकारी इस बात की कतई परवाह नहीं करते हैं और इस कारण से मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में सदन के अन्दर कोई भी रिपोर्ट रखी जाय तो वह हिन्दी में ही रखेंगे। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा इतने ट्रान्सफारमर जल गये। मैंने स्वयं ने बारां के इलाके में और उसके आस-पास जो ट्रान्सफारमर जले हैं—सन् 67 से लेकर अब तक देखे हैं उसमें ए. इ. एन. की रिपोर्ट है और दूसरे कर्मचारियों की रिपोर्ट है कि ट्रान्सफारमर जलने के कारण नुकसान हुआ है। जलने के क्या कारण हैं और किस कारण से नुकसान हुआ यह आपने · · ·

श्री शिवचरण माथुर : मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है ट्रान्सफारमर जलकर नष्ट नहीं हुये हैं, खराब हुए हैं और वे ट्रान्सफारमर रिपेयर कराये गये हैं। ऐसे ट्रान्सफारमरों की संख्या करीब 20 है। 67 से लेकर अब तक 20 ट्रान्सफारमरों का नुकसान हुआ है और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह अलग से सूची में दे दी गई है। सदन के पास है। आपके पास नहीं है तो मैं पहुंचा दूंगा। जलने से इन सर्विसेबिल नहीं हुये हैं, वे सर्विसेबिल हैं और काम में लाये जा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या ट्रान्सफारमर जलने का और क्षति ग्रस्त होने का एक

(श्री देवीदत्त गाडिया)

मूल कारण यह नहीं है कि जो वहां स्टाफ होना चाहिए वहां पर नहीं था और उनको कमी थी। तकनिकी कर्मचारी वहां पर नहीं थे जो ट्रान्सफारमर को सम्भाल सकते थे और उसकी ओवरग्राइंलिंग वगैरह कर सकते थे। इस कारण से नुकसान हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो आपने इन्क्वायरी रिपोर्ट से मालुम किया होगा।

एक माननीय सदस्य : वह तो फाड़कर फेंक दी। अब कैसे मालूम होगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो भू-तल हो गई।

श्री शिवचरण माथुर : जिस अधिकारी की गलती थी उसको चार्ज शीट दे दी गई है और उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि ट्रान्सफारमर बार–बार जल रहे हैं और सरकार का हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है। उसका मूल कारण जितना स्टाफ होना चाहिये–ट्रान्सफारमर की चैकिंग के लिये और जो वहां तकनिकी कर्मचारी होने चाहिए वे वहा पर नहीं थे और यदि हां तो क्यों और इसके लिए सरकार ने अब क्या व्यवस्था की है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय यह पूर्णतया सत्य नहीं है। जो वहां काम करने वाले थे उनकी लापरवाही अवश्य है। और इस गलती के कारण उनको चार्जशीट दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सिंचाई मन्त्री।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, बारां इलेक्ट्रिसिटी सब–डिविजन में आता है और उसकी इत्तला जूनियर इंजीनियर को दे दी गई थी लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से ये क्षतिग्रस्त हुये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मन्त्रीजी।

समदड़ी बांध से सिंचाई।

9. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले को कोटड़ी तहसील में क्या समदड़ी बान्ध बन्धाया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस वर्ष से और इस पर कितने रुपये खर्च हो चुके हैं ? क्या अब भी काम चालू है ?

(3) इससे कितनी सिंचाई होती है ?

(4) यदि नहीं होती है, तो सिंचाई कब से प्रारम्भ होगी।

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) यह कार्य सन् 1965-66 में चालू किया गया था। इस बान्ध पर सन्

(श्री हरिदेव जोशी)
1970–71 तक 4,33,746 रुपया खर्च हो चुका है। कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(3) इस बान्ध से लगभग 100 एकड़ भूमि सिंचित होती है।

(4) सिंचाई सम्वत् 2027 से आरम्भ हो चुकी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय कितना अच्छा हो, आप इसके लिए जांच करवायें जो आपके पास रिपोर्ट आई है वह वास्तव में सही है क्या। सरकार का सारा धन वेस्ट हुआ है। इस जांच को आप कृपा करके अवश्य करवायें।

श्री हरिदेव जोशी : आप क्या चाहते हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह सारा पैसा व्यर्थ गया है। न सिंचाई हो रही है और न काम पूरा हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : आप जो कुछ महसूस करते हैं उसकी डिटेल दे दीजिये। मैं जांच कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

औद्योगिक बस्ती फालना में विद्युत की अव्यवस्था

10, **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फालना स्टेशन (जिला पाली) के समीप ही एक औद्योगिक बस्ती है जिसमें कई विभिन्न उद्योग चल रहे हैं ?

(2) (क) क्या यह सही है कि तारीख 20–4–71 को दिन में चालू कार्य में उपर्युक्त औद्योगिक बस्ती में घंटों विद्युत बन्द रही तो तंग होकर उद्योगपतियों के शिष्ट मण्डल ने श्रीमूर्ति के निवास स्थान पर जाकर श्री मूर्ति को कहा कि यदि इसी प्रकार विद्युत में रोजाना उतार चढ़ाव आने व बिलकुल बन्द (आज की तरह) होने की घटना चालू रही तो हमें अपने कारखाने फालना से उठाकर अन्यत्र ले जाने को विवश होना पड़ेगा।

(ख) क्या यह सही है कि इस भारी अव्यवस्था की जानकारी तार द्वारा उद्योगपतियों ने राजस्थान सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों व सम्बन्धित अधिकारियों को दी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) (क) क्या यह सही है कि श्री मूर्ति ने उद्योगपतियों को लिखित में कह दिया कि यह विद्युत् अव्यवस्था उनकी भूल से हुई है और क्या यह सही है कि उद्योगपति हर्जाने का दावा करने की सोच रहे हैं ?

(ख) उपर्युक्त हर्जाने के दावे के फैसले पर यदि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर हर्जाने की डिक्री हुई तो डिक्री का पैसा जिनकी भूल हुई उनसे वसूल किया जायगा कि विद्युत् मण्डल भरेगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री शिव चरण माथुर): (1) जी हां।

(श्री शिवचरण माथुर)

(2) (क) जी नहीं । तारीख 22–4–71 को कुछ इन्डस्ट्रीज का विशेष पार्टी द्वारा मीटर चैकिंग करने के लिये कुछ समय तक इन्डस्ट्रियल एस्टेट की इन्डस्ट्रीज को सप्लाई बन्द करनी पड़ी थी ।

उद्योगपतियों का शिष्ट मंडल श्री मूर्ति तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से दिनांक 22–4–71 को मिले और उन्होंने अपनी कठिनाइयां बतलाई । अधिशासी अभियन्ता ने इन्डस्ट्रियल एस्टेट की सप्लाई काटने का कारण बताया और उनको सन्तोषजनक उत्तर दिया ।

(2) (ख) केवल राजस्थान सरकार के मंत्रियों एवं चीफ इंजीनियर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जाने के प्रमाण इस कार्यालय में प्राप्त हैं । केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को जानकारी दिलाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस कार्यालय को जानकारी नहीं है । मण्डल इस सम्बन्ध में (पाली फालना लाइन) बड़ी क्षमता की लाईन को उसके डिजाइन वोल्टेज पर चार्ज कराकर बड़े ट्रान्सफारमरों के कमीशन का कार्य फालना तथा पाली ग्रेड सब–स्टेशनों पर करा रही है तथा बहुत जल्दी ही इस कार्य को समाप्त करने की सम्भावना है । मण्डल एक अलग 11 के. वी. ओ. सी. सी. इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिये शीघ्र ही लगाने का भी विचार रखती है । इस उपकरण की उपलब्धी पर यह भी लगा दिया जायेगा ।

(3) (क) जी नहीं । उद्योगपतियों की ओर से दावा करने के विचार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

(3) (ख) जब कोई हर्जाने का दावा ही नहीं किया गया है तो हर्जाने की डिक्री होने का प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय 22–4–71 की बात है । अभी ग्यारवां महीना चल रहा है । सात महिने तो हो गये उनको सोचते सोचते, क्या इस तरह से बिजली की व्यवस्था ठीक हो जायगी जो सात महिने में भी नहीं हो पाई है ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय फालना को पाली से बिजली मिलती है । वहां का ट्रान्सफारमर पूरी केपेसिटी नहीं रखता है । अब दो साल पहले ही दूसरा ट्रान्सफारमर आ गया है । इसके मिलने में ही विलम्ब हुआ है । अब चूंकि यह मिल गया है इसलिये अब इसको 66 के.वी. पर चार्ज कर दिया जायगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : समय सीमा बता सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अभी सम्भव नहीं है । क्योंकि ट्रांन्सफारमर अभी मिला है उसको इन्स्टाल करने में समय लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पानी के रसन से प्रभावित भूमि

11. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा व बून्दी के चम्बल कमान्ड क्षेत्र में क्या नहरों से पानी का रसन होता है और इसके कारण काफी काश्तकारों की भूमि पानी में डूबी रहती है ?

Page No.25

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) रसन समस्या के कारण प्रति वर्ष कितनी जमीन प्रभावित होती है ?

(3) सरकार द्वारा रसन के कारण काश्तकारों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाने के कारण अब तक कितनी रकम क्षति पूर्ति के रूप में कोटा व बून्दी के जिलों में चुकाई गई है और अब तक कितनी चुकानी बाकी है ?

(4) जिस वक्त यह योजना बनाई गई या सर्वेक्षण किया गया उस वक्त विशेषज्ञों को इस समस्या के उत्पन्न होने का पता था अथवा नहीं ?

(5) सरकार इस समस्या को हल करने के लिये क्या इन नहरों को पक्का करेगी ? यदि हां, तो कार्य कब तक हो सकेगा और वार्षिक कितना व्यय किया जायेगा ?

(6) क्या रसन के अतिरिक्त इन जिलों में पानी की सतह ऊंची आ जाने के कारण जमीन पर उसका प्रकोप हो गया और इसके कारण काश्तकार उनमें कोई फसल नहीं कर पाता और सरकार को सालाना लगान अदा करना होता है ?

(7) इन दिनों इन दोनों जिलो में उससे कितनी जमीन प्रभावित है और क्या सरकार उस जमीन का लगान बराबर अब तक वसूल करती आई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) वर्षवार आंकड़ों की सूची 'अ' संलग्न है।

(3) सूची 'ब' संलग्न हैं।

(4) इसकी आशंका नहीं थी।

(5) कुछ हिस्सों को पक्का कर दिया गया है तथा और कुछ हिस्सों को पक्का करने का प्रावधान रिवाइज्ड तखमीने में किया गया है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

(6) पानी की सतह ऊंची आने के कारण क्षतिग्रस्त भूमि की अलग से माप नहीं की गई है लगान का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(7) दोनों जिलों के चम्बल सिंचित क्षेत्र में कुछ चुने हुये कूओं पर लिये गये जल स्तर के माप के आधार पर जून 1970 डेमेज्ड (क्षतिग्रस्त) एवं प्रोटेक्टेड क्षेत्र का अनुमानित विवरण इस प्रकार है:—

डेमेज्ड 0,–5, 45100 एकड़

प्रोटेक्टेड 5,–10, 322500 एकड़

लगान का सम्बन्ध इस विभाग से नही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय मैं कुछ निवेदन करना चाहता हू। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे इस बारे में जो योजना बनी है वह कितने करोड़ की है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो योजना बनी है वह 10 करोड़ के लगभग की है।

Page No.26

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष कितनी सीपेज आई है गत वर्ष के मुकाबले ?

श्री हरिदेव जोशी : ठीक आंकड़े तो नहीं बता सकता लेकिन पहले की अपेक्षा ठीक है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रुपया मंजूर किया गया है वह इस वर्ष के लिए काफी नही है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए और प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कितना रुपया अब आप और दे सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन सेविग्स को देखकर और एप्रोप्रियेशन को देखकर देने की कोशिश करूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गत वर्ष के मुकाबले कितनी जमीन कम बोई गई है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारी डिटेल दे चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, प्राबलम एक्यूट जरूर है जैसे ही फन्डस होंगे हम कोशिश करेंगे। लगान से ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लगान से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : जो डेमेज्ड है उनकी पिलाई नहीं की जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कितनी जमीन डेमेज्ड है जो पिलाई में लाई है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि जो डेमेज्ड एरिया है उससे कोई पिलाई नहीं ली जाती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Performance as member is good.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि जो जमीन डेमेज्ड है उससे कोई पिलाई जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक उसके इरिगेशन चार्जेज वसूल हो रहे हैं और आपका यह कहना कि चार्जेज नहीं लिए जाते हैं सो गलत है।

इसके अलावा मैं एक जानकारी और चाहूंगा। क्या यह सही है कि जो यू. एन.डी. से रिसर्च करवाई गई है उन्होंने रिसर्च करके इसका कारण वाटर लागिंग को नहीं माना है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां पहली बात का सवाल है माननीय सदस्य ने कहा कि पिलाई के चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं तो मुझे जो आफिसियल इनफर्मेशन है वह यह है कि नहीं लिए जा रहे हैं किन्तु लिए जा रहे हैं तो तत्काल रोक दिया जायेगा और ऐसी कार्यवाही की जायेगी कि जो डेमेज्ड लेण्ड हैं उनसे ये चार्जेज वसूल नहीं हों।

दूसरा सवाल यह है कि इसके कारण क्या हैं तो यह डिटेल्ड रिसर्च का विषय है और अभी जो प्रिलिमिनेरी जानकारी मिली है उसके आधार पर तीन चार कारण बताये गये हैं एक सीपेज मुख्य कारण है, दूसरा वहां पर पानी का ठीक से उपयोग नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)
होता है, तीसरे धीरे और चैनल ठीक नहीं बनाना और वेस्टेज ज्यादा होना भी है। ड्रेनेज का ठीक नहीं होना भी कारण है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी चाही है कि यू एन.डी. के द्वारा इस सम्बन्ध में रिसर्च की जा रही है और उनका मानना है कि वाटर लागिंग जैसी कोई समस्या नहीं है और इस रिसाव का कारण दूसरा हो है।

श्री हरिदेव जोशी : सेक्टरवाइज रिसर्च किया जाता है और उसमें उस सेक्टर की जानकारी ली जाती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही कारण नहीं हो सकता

श्री कृष्णकुमार गोयल : यू. एन. डी. ने लिखा है कि वाटर लागिंग जैसी समस्या इसका कारण नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने कहा है कि वाटर लॉगिंग ही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि श्री अर्जीतप्रसाद जैन ने भी स्वयं ने इस वाटर लागिंग की समस्या के अन्दर राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है जिसमें इस समस्या का निदान केवल ट्यूबवेल खोदे जाना और नहरों को पक्का बनाया जाना बताया है और इसके अलावा उस समस्या का कोई दूसरा निदान नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि उस सारी रिपोर्ट के ऊपर अमल करने के लिए विचाराधीन है और 10 करोड की योजना है जिसको कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पारटेन्ट सवाल है। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि अभी तक जो वाटर लॉगिंग की समस्या को साल्व करने के लिए जो रास्ते अपनाये गये हैं वह ड्रेनेज हैं जब कि रिपोर्ट कहती है कि इसमे निदान नहीं होगा। इस समस्या का निदान तो केवल यह है कि ट्यूबवेल काफी मात्रा के अन्दर खोदे जायें और इसके अलावा नहरों को पक्की की जायें नहीं तो यह सीपेज और वाटर लागिंग खतम नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज सबसे बडा साधन है यह उस रिपोर्ट में कहा गया और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं लेकिन ठीक तरह से उस क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार का जो आपरेशन चाहिए वह नहीं मिला। ड्रेनेज साफ नहीं हुए और एक तरह से ड्रेनेज वापिस लाक हो गये और जहां ड्रेनेज ठीक है वहां लागिंग नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार इस क्षेत्र के अन्दर ट्यूबवैल अधिक मात्रा में खुदवाने के लिए विचार रखती है इस समस्या को समाप्त करने की दिशा में ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल की अहमियत को देखकर मुझे दो तीन सवाल पूछने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 2 लाख एकड़ जमीन है जो इससे प्रभावित है ··

Page No.28

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आज हजारों परिवार इसके कारण से प्रभावित हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस सीपेज और वाटर लागिंग के कारण · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलने पर) आर्डर प्लीज, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है · · ·

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । दूसरे सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : गरीब काश्तकार बिलकुल भूखों मर रहे हैं जिनकी जमीन नष्ट हो गयी और उनके पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं रहा · ·

श्री हरिदेव जोशी : जिनकी जमीन नष्ट हो गयी है उनको मुआवजा देने का विचार करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनकी जमीनें इस डूब, वाटर लागिंग और सीपेज में आगयी । क्या आप मारे काश्तकारों को आजीविका के लिए प्रतिवर्ष मुआवजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री नन्दलाल बैरवा के एक साथ बोलने पर) कुछ भी अंकित नहीं हो, अश्रव्य है ।

श्री नन्दलाल बैरवा : (पाटन सु.) + + +

श्री देवीदत्त गाडिया : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वाटर लागिंग के कारण · · ·

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें भाषण नहीं दें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गरीब अनुसूचित जाति और जन जाति के किसान जिनके पास दस दस बीघा जमीन थी वह आज सीपेज के कारण नष्ट हो गयी और उनकी आजीविका का साधन बिल्कुल नष्ट हो गया–क्या लोकतंत्रीय सरकार अपना नैतिक कर्तव्य नहीं समझती है कि उन काश्तकारों को जिनकी जमीन नष्ट हो गयी उनको मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट इसके प्रति एलाइव है और जिन लोगों की जमीन बिलकुल काम के काबिल नहीं है उनको एक्वायर करके मुआवजा दिया गया है और आइन्दा भी दिया जायेगा ऐसी ही स्थिति रही तो ।

+ + + अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No.29

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय उनको मुआवजा कहां दिया गया है · · ·

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो

श्री देवीदत्त गाडिया : +++

श्री नन्दलाल बैरवा : उनको एक पैसा भी मुआवजा का दिया गया · ·

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल बैरवा : +++

श्री देवीदत्त गाडिया : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज समाज कल्याण मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाडिया : मन्त्री महोदय आपने कोटा जिले को जो उपेक्षा की है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : ++++

श्री नन्दलाल बैरवा : ++++

श्री देवीदत्त गाडिया : ++++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बहुत कुछ हो चुका है। अब समाज कल्याण मन्त्री महोदय दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री नन्दलाल बैरवा के बोलने पर आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें

नेक्स्ट।

जिला समाज कल्याण अधिकारी टौंक द्वारा दी गई रिपोर्ट

12. श्री जयनारायण सांतोड़िया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला समाज कल्याण अधिकारी का पंचायत समितियों व जिला परिषद् की बैठकों में जाना जरूरी है ? क्या विभाग द्वारा दिये गये अनुदानों का उसी कामों में सही उपयोग हुआ या नहीं ऐसी रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी विभाग को देते हैं या नहीं ? यदि हां, तो टौंक जिले की किस-किस पंचायत समिति की बैठकों में जिला समाज कल्याण अधिकारी गए व विभाग द्वारा दिए गए अनुदानों की जानकारी की गई ? तारीखवार सूची हर पंचायत समिति की सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): निदेशानुसार जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को पंचायत समितियों व जिला परिषदों की बैठकों में जहां तक सम्भव हो जाना जरूरी है। उन्हें यह भी निर्देशन जारी किए जा चुके हैं कि इस विभाग द्वारा जो धनराशि पंचायत समितियों को आवंटित की गई है, उसमें किसी प्रकार के गलत किए गए खर्च की कोई सूचना उन्हें मिले तो वे शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी टौंक ने इस वर्ष टौंक जिले की निम्न पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लिया :—

++++ अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.30

(श्री भीखाभाई)

नाम पंचायत समिति	बैठक दिनांक
पंचायत समिति टौंक	13-4-71
पंचायत समिति देवली	18-8-71
पंचायत समिति निवाई	28-4-71
पंचायत समिति निवाई	27-8-71

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी टौंक ने जिला परिषद् टौंक की दिनांक 29-5-71 व 8-10-71 की बैठकों में भाग लिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तो इसी साल का बताया । मैंने पूछा है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों में नहीं जाते क्योंकि मैं भी पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य हूं । आपका पैसा जो अनुदान में जाता है वह मास्टरों की तनख्वाह में खतम हो जाता है । आपके पास रिकार्ड है कि कितना रुपया आपने दिया और वह किस–किस काम में खर्च हुआ ? और मैंने सूची मांगी थी वह आपने नहीं दी । वह तो आप हजम ही कर जाते हो । मैंने डिस्ट्रीक्टवाइज सूची मांगी है ।

श्री भीखाभाई : सारे राजस्थान की पंचायत समितियों और जिला परिषदों का उत्तर नहीं आ सकता था और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने किस–किस जगह मीटिंगों में भाग लिया नहीं कह सकता क्योंकि कहीं कहीं ऐसे भी जिले हैं जहां 16–16 और 18–18 पंचायत समितियां हैं इसलिए टौंक के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा उसका उत्तर दिया है और यह बता दिया है कि चारों पंचायत समितियों में कब कब भाग लिया ।

श्री अध्यक्ष : वह तो उत्तर दे दिया ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय मंत्रीजी आपने चार पंचायत समितियां बताई हैं वे वास्तव में छः हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने शायद मेरा प्रश्न पढा नहीं है और उतर दे दिया है ·····

श्री भीखाभाई : बूंदी में चार हैं और मैंने चार ही कहा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप पहले मेरा प्रश्न सुन लें । मेरे पास आप जैसा फालतू टाईम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि टौंक जिले की किस किस पंचायत समिति की बैठकों में जिला समाज कल्याण अधिकारी गए व विभाग द्वारा दिए गए अनुदानों की जानकारी की गई ? तारीखवार सूची हर पंचायत समिति की सदन की मेज पर रखें । आपने पढा इसको ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास समयाभाव के कारण जो सूचना प्राप्त हो सकी···

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या समयाभाव था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

Page No.31

श्री भीखाभाई : जो सूचना मेरे पास प्राप्त हो सकी वह मैंने आप तक पहुंचा दी। माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं तो मैं और जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए।

नेक्स्ट श्री सारण!

सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

13. **श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला किसान संघर्ष समिति की मांग संख्या (7) के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थाई सड़कों के निर्माण आयुक्त और पदेन सचिव, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय से तत्काल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि:—

(क) जिन भूमियों के बारे में अवार्ड हो चुके हैं उनका मुआवजा फौरन अदा कर दिया जाय ?

(ख) ऐसी सूचना फौरन एकत्र करें कि किन अवाप्त भूमियों के बाबत मुआवजा अब भी देना बाकी है और अवार्ड नहीं हुआ है ऐसे अवार्डों को जल्दी मुकम्मिल कराने की कोशिश करेंगे और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जायगा जिसका हैड क्वार्टर जरूरत हो तो चूरू में रखा जायगा ?

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सब सड़कों के नीचे आई भूमि का मुआवजा चुका दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन सड़कों का कितने आसामियों का कितना रुपया कब से चुकाना बाकी है और क्यों और अब कब तक चुका दिया जायगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल फैक्ट बात है कि अनुदान की सारी राशि पंचायत समितियों ने अध्यापकों की तनख्वाह बांटने में खर्च कर दी और यह कहते हैं कि कोई जानकारी नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 13 मैंने पूछा है मंत्री महोदय ने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करने के लिए स्थगित करने के लिए निवेदन किया है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें जानकारी करने का क्या प्रश्न है। किसानों का आन्दोलन हुआ था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्रीजी और सचिव ने संघर्ष समिति के साथ बैठ कर यह समझौता

(श्री दौलतराम सारण)
किया था और लिखित में समझौता हुआ था और यह कह रहे हैं कि जानकारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। दिये गये आश्वासन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आश्वासन इम्पलीमेंट किये गये हैं लेकिन बीच की जानकारी नहीं होने से मुझे संतोष नहीं हुआ और इसीलिए मैंने स्थगित करने का निवेदन किया है।

श्री दौलतराम सारण : कोई कमिटमेंट पूरे किए हों तो वही बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप पृथक् से प्रश्न पूछ लीजिए।

(विराम)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीसवाली—ठीपरी सड़क

1. देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीसवाली-ठीपरी मार्ग को पक्की सड़क बनाए जाने का तखमीना बनाया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना रुपया खर्च होगा ।

(2) क्या सीसवाली—ठीपरी सड़क को पक्की सड़क बनाए जाने के लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि सीसवाली-ठीपरी सड़क को पक्की सड़क बनाये जाने पर कोटा व खातोली से ठीपरी होकर सीसवाली व सीसवाली से अन्ता—सांगोद, झालावाड़ होकर इन्दौर (मध्य प्रदेश) तक सड़क यातायात चालू हो सकता है ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां ।

अन्ता—सीसवाली सड़क

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अन्ता—सीसवाली सड़क को पक्की सड़क बनाये जाने के लिए टेन्डर आमंत्रित किए गए थे। यदि हां, तो किस किस ठेकेदार के टेन्डर स्वीकृत हुए और उसमें से किस किस को सडक निर्माण का ठेका दे दिया गया है और किस किस को किन कारणों से अभी तक नहीं दिया गया है।

सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां मील 9 से 11 के टेण्डर 27-12-70 को आमंत्रित किये गये थे जो ऊंची दर होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये। टेन्डर पुनः आमंत्रित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

मकान सहायता व बिजली के लिए अनुदान

3. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य के हर जिले को मार्च सन् 1971 में मकान सहायता व कर्ज व बिजली रोड आदि का अनुदान दिया गया है? नामवार तहसीलों सहित सूचियां, हर अनुदान व कर्ज की सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के प्रत्येक जिले को केवल मार्च सन् 1971 में इस विभाग द्वारा बिजली, नल तथा गृह निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान एवं ब्याज मुक्त ऋण की सूचियां निम्न प्रकार से संलग्न हैं:–

1–हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने हेतु सूची नम्बर 1।

2–हरिजन बस्तियों में नल लगाने हेतु सूची नम्बर 2।

3–भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण सूची नम्बर 3।

4–भवन निर्माण हेतु अस्वच्छ कार्यों में लगे हरिजनों को अनुदान (नगरपालिका क्षेत्र) सूची नम्बर 4।

5–भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान (नगरपालिका क्षेत्र) सूची नम्बर 5।

6–भवन निर्माण हेतु प. स. क्षेत्र में अनुसूचित जाति जन जाति के परिवारों के लिये आवंटित अनुदान सूची नम्बर 6।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक कालेज में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र

4. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक कालेज में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र पढ़ते हैं, तथा इनमें से कितने छात्र छात्रावासों में रहते हैं व कितने प्राइवेट? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन छात्रों को छात्रवृत्तियां भारत सरकार व राजस्थान सरकार की कौनसी तारीखों को दी गई? क्या छात्रवृत्तियां सरकारी निश्चित तिथियों पर ही दी गई या देर से?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र सन् 1971-72 में टोंक कालेज में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्रमशः 66 व 24 छात्र पढ़ते हैं। इन छात्रों में से छात्रावासों में रहकर तथा प्राइवेट रूप से रहकर पढ़ने वाले छात्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

जाति	छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले छात्र	प्राइवेट	कुल
अनु जाति	25	41	66
अनु.जन. जाति	13	11	24

(मंत्री, समाज कल्याण)

टौंक कालेज में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों की सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निश्चित तिथियों के अनुसार जुलाई, अगस्त व सितम्बर 1971 की अवधि की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति माह अक्टूबर 71 के अन्त तक दी जानी है। उक्त अवधि की छात्रवृत्तियां माह सितम्बर 1971 में स्वीकृत कर माह अक्टूबर 71 में भुगतान की जा चुकी हैं।

राज्य सरकार से स्वीकृत की जाने वाली अतिरिक्त छात्रवृत्ति के प्रार्थना-पत्र निर्देशानुसार कालेज। संस्था के प्रधानाध्यापक के मार्फत सम्बन्धित जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 30 सितम्बर 71 तक पहुंच जाना आवश्यक है। जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग टौंक में कालेज के माध्यम से सितम्बर के अन्त में प्राप्त आवेदन पत्रों में कमियां होने के कारण उनकी पूर्ति करायी जा रही है। अतिरिक्त छात्रवृत्ति अब शीघ्र ही स्वीकृत कर दी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नल कूप खोदने का प्रावधान

5. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में इस वर्ष कितने कितने नल-कूप खोदे जाने का निश्चय किया है? प्रत्येक जिले का अलग अलग विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

इस वर्ष के बजट में राजकीय नल कूप योजना के अन्तर्गत जिला भरतपुर में दस नल कूप बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा एक 'समूह नल कूप योजना' सरकार के विचाराधीन है जिसमें सर्वेक्षित क्षेत्रों में नल कूप योग्य क्षेत्रों में नल कूप बना कर उन्हें रियायती दरों पर कृषकों को बेचने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत पाइलट प्रोग्राम अलवर और नागौर जिलों में 60 नल कूप तैयार करने के लिए स्वीकृत हुआ है। इन सिंचाई के नल कूपों के अलावा पेय जल की योजनाओं के लिए राजस्थान भू-जल मण्डल आवश्यकतानुसार नल कूप बनाएगा।

सरकारी उद्योगों में सरकारी रकम

6. श्री जयनारायण सलोदिया (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में सरकारी उद्योगों में सरकार की कितनी रकम लगी है? इनमें कितना उत्पादन होता है, तथा कितने आदमी काम करते हैं और कितना फायदा नुकसान रहता है? पूर्ण विवरण उद्योग का सदन की मेज पर रखें।

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

राजकीय लवण उद्योग पचपद्रा	राजकीय लवण उद्योग डीडवाना	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	पलाना कोयला खान पलाना	सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना	सोडियम सल्फाइड प्लांट, डीडवाना	नया सलफेट प्लांट डीडवाना	सोडियम सल्फेट वर्क्स, डीडवाना
4.69	5.32	135.48	14.05	40.00	1.86	40.00	—
औसतन 4 से 4.59 लाख क्विन्टल नमक का उत्पादन होता है	7.00 क्वि. वार्षिक उत्पादन	3.29 कि. ग्राम वर्ष (70-71)	दिनांक 5-1-69 को खान में आग लग जाने के कारण उत्पादन बन्द है।	1934 टन (70-71)	325 टन 70-71	— —	2422 टन (70-71)
74 अधिकारीगण व राज्य कर्मचारी 250 मजदूर	3690 व्यक्ति	295 व्यक्ति (36 कर्मचारियों सहित)	16 व्यक्ति देख-रेख के लिए	145 व्यक्ति	43 व्यक्ति	—	11 व्यक्ति
गत चार वर्षों में 1.52 लाख रुपये का औसतन लाभ	10.00 लाख रु. का प्रति वर्ष लाभ	10.99 लाख रु. का (70-71) नुकसान	5.60 लाख रुपये का नुकसान रहा।	1.44 लाख रुपये का लाभ (70-71)	0.35 लाख रुपये का लाभ (70-71)	—	4.30 लाख रुपये का लाभ (70-71)

सरकारी कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग

7. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या मंत्री भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने किस तिथि से सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में किये जाने की घोषणा की थी ?

(2) उस घोषणा के पश्चात् हिन्दी भाषा को सरकारी काम काज में उपयोग में लाने की क्या क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि अंग्रेजी जानने वाले वे अफसर, जो हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी में ही नोट लगाते हैं ? यदि हां, तो इस क्रम में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सरकारी उक्त घोषणा के पश्चात् भी सरकारी आज्ञायें, परिपत्र अंग्रेजी में निकाले गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने वाले अधिकारियों को ठीक मार्ग पर लाने हेतु क्या क्या कार्यवही की गई है ?

उत्तर

(1) 26–1–1968 से।

(2) अंग्रेजी टंकण यंत्रों के स्थान पर हिन्दी टंकण यंत्र मुहैया करना। हिन्दी शीघ्रलिपि एवं टंकण का प्रतिक्षण, नियमों, परिपत्रों आदि सामग्री का हिन्दी में अनुवाद तथा हिन्दी शब्दावली आदि संदर्भ साहित्य का वितरण इत्यादि योजनाओं के द्वारा विभागों को हिन्दी में राजकार्य करने हेतु साधन सुविधायें दी गई तथा दी जा रही हैं।

(3) अहिन्दी भाषी अधिकारियों। कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में कुछ छूट दी गई है।

(4) वैधानिक अनिवार्यता के कारण जिस सामग्री का अंग्रेजी में भी होना आवश्यक है, वह अंग्रेजी में जारी की जाती है। जिन नियमों का अधिकृत हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं है उनमें संशोधन अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

1. श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री बालसिंह सोढा, सदस्य विधान सभा ने जिला कोटा की तहसील मांगरोल, शाहबाद, किशनगंज, बारां, अटरू, दिगोद तथा पिपल्दा आदि में इस वर्ष अतिवृष्टि से क्षति पहुँचने तथा बाढ़ पीड़ितों में भुखमरी, बीमारी आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने जिला कोटा के बारां नगर में नगरपालिका बारां द्वारा अनुसूचित व पिछड़ी जाति के मजदूरों की झोंपड़ियों को जबरन गिरा देने तथा उनका सामान फेंक देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने जिला गंगानगर में बारानी ग्रामों में अकाल पड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4 श्री रामनारायण चौधरी व श्री सांवरमल बासोतिया, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शारदा सदन कालेज मुकुन्दगढ को विश्वविद्यालय के परीक्षा का केन्द्र तोड देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य विधान सभा ने जयपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. श्री सुरेन्द्र व्यास व श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान में स्थित विश्वविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त श्री रामानन्द अग्रवाल, सयस्य विधान सभा से भी जोधपुर विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल तक बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने भी जोधपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति एवं छात्रों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री भैरोंसिंह शेखावत ने भी जोधपुर विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. ब्यावर में एडवर्ड मिल मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बावजूद अब तक चालू नहीं किए जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

8. श्री रामानन्द अग्रवाल, ने राजस्थान राज्य कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

9. रामगढ़, जिला अलवर पुलिस थाने में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की डी. वाई. एस. पी. द्वारा पिटाई किए जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

10. गत दशहरा के अवसर पर गोविन्दगढ, जिला अलवर में पुलिस द्वारा किए गए गोलीकाण्ड तथा एक व्यक्ति को मार दिए जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. इन्हीं माननीय सदस्य ने डाक्टर कमलेश गुप्ता और डाक्टर गजराजसिंह द्वारा तबादले के प्रश्न पर आत्म हत्या करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

12. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जन गणना विभाग के लगभग 1 हजार कर्मचारी दिसम्बर माह से सेवा मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

Page No.38

(श्री अध्यक्ष)

13. राजस्थान में लगभग 300 डाक्टर्स बिना रोजगार के बेकार बैठे रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव।

14. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम डा. अजीत भारद्वाज को भूखण्ड आवंटित किए जाने के आदेश प्रसारित किए जाने से सम्बन्धित फाइल का पता न लगने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

15. श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने महंगाई बढ़ने, औद्योगिक उत्पादन गिरने तथा कृषि उत्पादन गिरने तथा कृषि उत्पादनों के भावों में उतार चढ़ाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

16. श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान में अतिवृष्टि, बाढ़, अनावृष्टि एवं सूखा तथा बीमारी से खरीफ की फसलों को भारी हानि पहुँचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

17. इन्हीं माननीय सदस्य ने राजस्थान में विशेष रूप से जयपुर में व्यापक रूप से एक विशेष प्रकार का बुखार फैलने की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

18. डा. गंगासहाय, सदस्य विधान सभा ने सत्र में राज्य सरकार को साईकिल लकड़हारा मजदूरों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कोई निर्णय न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री दौलतराम सारण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी गई हैं जिनमें बंगला देश को भारत सरकार द्वारा मान्यता न दिए जाने के कारण विस्थापितों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति तथा गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक की सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा भारी संख्या में टैंक, बख्तरबन्द गाड़ियां, तोपखाना आदि तैनात कर देने का उल्लेख किया गया है।

इसी विषय से मिलते-जुलते दो प्रस्तावों की सूचनाएं और प्राप्त हुई हैं जो यद्यपि स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं हैं किन्तु उनका भी इस विषय से सम्बन्ध है। श्री भैरोंसिंह, श्री सुरेन्द्र व्यास व श्री रामनारायण चौधरी से भी ऐसे स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मैं राज्य सरकार से इस विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

Page No.39

(श्री अध्यक्ष)

कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है जो इस प्रकार है:—

1. श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री वालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान पाक सीमावर्ती क्षेत्र में अराष्ट्रीय गतिविधियों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने तहसील नोहर व भादरा के भूमिहीन किसानों को माह जून व जुलाई, 1971 में अलाट की गई भूमि के पट्टे न दिए जाने और न उन्हें मौके पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. जिला गंगानगर की सीमावर्ती मण्डियों में कृषि उपज का माल व्यापारियों द्वारा मंदे भाव से किसानों से खरीद कर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार के सन् 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी के लिए वचनबद्ध होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. इन्हीं माननीय सदस्य ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए एक जांच कमेटी बिठाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. श्री मनोहरसिंह मेहता ने निवृत्त हुए मन्त्रियों को नाम मात्र किराये पर वे सब बंगले दिए जाने के सम्बन्ध में जो उनके पास मन्त्री होने के समय में थे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर नगर में पुलिस व अन्य विभागीय अधिकारियों के जुल्म व अत्याचार के कारण कई व्यक्ति मारे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्कूटर काण्ड के बारे में भी है।

श्री अध्यक्ष : उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तहसील नोहर और भादरा में भूमि अलाटमेंट के सम्बन्ध में, जो गत जून जुलाई के महीने में एक हजार भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलाट की गई थी उनको उस भूमि के पट्टे सौ-दो सौ रुपया लिये बिना नहीं दिये जा रहे हैं, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और उस पर आपने यह व्यवस्था दे दी कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। तो मैं फिर

Page No.40

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आपसे पूछना चाहता हूं कि कौनसा विषय लोक महत्व का है। एस. डी. ओ, ने आज तक इन लोगों को पट्टे नहीं दिये हैं जिस भूमि का कि भूमिहीनों को कब्जा दे दिया गया हैं और सरे आम भ्रष्टाचार चल रहा है और इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और जानबूझकर के इन अधिकारियों के द्वारा उन लोगों को लूटा जा रहा है। एक तरफ एक हजार भूमिहीन काश्तकारों की जिन्दगी का सवाल है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी अधिकारी इस राज्य में पल रहे हैं और इस प्रश्न को आप यह कह कर टालना चाहते हैं कि यह विषय अविलम्नीय लोकमहत्व का नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार क्या इस प्रकार की समाजवाद की नीति को चला कर शासन करना चाहती है? क्या सरकार को मालूम नहीं है कि किसानों को पांच पांच महीने से पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं और जो पैसा दे उनको पट्टा दे दिया जाये? क्या यही इस सरकार की नीति है। यह तो अन्धेर हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, सम्बन्धित मन्त्री महोदय को पत्र लिखा। उस पर आश्वासन भी दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह जो धांधलेबाजी मचा रखी है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन के अन्दर कि आज इस विषय पर तय होना चाहिये। मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस प्रकार के अधिकारी को मुअत्तिल करना चाहिये उसके घर पर छापा मारा जाये परन्तु उसको सूचना दी गई और उसको यहां पर बुलाया गया और इस बीच में उसने एक लाख रुपया कमाया और आज तक वह पट्टे अपने घर पर रखे हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं किस तरह से इस मामले को उठाऊं और इस सरकार को समझाऊं। क्या ये भ्रष्टाचारी मन्त्री इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से इस जनता का पीछा छुड़ायेगें या नहीं? मैं सिंचाई मन्त्री जी के घर पर गया, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय को यहां पर बिठाकर उनसे इस विषय में स्टेटमेन्ट दिलाया जाना चाहिये।

दूसरा, मेरा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय सीमावर्ती मन्डियों में व्यापारियों द्वारा किसानों का माल मन्दे भाव से खरीद करने के सम्बन्ध में था। वहां के व्यापारी उनका माल मिट्टी के भाव खरीद रहे हैं। मैंने इस विषय में सरकार के सम्बन्धित मन्त्री महोदय को लिखा। पंजाब सरकार ने काश्तकारों का माल खरीदने के लिये इन्तजाम किया है और इस सरकार ने ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी के लिये सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई इन्तजाम नहीं किया है। गंगानगर में पीने का पानी नहीं है। आज तक इस सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। आज तक उन लोगों को कोई राहत नहीं दी गयी है। आपने कहा कि मेरा प्रस्ताव जानकारी के लिये भेजा है। मैं पूछता हूं, किस बात की जानकारी के लिये? क्या

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जानकारी कर रहे हैं। क्या 18 घंटों में सरकार को जानकारी नहीं मिल सकती है? 18 घंटे हो गये स्थगन प्रस्ताव को दिये और इस समय में सरकार जानकारी नहीं दे सकती और आज शाम को यह सरकार भागने वाली है। फिर मैं किससे पूछूंगा?

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इसका आज ही जवाब दिलाइये। मैं समाप्त नहीं करता, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब कर ही दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर आज स्टेटमेन्ट दिलाइये अगर नहीं दिलाते हैं तो मैं नहीं मानूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको आज फैसला करना होगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस निश्चय के साथ में आया हूं कि अगर आपकी आज्ञा का, हालांकि अभी तक उल्लंघन नहीं किया है, और आज उल्लंघन भी करना पड़े तो उल्लंघन करूंगा। इसके लिये जो भी सजा भोगनी पड़े मैं तैयार रहूंगा। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आपने यह नारा लगाया था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाकर रहूंगा या मर जाऊंगा...

(शोरगुल)

आप सुनियेगा, यह मैंने अखबारों में पढ़ा है....

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : मैंने यह कहा है, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा या स्वयं खत्म हो जाऊंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : और क्या चाहिये, मैंने जीता जागता सबूत पेश कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : 8 महीनों से यह धांधली चल रही है...

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो माननीय सदस्य का भाषण।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यह मानता हूं कि आपने जीप गाड़ियों का प्रयोग कम किया है और मंत्रियों की संख्या में भी कमी की है परन्तु मंत्रियों को वही बंगले 80-रुपये में आपने कर दिये। मैं जानता हूं इन मन्त्रियों को इसके लिये शर्म नहीं आती है। होना तो यह चाहिये था कि ये भूतपूर्व मन्त्री महोदय इन बंगलों को स्वयं ही छोड़ देते परन्तु ये मन्त्री लोग उन्हीं बंगलों में अपना डेरा लगाये हुए हैं आपने यह निर्णय ले लिया कि ये

XXXX अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

80/- रुपया किराये दे दें। इनको गवर्नमेंट होस्टल में आना चाहिये था। गवर्नमेन्ट होस्टल में जगह जैसे और विधायकों को मिलती है इनको भी मिलती और जगह नहीं मिलती तो और विधायकों को जैसे दो सौ रुपया देते हैं इनको भी देते। दो सौ रुपयों में और विधायक क्या करते हैं ? इसमें उनको लाइट का इन्तजाम करना होता है, पानी का इन्तजाम करना होता है और फर्नीचर का भी इन्तजाम करना पड़ता है। परन्तु आपने इन लोगों को बंगला दे दिया। यह नहीं सोचा कि बिहार की तरह यहां पर भी बार बार मन्त्री बनते तो एक भी बंगला क्या इस तरह से बाकी रहता ? आप इन लोगों से बंगलों को खाली करावें। इन्होंने आपसे मिलकर राज्य के खजाने पर डाका डाला है। अगर मुख्य मन्त्री इस राज्य से भ्रष्टाचार को खतम कराना चाहते हैं, तो ये बगले इनसे खाली कराने चाहिये। आपको मेरी यह बात माननी चाहिये। आपके पास में जो मन्त्री महोदय बैठे हैं वे अपने आपको समाजवादी कहते हैं। मैं उनके एक समाजवाद का उदाहरण बताना चाहता हूं–ये मन्त्री हैं शिवचरण माथुर। जब मेरे पीछे चार चार नौकर फिरते थे ये स्वयं अपना खाना हाथ से पकाते थे ...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। यह अच्छी बात नहीं है कि यहां पर कही जाये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि आजादी के पहले इन मन्त्रियों की क्या स्थिति थी। इनको दो जून खाने को नहीं मिलता था और आज उन्हीं के बंगलों के सामने कारें खड़ी हैं, उनका आज बैंक बेलेन्स है, उनके पास बस का परमिट है, खेती की नहरी जमीन है। इसके लिये मैं यह चाहता हूं कि आप एक जांच कमेटी बिठाकर तुरन्त इसकी जांच कराइये।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सन् 1972 तक पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा की थी। आपको मालूम होगा जब बाबर मरने वाला था तो उसने सभी स्वर्ण पात्रों को तोड़ दिये था, बोतलें तोड़ दी थी और उसका परिणाम क्या हुआ ? मुगल साम्राज्य हिन्दुस्तान में फैल गया और औरंगजेब के पोतों ने वहां साम्राज्य सुरा और सुन्दरी में डूब कर नष्ट कर दिया उसका अन्त हो गया। मैं मानता हूं कि आप सच्चे हैं लेकिन फिर भी शराबबन्दी नहीं कर रहे हैं। मेरा शोभारामजी जैसे व्यक्तियों के प्रति आदर है लेकिन यह शक्कर की बोरी भी नमक हो गई है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पर्याप्त नहीं है। 72 तक की घोषणा को आप कार्य रूप में परिणित करिये वरना यह गांधीजी का चित्र यहां से हटा दीजिये। अगर आप इस चित्र को यहां से हटा देते है तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा मुझे चाहे जो आप करें। लेकिन 72 तक पूर्ण नशाबन्दी कर लेंगे या नही या देश को डुबोएंगे शराब में ? शराब के मद में मदहोश बनाकर आप आजादी को खत्म करना चाहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ×××

श्री अध्यक्ष : दोनों कार्नर आपके रहेंगे-खड़े भी रहेंगे और बोलेंगे भी सही।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपकी आगे की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा जब तक कि इन तीन बातों का जवाब नहीं देते हैं कि बगले खाली करवायेंगे या नहीं, कमेटी बिठायेंगे या नहीं ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ×××

श्री अध्यक्ष : कहां तक बोलेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : ×××

श्री अध्यक्ष : देखिये, स्थगन प्रस्तावों पर जब मैंने निर्णय दे दिया तो निर्णय के बाद कोई प्रश्न उस पर नहीं करने दिया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इजाजत दी, लेकिन जब सैनिक लड़ने जाता है तो वह यह जानता है कि उसको गोली खानी पड़ेगी। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मैं जानता हूं कि मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं गांधीवादी हूं, सजा में विश्वास नहीं करता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो जवाब दिलवाइये। मैं बैठूंगा नहीं और आपकी कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। मैं इस निश्चय के साथ आया हूं कि यह आपको करना पड़ेगा और जवाब दिलाना होगा। मैं आपकी कार्यवाही आगे नहीं चलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपके धैर्य की और मेरे धैर्य की परीक्षा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शुरूआत इन्होंने की है...

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप हंसते हंसते कह रहे हैं। शराब के अन्दर डूबे हुए हैं और गांधीजी का नाम किस मुंह से लेते हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य) ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्यों शराब बन्द नहीं करवाते हो ? क्यों गांधीजी के देश को डुबो रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो स्थगन प्रस्ताव हैं उनमें तो कोई जानकारी का सवाल ही नहीं है। सरकार जब चाहे जिस प्रकार का उत्तर दे सकती है। यह सारी उद्विग्नता केवल इस कारण से है कि आपने

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

स्थगन प्रस्तावों को जानकारी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है।

श्री अध्यक्ष : आपका तो शायद नहीं भेजा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए नहीं भेजा है कि जानकारी है। जिस समय वे चाहें उत्तर दे सकते हैं। उद्विग्नता का कारण यह है कि स्थगन प्रस्ताव आपने देखे होंगे कि काफी संख्या में आये हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि उनमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो कि महत्वपूर्ण न हो जिसका राजस्थान के जन-जीवन से सम्बन्ध न हो, या जिससे प्रशासन का किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो। ऐसी स्थिति में इस सदन के सामने माननीय सदस्य उनके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं जबकि सदन की कार्यवाही केवल एक दिन के लिए बुलाई है, और उसे केवल एक दिन के लिए आप यह कह कर चलते हैं कि सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है। तो विश्वास तो यह होता है कि सदन की कार्य-वाही आगे तक चलेगी, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम आपने प्रसारित किया है उससे यह आभास होता है कि सदन की कार्यवाही केवल एक दिन ही चलेगी। बहुत सारे स्थगन प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था दी है तो जानकारी करने के बाद कब इसकी सूचना की जाएगी ? मैं राज्य सरकार से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की मन्शा यह है कि सदन की कार्यवाही केवल आज सायंकाल तक चलेगी ? माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह जानकारी होगी कि लगभग 24 विधेयक राजस्थान विधान सभा में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किये हुए हैं उनमें से कइयों के प्रवर समिति के प्रतिवेदन आये हुए हैं। लैण्ड रिफार्म्स एण्ड जागीर रिजम्पशन का यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है, कालोनाइजेशन एक्ट में जो पेंडिंग बिल है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, किरायेदारों का बिल है, इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण, लगभग 24 विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछले सत्र में इसी सदन में उत्तेजना फैली थी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तो आपने सदन को विश्वास दिलाया था कि अगले सत्र में उस पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से विजिलेन्स कमीशन की दो रिपोर्टें हैं। जिन पर चर्चा की जानी शेष है। उनपर अभी तक चर्चा नहीं की जा सकी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई है, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक बजट पर सदन ने अपनी राय नहीं दी, रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन की रिपोर्ट है उस पर चर्चा नहीं की जा सकी है और इस सदन को यह भी जानकारी है कि विश्वविद्यालय के मसलों पर इस सदन में कई बार कई प्रकार के प्रश्न उठे हैं और सरकारी पक्ष की ओर से बराबर यह आश्वासन दिया गया है अगले सत्र में चर्चा की जायेगी, उस पर निर्णय नहीं हुआ है। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकारी होगी कि अगले वर्ष के प्लानिंग में लाखों की कटौती प्रस्तावित की गई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की बड़ी विकट स्थिति है उस पर चर्चा की जाना आवश्यक

(श्री भैरोंसिंह)

है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान के ऊपर ओवरड्राफ्ट की स्थिति, फेमिन का जो कर्ज भारत सरकार से लिया है वह स्थिति, बंगला देश की स्थिति और साथ ही सीमा के ऊपर पाकिस्तान के आक्रमण करने की तैयारी से उत्पन्न स्थिति, आदि हैं जिन पर निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से इस पर चर्चा नहीं होगी और सरकार ऐसा समझ कर चल रही है और इस सारी विधान सभा को बाई पास करने की कोशिश करना चाहती है। बाई पास करने का दृष्टिकोण इसलिये सामने लग रहा है कि बंगला देश के शरणार्थियों के लिए धनराशि एकत्रित करने का जो कि केन्द्रीय सरकार ने आर्डिनेन्स इश्यू करके कर लगाने का स्वीकार किया है उसके अन्तर्गत मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार करें या नहीं, किन्तु इस विधान सभा के स्थगित होते ही राजस्थान सरकार स्वयं लाखों रुपयों के कर आर्डिनेन्स के रूप में लगायेगी, और इसी आधार पर वह सदन को बाई पास करना चाहती है। मैं आपसे मुख्य मंत्री जी एक जानकारी चाहूंगा कि वे विधान सभा को बाई पास करके इस लोकतन्त्रीय व्यवस्था पर इस प्रकार से आघात क्यों करना चाहते हैं जिसके कारण से पिछले 6 महीनों में राजस्थान में जिस प्रकार की राजनैतिक या प्रशासनिक गतिविधियां रही हैं उन पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सके? इस बात का विश्वास देते हैं कि इन सब प्रश्नों पर चर्चा की जायगी और विधान सभा की बैठकों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायगी, तो मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों द्वारा उद्विग्नता प्रकट की गई है उसका काफी अंशों में समाधान होगा जो कि इस स्थिति में निर्णायक है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए आपसे दरख्वास्त की है कि अभी दो बजे बुला लें तो मैं समझता हूं कि सारी बातें बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में निश्चित कर लेंगे और सदन की बैठकें कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप स्ट्रिक्टली बिजिनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं तो स्ट्रिक्टली वहां बिजिनस डिसकस हो सकता है जो कि गवर्नमेंट स्पोन्सर करती है। गवर्नमेन्ट के पास कोई बिजिनेस नहीं है तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी आगे आप इन्फेक्चुअली करे या नहीं। अच्छा हो कि आप हाउस में यह कहें कि आगे आप चलाना चाहते हैं या नहीं, और यदि आप चलाना चाहते हैं तो कौन सा बिजिनेस लिया जायेगा, प्राइवेट मेम्बर्स बिजिनेस कौनसा होगा, आफिशियल बिजिनेस कौन सा होगा और उसके लिए समय निर्धारित करें और बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी उसका क्रम निर्धारित करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप से (मुख्य मंत्री) तो यह उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोकतान्त्रिक व्यवस्था के बहुत बड़े हामी हैं और सदन को बाई पास करने की चेष्टा नहीं करेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में इतने गम्भीर मसले होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार विधान सभा को बिजनेस नहीं दे सके

(श्री भैरोंसिह)

मैं आपसे निवेदन करूं कि इन मसलों पर कब तक विचार नहीं होगा। राजस्थान सरकार बिजनेस को तैयार करेगी, वही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाकर विचार किया जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां: अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बोलना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कई एडजोर्नमेण्ट मोशन हैं। भादरा से आये माननीय सदस्य का है। मेरा भी है। वह भी बोलेंगे। क्वेश्चन यह है कि जो 20 वर्ष मे नहीं हुआ है, वह आज विधान सभा को एक ही दिन में समाप्त करके भाग जाना चाहते हैं। भागने के लिए कोई एमरजेंसी होती, वह इस वक्त है नहीं। प्रधानमन्त्री अभी आयीं नहीं। एमर्जेन्सी डिक्लेयर नहीं हो, लड़ाई छिड़ी नहीं। सीमा पर संकट नहीं आया है। उस समय तक हाउस को कान्फीडेंस में लेकर आप को चलना चाहिए। कान्स्टीट्यूशन के एक बिल को पास करने के लिए आपने हाउस बुलाया। दूसरा नोटिस आ गया कि वह मोशन मूव नहीं होगा। यह सदन डिप्राइव होगा। यह हमारा फण्डामेण्टल राइट है कि हम डिस्कशन करें। राष्ट्रपति के स्वीकृति दे देने के बाद वह बिल रिडण्डेण्ट हो गया है। राज्य सरकार ने इस सदन को जल्दी न बुलाकर इस सदन के कन्स्टीट्यूशनल राइट को डिप्राइव किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

विजोलिंस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, यह सरकार डिबेट अलाऊ नहीं करती है। नतीजा यह हुआ है कि जोधपुर विश्वविद्यालय हमेशा के लिए बन्द पड़ा है। ऐसी हालत मे जोधपुर विश्वविद्यालय बन्द पड़ा रहे। यह सरकार आखिर राजस्थान को बनाना क्या चाहती है? क्या हम जनता के चुने हुये नुमाइन्दे नहीं है? ढाई करोड़ जनता को गिरवी नहीं रखा हुआ है। राजस्थान के चुने हुए नुमाइन्दे हैं। इस सदन में बैठकर हम समस्याओं पर विचार करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

शिक्ष्यूल्डकास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट है, अन्यान्य रिपोर्ट्स हैं। इस सारे मामले में सरकार यह आश्वासन देने को तैयार नहीं है। कान्स्टीट्यूशनल फार्मेलिटी पूरी करने के लिए आप चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हरिदेव जोशी बैठे हुये हैं। उनसे कहिये अभी हंगामा शुरू होगा, और अध्यक्ष महोदय कह देंगे कि अनिश्चित काल के लिए यह सदन स्थगित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

Page No.47

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको दिक्कत क्या है। क्या आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं ? आपने तो खुद ने बेदाग आदमी लिये हैं। दागी थे उनको छोड़ दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सुखाड़िया जी आकर चले गये। आपके ऊपर इन्दिरा जी का हाथ है। जो 20 साल से मंत्री रहे हैं, आज वह मंत्री नहीं है। मंत्रि-मण्डल में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कभी बादशाह बने थे, उनको गुलाम बना दिया है। आपकी गवर्नमेंट तो इस वक्त गिरने वाली नहीं है। नो कान्फीडेन्स आयेगा नहीं . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह तो हम भी जानते हैं। आपकी सरकार गिरने वाली नहीं है। यह लोग हिम्मत करने वाले नहीं हैं। जितने राजस्थान के लोग हैं, वह हिम्मत करने वाले नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस व्यक्ति के साथ कोई भी एम. एल. ए. न हो, ऐसा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना बैठा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हाऊस चलेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करने के लिए चाहता हूं . . .

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, . . .

एक माननीय सदस्य : ये क्या बोलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये बोल नहीं सकते हैं, ऐसा प्रिज्यूम करके कैसे चलते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : कायदे से बोलेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय करीब 6 महीने के बाद मिल रहे हैं

श्री सुरेन्द्र व्यास (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, समय मुझे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा मोशन सदन के सामने आये, इसमें कोई खास चिन्ता की बात नहीं है। राज्य सरकार से आपको कोई जानकारी चाहिए तो कल विचार हो जाये। जैसे कि आम राय बनी हुई है कि इस सदन को एडजोर्न कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। 7 दिन मिलने चाहिए या 10 दिन मिलने चाहिए। राज्य सरकार का जितना बिजनेस होगा, वह हाउस में रखेंगी

Page No.48

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और सदन चलायेगी। अध्यक्ष महोदय मैं दो महत्वपूर्ण विषयों पर कहना चाहूँगा। एक तो बोर्डर के बारे में, जैसा कि सतीशचन्द्र जी का मोशन है। मेरा भी एक सबस्टेंटिव मोशन है। आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। किस प्रकार की जानकारी सरकार इकट्ठी करना चाहती है। ऐसी कौनसी जानकारी है जिस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जोधपुर विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया गया है। अखबारों में खबरें आ रही है कि छात्रों ने घिराव किया। छात्रों ने कुछ मांगें रखी जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं जोधपुर में उपस्थित रहते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की है। उसके बाद गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाया गया कि पुलिस निष्क्रिय रही है। उधर वाइस चांसलर ने रेजिगनेशन दे दिया। वह फिर वापिस भी ले लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वह कौन सा प्रावधान है, जिसके अनुसार उपकुलपति इस्तीफा वापिस ले सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं कि हमें एजूकेशन मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य। मैंने जानकारी की भेज दिया है। अब कौनसा है आपका जो उठाये गये हैं प्रश्न, उसको उठायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को खुद को मामले की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज!

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन चलाना चाहते हैं . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

2 प्रश्न हैं जिन पर कल विचार किया जाएगा। कल आशंका है कि सदन नहीं चलेगा तो आज विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर!

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मन्त्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 5 स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। प्रश्न यह है कि इस बारे में स्थिति साफ होनी चाहिए। हम यह नहीं चाहते, जैसा कि मेहताजी बोले या आर्यजी बोले। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति रखी है कि जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, हम इसे आगे नहीं चलने देंगे। उनकी सम्भावना यह है कि आगे फिर आयेगा या नहीं। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। गवर्नमेण्ट का यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम मिलें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किन्तु कई माननीय सदस्यों को यह भी सन्देह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मिलने के बाद हम मिलेंगे या नहीं। यह कहा जाये तो इस पोजीशन में हम जाना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेण्ट कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट का एक बिल सरकुलेट किया है। राष्ट्रपति के स्वीकृति देने के बाद वह रिडण्डेण्ट हो गया है। इसलिए बिजनेस नहीं रहा। चूंकि 6 महीने के बाद असेम्बली बुलाना जरूरी था तो यह एक म्युनिसिपैलेटी का बिल है। इसके लिए सुबह 11 बजे हम मिल गये। इसलिए कन्स्टेट्युशनली वह पूरा हो गया है। इसलिए हाउस स्थगित कर सकते हैं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को कहूंगा कि आपको हाउस में पहली बार नेता बनने का मौका मिला है। जनता में एक पुराना असन्तोष रहा है। आप भी उसके अंग रहे हैं। पहली असेम्बली के बाद अब आप क्या दिखाना चाहते हैं। पहले असेम्बली अचानक भंग होती रही है। यह पहले से ही होता रहा है। हमारा यह निवेदन है, विधान सभा में जो भी गवर्नमेंट के पास बिजनेस हो वह डिस्कस होना चाहिए अथवा नान आफीसियल बिजनेस हो वह डिस्कस होना चाहिए। यह कहना कि पार्लियामेन्ट का सैशन 15 नवम्बर से शुरु होने वाला है इसलिये आगे नहीं चलाया जा रहा है यह कहां तक उचित है। यह उत्तर दे देना कि पार्लियामेन्ट का सैशन है आगे विधान सभा नहीं चलेगी। ऐसी सम्भावना की माननीय सदस्यों के मन में धारणा बनी हुई है। इसलिये अध्यक्ष महोदय बड़ी असाधारण स्थिति बनी हुई है। मेरा निवेदन यह है कि यह स्थिति साफ हो जाय जो कार्यसूची हमें दी हुई है इसमें एक दिन ही विधान सभा का कार्यक्रम चलने का दिया हुआ है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसके कारण सदन बहुत कम चलने की गुन्जायश है। मैं तो समझता हूं कि सदन चलना चाहिये। हम सभी सदस्य 6 महीने बाद मिले हैं और चूंकि यह विधान सभा का आखिरी सत्र है और इसे अगर इस प्रकार जल्दी समाप्त कर दिया जायेगा तो जो कई इम्पोर्टेन्ट बिल्स हैं, कई रिपोर्ट्स हैं वह डिस्कस नहीं की जायेगी, जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट जो कमीशन ने दी है इन सभी पर डिस्कशन जो कि बहुत जरूरी है। विधान सभा के खत्म हो जाने से सभी बिल्स लैप्स हो जायेंगे। नई विधान सभा आयेगी तब नये सिरे से कार्यवाही होगी। और इस प्रकार जो सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये वह सभी बेकार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, केवल बिल्स ही नहीं बल्कि कई प्रवर समिति की रिपोर्ट्स भी हैं जो कि तैयार हो चुकी हैं और सिर्फ एक्ट बनने की उसमें देर नहीं है। वह सभी मेहनत की हुई बेकार हो जायेगी। इसी प्रकार कई कमीशन्स की रिपोर्टस सभा पर इस विधान सभा के सत्र के खत्म होने से पहले अगर विचार नहीं किया गया तो वह सभी बेकार हो जायेगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस सारे कार्य में जो सरकार का पैसा लगा है और जो मेहनत की गई है उन इम्पोर्टेन्ट मसलों पर

Page No.50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विचार किया जाय तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय मेरा आपकी मारफत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके इस सदन को यह आश्वासन दे कि यह सदन कम से कम तीन दिन और चलेगा। अगर ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नहीं चला सकते हैं तो कम से कम तीन दिन तो आगे और चलायें ही जिससे कि यह सारी कार्यवाही हो सके। मैं इसी के बारे में मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द जी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बस मेरा यही निवेदन है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं भी दो शब्द इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा और विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं आज सभी माननीय सदस्यों में यह भावना बनी हुई है कि इस सदन को जल्दी ही समाप्त किया जायेगा और इस तरह से इस सदन को बाई पास किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में तो अगर वास्तव में ऐसा किया गया तो मैं यह मुख्य मन्त्रीजी के लिए अशोभनीय मानता हूं। जो कार्य सूची हमें मिली है उसके अनुसार तो ऐसा ही दिखाई देता है कि यह सदन शायद एक दो दिन में ही समाप्त हो जायेगा। मेरी धारणा तो यह है कि, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह से सदन को बाईपास नहीं करे और जो हमारी संवैधानिक परम्परायें हैं उसके अनुकूल कार्य करे। नहीं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे संविधान की परम्पराओं का एक तरह से मखौल उड़ाना है। इसलिये हमारी संविधान की परम्पराओं का मखौल नहीं उड़े और सदन की गरिमा को बाईपास करके ठेस नहीं लगे ऐसा करना सरकार के लिए परम आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में तो यह संविधान की परम्पराओं का मखौल तो उड़ाया जायेगा ही और उसके साथ-साथ यह एक दूसरा रूप भी धारण कर लेगा जिसे हम एक तरह से अधिनायकवाद कह सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों के खिलाफ जो कि अब मन्त्री नहीं रहे उनके बारे में उनके बंगलों के बारे में, विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे, में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के बारे में, कई बिल्स हैं जिनके बारे में चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जाय और उसके लिए मेरे ख्याल में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग बुलायी जाय और इसके लिए कार्यवाही की जाय ताकि सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यह आश्वासन इस सदन को दें कि सदन की कार्यवाही चलेगी और सरकार विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं का उपयोग करेगी और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सदन को बाईपास कर देते हैं तो मेरी धारणा यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की भी यह अधिकार है कि एक अविश्वास का प्रस्ताव इस मन्त्रिमण्डल के खिलाफ लाया जाय। तो मैं कुछ ज्यादा न

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कहकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कोई संतोषजनक उत्तर इस सदन में दे ताकि जो यह सदन को बाईपास करने की भावना माननीय सदस्यों में फैली हुई है समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि विधान सभा से जो कार्यसूची मिली है उससे ऐसा संकेत होता है कि यह सदन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर यही बात सही है तो मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों की भावनाओं पर कुठाराघात है। क्योंकि जो भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे वे कर नहीं पायेंगे। इसके अलावा मैं भी ऐसी परिस्थिति में अपने विचार इस सदन के सामने रखने में असमर्थ पाऊंगा। इससे मैं दो बातों का मतलब निकाल पाता हूं पहला तो यह कि सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं है इसलिए सरकार ज्यादा दिन तक सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहती है जो बात सही नहीं है। सरकार के पास बिजनेस तो है। दूसरे पिछले सदन में कुछ मन्त्रियों के खिलाफ आरोप लगाये गये थे और बाद में नये मंत्रिमण्डल ने शपथ ली तो बड़े जोर शोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ घोषणायें की थीं। तो हमने सोचा शायद यह सभी इस सदन को विश्वास में लेने के लिए किया गया होगा और जो घोषणायें की गयी थीं उनकी क्रियान्विति के संबंध में इस सदन को अवगत कराया जायेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ बल्कि इसके विपरीत ऐसा दिखाई देता है कि सरकार चूंकि अपनी घोषणाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकी है इसलिए शायद इस सदन से भयभीत है या फिर ऐसा है कि सरकार सदन की उपेक्षा करना चाहती है या शायद सरकार को यह वहम है कि कहीं विधान सभा का सत्र ज्यादा दिन तक चला तो उनके पक्ष के सदस्य दूसरी ओर जाकर बैठ जायेंगे और सरकार के साथ नहीं रहेंगे इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस समय हो सकते हैं पर उन सभी मुद्दों को सरकार नजर अन्दाज कर रही है और सरकार ने सदन के बिजनेस को कट शोर्ट किया है ऐसा मुझे लगता है इसलिए अध्यक्ष महोदय जब तक सदन के नेता यह घोषणा नही करें कि सदन कब तक चलेगा तब तक मैं कुछ अधिक नहीं कह कर इस बात के लिए आग्रह करता रहूंगा कि सदन और चलना चाहिये और संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत मैं सदन के नेता को आपके माध्यम से जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यह निवेदन करूंगा कि सदन को आगे और चलाया जाये। मेरा निवेदन है कि सदन के नेता को चाहिये कि वह विपक्ष के सदस्यों को विश्वास में ले। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के उन्मूलन की नीति की घोषणाएं की थी उन्हें इन्होने इतने दिनों में किस हद तक क्रियान्वित किया हैं उसकी जानकारी सदन को दें और जो क्रियान्वित नहीं हो सकी है तो उसके क्या कारण है उनकी क्रियान्विति जो अब तक हो सकी है और उसके अन्दर जो बाकी रह गयी हैं उसमें क्या क्या रोड़े आते हैं उन सभी बातों के बारे में सदन में बताया

(श्री दौलतराम सारण)

जाय। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन, करूंगा कि आप अभी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं और आप जो कार्य करने की घोषणायें कर चुके हैं उन्हें पूरा करने में रोड़ा अटका रहे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन को एक निश्चित समय तक बढ़ाया जाय मेरी तो यह मान्यता है कि सदन का बिजनेस कम से कम एक हफ्ते तक चलना चाहिये। इसलिये अभी जो सदन के मान-नीय सदस्यों में यह भ्रम है कि सदन की कार्यवाही तुरन्त स्थगित कर दी जायेगी और ये भाग जायेंगे यह समाप्त हो जायेगी ऐसा करने से मैं समझता हूं कि आपमें सदन को फेस करने के नैतिक साहस की कमी है या आपको कोई ऐसी आशंका है जिससे कि आप भयभीत हो रहे है। अध्यक्ष महोदय, मैंने चार स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं। इन चार स्थगन प्रस्तावों में एक बहुत ही जरूरी स्थगन प्रस्ताव है और महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्तावों की श्रेणी में आता है जिस पर निर्णय लेना तुरन्त आवश्यक है। यह भी मुझे पता है कि चारों स्थगन प्रस्ताव लिये नहीं जा सकेंगे क्योंकि एक प्रोसिडिंग्ज में एक माननीय सदस्य का एक ही स्थगन प्रस्ताव डिस्कस किया जाता है। इसी प्रकार मेरे अलावा भी और भी कई माननीय सदस्य हैं जिन्होंने भी कई स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं जो कि अत्यन्त आवश्यक नेचर के हैं जैसे श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया श्री सतीशजी ने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। नियमों के अनुसार तो एक एक ही स्थगन प्रस्ताव डिस्कस हो सकता है लेकिन चूंकि सर-कार के पास दूसरा हाउस चलाने के लिये बिजनेस नहीं रखा हुआ है इसलिये मैंने चार स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं ताकि यह आशंका नहीं रहे कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था इसलिये सदन की कार्यवाही नहीं चली इस कारण से मैंने यह चार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं ताकि सदन के माध्यम से जनता की अधिक से अधिक जो समस्यायें हैं जो उन पर विचार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय बड़ी विषम परिस्थिति है अभी हम महिने बाद मिले है पहला सेशन 25 मई को समाप्त हुआ था उसके 6 महीने 25 नवम्बर को होते है और चूंकि संविधान के अनुसार 6 महिने के अन्दर सदन की कार्यवाही होना जरूरी है इसलिये इन्होंने 10 नवम्बर को सत्र बुलाया है जो आवश्यक होता हैं नहीं तो सरकार को अपने आप थोड़े दिन बाद इस सदन को बुलाना पड़ता और नयी परि-स्थितियां और नयी घोषणायें और नये कार्यक्रम सदन के सामने रखते। उन्हें साहस तो इसका अभी नहीं हुआ। खैर कानूनी अवधि समाप्त होने के दस दिन पहले अव-सर दिया इस सदन को बुला कर। पूरे प्रोग्राम के साथ आना चाहिये था लेकिन खेद है, पूरे प्रोग्राम लेकर नहीं आये कहा गया कि दागी लोगों को छोड़ दिया और बेदागी लोगों को साथ लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये दागी नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : है या नही, मैं तो आपकी घोषणाओं के अनुसार कह रहा हूं। सेन्टर ने कहा कि ऐसे लोगों को

Page No.53

(श्री दौलतराम सारण)

मंत्री मंडल में नहीं लिया जावेगा जो दागी लोग हैं। आपने अब तक उन बेदागी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? जिन लोगों पर सदन के अन्दर गबन घोटालों के आरोप लगते आये हैं इसके लिये कोई जांच कमीशन बिठाया है ? क्या कोई आपने हाई पावर कमेटी नियुक्ति की है ? क्या आपने प्रशासनिक दृष्टि से जांच करायी हैं ? भ्रष्टाचार हुआ···

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो खुद मर मिटूंगा, जोधपुर चला जाऊंगा, यह आप कहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जिनके खिलाफ सदन के अन्दर लगाये गये हैं उनके ऊपर आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण : आज राजस्थान ज्वालामुखी पर खड़ा है। पाकिस्तान की तोपें आज राजस्थान की तरफ मुंह किये हुए खड़ी है। इधर सारी समस्याओं को सदन के माध्यम के द्वारा जनता के सामने रखना चाहते है। मुजाहिद, घुसपेठिये यहां पर बार बार भेष बदल कर भेजे जा रहे हैं। ये सारी बाते क्या हम बरकत साहब के कानों में जाकर कहें। हम किन के माध्यम से ये बातें कहें ? गंगानगर और बाड़मेर के लोगों के सामने क्या समस्यायें हैं ? सात साल अकाल से मरते रहें है और आज फिर अकाल सामने आगया है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्री, अच्छा होता, ये सारी तैयारी करके आते। अब यह घोषणा करके सदन को विश्वास में ले तो उचित कदम होगा वरना दुर्भाग्य है इस देश का और प्रान्त का कि यहां पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की हमेशा ही उपेक्षा होती रही हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आने का मुझे डर नहीं लगता है। जहां तक मेरी पार्टी मेरे साथ है यह कहने में मुझे कोई शंका नहीं है। नो कान्फीडेन्स मोशन आया तो ओपोजिशन में ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद आपको वोट नहीं देंगे और इधर वोट देंगे।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

इसलिये इस डर की वजह से नहीं, किन्तु केवल इतना सा है कि कोस्टिट्यूशनल अमेन्डमेन्ट किया जाना है इसलिये शोर्ट सेशन का सवाल है। मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि कल सदन जरूर चलाऊंगा। फिर बात कर तय कर लेंगे। कल तक सदन जरूर चलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग 2 बजे रखी है ये सारी बातें वहां पर रख दी जावेंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल तक सदन चलाने की बात कही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे प्रश्न का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

Page No.54

श्री भैरोंसिंह : कल मैंने लिखित में एक प्रस्ताव द्वारा निवेदन किया था कि श्री पूनमचन्दजी विश्नोई जो विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, वे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिये गये और उनके स्थान पर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना चाहिये ...

श्री बरकतुल्ला खां : मैं मानता हूं डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : न कार्यक्रम रखा है और न कुछ।

श्री अध्यक्ष : आज रख देंगे 2 बजे।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे 4 स्थगन प्रस्ताव हैं। एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : काफी समय होगया है : आप गतिरोध पैदा न करें। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

(श्री देवीदत्त गाडिया के बोलते रहने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने दो माननीय सदस्यों को समय दिया।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त समय हो गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कमेटी बिठाने के बारे में घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा सचिव विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है वह प्रस्तुत करेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :-

(1) राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971।

(2) राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971।

(3) राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971।

(4) भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969।

(5) राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) विधेयक, 1969।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : सचिव महोदय को परम्पराओं का ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह पर्याप्त हुआ। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सचिव : (ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :-

(श्री सचिव, विधान सभा)

(1) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971।

(3) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971।

(4) राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971।

(5) राजस्थान चलचित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, 1968।

(6) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971।

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन आदि का उपस्थापन।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे स्थगन प्रस्तावों का आप उत्तर दिलायेंगे ? एस. डी. ओ. के बारे में प्रस्ताव दिया। दो प्रस्ताव और हैं। उनके बारे में आज उत्तर दिलायेंगे या कल ?

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्री। निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नारायणसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय···

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने प्रस्ताव दिया उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने प्रस्ताव दिया उसका क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : यस, उद्योग मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रस्ताव दिया उसका उत्तर दिलायेंगे या टालने की चेष्टा है ? भूमिहीनों का प्रश्न है···

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री नारायणसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 (निगम के चेयरमैन के वक्तव्य सहित)।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज ही उत्तर दिलाया जाय और इसको टालने की चेष्टा नहीं की जाय।

अधिसूचनायें एवं प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रोन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ प्रतिवेदन और अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखना चाहते है मैं आपका ध्यान नियम 169 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न पर ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल :ये जो अधिसूचनाएं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और प्रतिवेदन आदि-आदि सदन के अन्दर रखने चाहिये, और शराबे में आप कहते रहते हैं बोलने वाले बोलते रहेंगे, सदन के अन्दर रख दिये जायं।

अधिसूचनाएं पार्ट (ख) 25 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ होती हैं, राजस्व मंत्रीजी के द्वारा रखी जाने वाली अधिसूचनाएं 32 हैं और पंचायत मंत्रीजी के द्वारा रखी जाने वाली बाकी की अधिसूचनाओं की संख्या बहुत अधिक हैं। उनके बारे में कहना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अधिसूचनाओं का पार्ट (ख) वित्त मंत्री से सम्बन्धित है उसकी संख्या भी बहुत अधिक है। कुछ संशोधन 1969 में किये जा रहे हैं निश्चित रूप में संशोधन हैं। ये सारी सूचनाएं राज्य की विज्ञप्तियों आदि में आयी हैं। नियम 169, जो विधान सभा का नियम है, उसके अनुसार सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये थीं, वे प्रस्तुत नहीं की गयीं, और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का भी, कि जो अधिसूचनाएं रखी जा रही हैं उसके सम्बन्ध में अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इनमें से बहुत सी अधिसूचनाएं ऐसी भी हैं जो 71 से पहले की भी हैं। 71 से पहले की को सदन के बजट अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। यह नियम है, विधान है।

इसलिये और भी निवेदन करूंगा कि 71 से पहले की भी अधिसूचनाएं, आज्ञाएं 70 से पहले की अधिसूचनाएं नियम आदि यहां तक कि 61 और 62 तक की अधिसूचनाएं आज रखी जा रही हैं। क्या ऐसा करना रूल्स का, विधान का और नियमों का वायोलेशन नहीं है? इसके लिये क्या राज्य सरकार को आज सदन में रखने की आज्ञा दी जावे? 208 के अन्तर्गत बने नियम विधान सभा में पारित किये गये और उनमें प्रावधान है कि इस तरह के सारे अधिनियम, सूचनाएं आदि सदन की मेज पर अगले साल के सेशन में रख दी जावेंगी। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज 12 बारह सालों की अधिसूचनाएं आदि सदन की मेज पर नहीं रखी गई हैं। अब रखी जा रही हैं।

इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, आज भी मैं यह कहता हूं कि पांच सौ के लगभग ऐसी अधिसूचनाएं नियम आदि हैं जो रखे जाने शेष हैं और जिनका कम्पाइलेशन सरकार ने कराया है। मैंने पिछली बार भी आपत्ति उठाई थी तब मुख्य मंत्रीजी ने यह आदेश दिया था कि एक डिप्टी सेक्रेटरी को इस पर लगाया गया है जो सारे डिपार्टमेण्टों के ऐसे नोटिफिकेशन्स कम्पाइल करेगा और मेरी जानकारी में 500 के करीब नोटिफिकेशन्स, गवर्नमेन्ट ऑर्डर्स और रूल्स के एमेण्डमेन्ट्स ऐसे हैं जो सदन में रखे जाकर पास होने चाहिये थे, और वे नहीं हुए और आज भी नहीं हो रहे हैं। अब चार महीने के बाद नई सरकार नई विधान सभा आ जायेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। उनको अब प्रस्तुत करने से लाभ भी क्या है? जहां आपने लगातार 12 सालों तक कानून की अवहेलना की है, अपनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हुकूमत चलाते रहे हैं, विधान सभा के प्रति कन्टेम्प्ट का एटीट्यूड रहा है तो अब लाभ क्या है?

नियम 169 में लिखा है कि 14 दिन के अन्दर अन्दर संशोधन आदि भी दिये जा सकते हैं और यदि सदन का यह सत्र 14 दिन से पहले समाप्त हो जावे तो पुनः अगले सत्र में इन सबको रखना पड़ेगा।

अभी मुख्य मंत्री ने कहा कि वे दो दिन इस सदन को चलाना चाहते हैं। तो यह सत्र भी 14 दिन नहीं चलने वाला है तो ऐसी सूरत में उनमें कोई एमेण्डमेन्ट हो नहीं सकता और रूल्स का कम्पलायेन्स होगा नहीं। तो यह सरकार के लिए ग्रास नेग्लीजेन्स का काम है। सरकार ने रूल्स का वायोलेशन किया है, सदन के मेम्बरों को अपने अधिकार के प्रयोग से वंचित किया है जिसके कारण वे अपने संशोधन पेश नहीं कर सके और वैसी स्थिति में ये सारे नियम अधिसूचनाएं रिडण्डेण्ट हैं। इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि इनको एक को भी सदन की मेज पर प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा न दी जावे।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि वक्त पर कुछ काफी समय से ये अधिसूचाएं आदि सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकीं। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से इस बारे में सहमत हूं कि यह हमारी गलती है और यह भी वादा करता हूं कि इसके बारे में पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी ऐसी सदन की मेज पर रखी जाने वाली चीजें हैं अधिसूचनाएं, आज्ञाएं जो भी हैं जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर रखे जाने के लिये सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को पाबन्द करूंगा।

एक मर्तबा फिर अपनी ओर से इसके लिये सदन से माफी चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी आपके प्रेडीसेसर ने यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में राज्याधिकारियों के साथ जिनके कारण ऐसा हुआ है, उचित एक्शन लिया जावेगा। जिसकी भी गलती पाई जावेगी उसको उचित सजा दी जावेगी। उस बारे में क्या आपने कोई जांच करवाई और किसी को सजा दी?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसकी पूरी जानकारी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो अधिसूचनाएं आदि इस सदन में प्रस्तुत की जा रही हैं उनमें कई नियमों के संशोधन भी हैं। उन नियमों में और उन नियमों से सम्बन्धित अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था है कि उनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जावे तो वे संशोधन विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किये जावेंगे। यह कण्डीशन है। अब जबकि उस कण्डीशन की पालना नहीं हुई तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे यह इनफरेन्स नहीं निकलता है कि जब कण्डीशन की पालना नहीं की गई

(श्री भैरोंसिंह)
तो अब तक जिन नियमों की पालना कराई गई वे सब अवैध थे ? उन नियमों के तहत जो भी कार्यवाहियां हुई हैं वे सब अवैध हैं, उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस स्थिति को कम से कम मुख्य मन्त्री को स्पष्ट करना चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (विधि मंत्री) : जिन अधिनियमों को सदन में रखा जाना चाहिए था और जो नहीं रखे जा सके तो इस कारण वे सभी इल्लीगल हो जाते हैं यह इस रूल की भी मंशा नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : इस रूल की मंशा यह कैसे नहीं है ? यह स्टेट्यूटरी प्रोवीजन है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उनके लागू करने के साथ ही राजस्थान विधान सभा का जो प्रथम सत्र होगा उसमें उनको प्रस्तुत किया जावेगा। अब वैसा नहीं किया गया। उन नियमों को जिनमें इस प्रकार की कण्डीशन्स हैं कानून लागू होने के साथ ही प्रथम सत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस स्थिति में मेरी मान्यता यह है कि जिन कानूनों में इस प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है वे उचित नहीं थे।

विधान सभा की प्रक्रिया के एवं कार्य संचालन के नियमों के अन्तर्गत विधि मन्त्रीजी ने कुछ बात बताई। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो स्टेट्यूटरी प्रोवीजन है उससे आप पर बन्धन आता है कि जिन रूल्स को आप इम्पलीमेन्ट करना चाहते हैं उनको लागू करने के साथ ही सदन के प्रथम सत्र में उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अब आपने उनको प्रस्तुत नहीं किया तो उन नियमों का किस प्रकार का परिणाम निकलने वाला है और उन परिणामों पर सदन में समय पर प्रस्तुतिकरण नहीं करने, और इस तरह से उनमें सम्भाव्य संशोधनों के अभाव में जो प्रभाव पड़ने वाला था उसके नहीं पड़ने से क्या कानूनी स्थिति बनती है, इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इसमें एक दिक्कत और होगी। 169 के क्लॉज 2 में यह प्रोवीजन है कि हाउस के सामने ले डाउन करने के बाद 15 रोज का जो स्पेसिफिक पीरियड मेन्शन है जिसमें सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उनमें एमेण्डमेन्ट ला सकें और जैसी मेरी जानकारी है, यह सदन का सत्र 15 दिन नहीं चलेगा और ऐसी स्थिति में इनको पुनः अगले सत्र में पेश करना पड़ेगा तो इसको पोस्टपोन कर दिया जावे और सदन का समय व्यर्थ बरबाद नहीं किया जावे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस रूल मेकिंग के पीछे जिसमें कि सदन के सामने ये नियम रखने पड़ते हैं, इरादा यही है कि अगर सदन या सदन के मेम्बर चाहें तो उनमें अपने एमेण्डमेन्ट्स दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उनको समय पर नहीं रख सकें तो रूल्स ही इल्लीगल हो जावेंगे। इसमें इल्लीगेलिटी सिर्फ इतनी रहती है कि सदन में आने के बाद माननीय सदस्यों को जो 14 दिन का समय देना चाहिये था अगर वह समय नहीं दे सकें तो दुबारा प्रस्तुत किया जावे। उनको अपार्चुनिटी दी जानी चाहिये। इसे थोड़ा इरेग्युलर जरूर मान सकते हैं। सदन में सदस्य कोई-एमेंडमेंट रखना चाहे तो उसका अवसर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
प्रदान करने के लिये यह प्रावधान रखा गया है। यह मेरा मानना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री के कथन से कुछ सहमत हो सकता हूं, पर सदस्यगण को अपने एमेण्डमेन्ट करने का अधिकार जो नहीं मिल पाया उसको मैं उचित नहीं मानता, मैं इसको एक तरह से सदस्यों के अधिकारों पर एन्क्रोचमेन्ट मानता हूं।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में एक सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी बनी हुई है। ये अधिनियम आदि जैसे ही सदन के पटल पर रख दिये जाते हैं वे उस कमेटी को रेफर कर दिये जाते हैं। इसके बाद कमेटी उनको एग्जामिन करती है तो इससे सदस्यगण अपने अधिकार के प्रयोग करने से वंचित हो जावें यह अपने आप में एक बड़ी खामी हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इसीलिये यह खेद प्रकट किया गया है। कोई देर से अधिसूचना पेश की गई है तो...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे भी दो शब्द सुनने की कृपा करेंगे। मैं समझता हूं ये अधिसूचनायें टेबिल करने के लक्ष्य से यहां सदन के सामने आई हैं। यह अनावश्यक, अदूरदर्शिता और इस सम्बन्ध में जो सम्माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने आपत्ति उठाई है वह टेक्निकल आपत्ति अवश्य है, मैं मानता हूं आपका बहुमत है, मैं मानता हूं कि यह एक्सरसाईजिंग फ्यूटिलिटि हो सकती है लेकिन टेक्निकल समस्या को सिद्धान्ततः लेते हुये चाहे वह एक्सरसाईजिंग फ्यूटिलिटि ही क्यों न हो लेकिन आपका जो कर्त्तव्य है, आप उस कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सके हैं। आपने इन अधिसूचनाओं को टेबिल करके हारनेस्ट इनवाईट किया है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में यह सम्भव है। जहां स्टेच्यूटरी प्राविजन है वहां अगर आप सदन के सामने उन आवश्यक अधिसूचनाओं को नहीं लाते हैं व्यवस्थित ढंग से तो वह इनवेलिड है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये उनको पूरा करना चाहिये या रेग्युलराईज करना चाहिये और अगर रेग्युलराईज नहीं करते हैं तो आप अवैधानिक रूप से इस सरकार को भी चलाना चाहते हैं, और अपने नियमों को भी चलाना चाहते हैं, और इस सदन की अवहेलना करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं इसका...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इसमें कुछ इरेग्युलरेटि भी हो सकती है और कुछ इल्लीगल बातें भी हो सकती हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि स्वयं मंत्री महोदय इन अधिसूचनाओं के बारे में एन्श्योर्ड नहीं है कि जो अधिसूचनायें प्रस्तुत हुई हैं उनमें

(श्री भैरोंसिंह)
इर्रेग्युलरैटि नहीं है, इल्लीगेलिटि नहीं है तो मैं मानता हूं माननीय मंत्री महोदय को और सदन को कम से कम इस बात की जानकारी करानी चाहिये थी और जो अधिसूचनाओं की लिस्ट पेश करें और जो स्टेट्यूटरी प्राविजन्स हैं उस स्टेच्यूटरी प्रोविजन्स की कहां तक कम्प्लायन्स हुई? यह तो सदन को जानकारी दें या मैं यह समझता हूं इल्लीगेलिटि हुई है, सदन को नुकसान हुआ है और इसमें कानूनी आपत्तियां उठाकर अदालतों की शरण ले सकते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और इस बीच माननीय मंत्री महोदय भी अपने आपको कानून से अवगत कर लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सदस्य मेरी बात को समझें। मैंने निवेदन किया है राज्य सरकार की एब्सोल्यूट पॉवर है। ये सबोर्डिनेट ऑथोरिटी जो निर्धारित होती है उसको रूल मेकिंग की पॉवर है। क्योंकि ओरिजनल एक्ट अपने विधान सभा से बनता है इसलिये उसका अंकुश उस पर रहना चाहिये इसलिये यह लाजिमी होता हैं यह रूल सदन के सामने आये और उसके बाद एक अवधि दी जाती है और उस अवधि में माननीय सदस्य कोई एमेन्डमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यह निवेदन किया है। हो सकता है किसी रूल में बुनियादी गलती रह गई हो और वह सामने आये। यह तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कौनसे रूल के तहत और उसमें कौनसी गलती रह गई है और उस गलती के कारण इर्रेग्युलेरिटि भी हो सकती है और इल्लीगेलिटि भी हो सकती है। मेरा मन्तव्य सीमित था लेकिन यह नहीं था रूल्स और रैग्युलेशन के तहत उसकी इर्रेग्युलेरिटीज और इल्लीगेलिटीज हुई है। हजारों, लाखों में एक केस हो सकता है जो ऑथोरिटी से बच गया हो और यह प्रश्न खड़ा हो गया हो। मेरा इतना ही अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने विलम्ब से अधिसूचनायें प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कई आपत्तिजनक प्रश्न उठाये हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जबकि विलम्ब से अधिसूचनायें प्रस्तुत की गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जहां तक विलम्ब का सवाल है, खेद प्रकट किया है और विलम्ब के कारणों की जानकारी करने का भी अभिमत प्रकट किया है। अत: विलम्ब का प्रश्न खेद प्रकट हो जाने से समाप्त हो जाता है। जहां तक दूसरे प्रश्न हैं ये अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र सदन की मेज पर रखे जाने चाहियें और वह भी एक निश्चित अवधि तक। यदि शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो निर्धारित अवधि में वह उपस्थित किया जाना चाहिये और यदि निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है तो माननीय सदस्यों की आपत्ति रही है क्योंकि माननीय सदस्यों को वह मौका संशोधन प्रस्तुत करने का नहीं मिलता है। इसलिए माननीय सदस्य ने एक ही सेशन में उसको रखे जाने के संदर्भ में यह शंका प्रकट की। किन्तु निर्धारित समय की सीमा एक सैशन के अन्तर्गत ही नहीं सक्सेसिव सैशन

Page No.61

(श्री अध्यक्ष)
या उसके बाद आने वाले सेशन तक में उस सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): उसमें रिमेन्ड करना पड़ता है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

"All rules finally made under this Act shall be laid as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be.....

इसलिए सक्सेसिव सेशन या कमिंग सेशन की सीमा में यह अवधि का प्रश्न समाहित हो जाता है। अब प्रश्न ...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : अगर मान लीजिये पांच वर्ष की अवधि में यह नजीर ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(बार बार व्यवधान करने पर)

माननीय सदस्य। मैं अपने मन्तव्य को प्रकट कर रहा हूं। अब रहा प्रश्न इर्रेगुलेरिटि का और लीगेलिटि का प्रत्येक इर्रेगुलेरिटी इल-लोगेलिटि नहीं होती है। इसलिये मेरे मन्तव्य से अनियमितता नहीं है। विलम्ब के प्रश्न को अवश्य ही मैं खेदजनक समझता हूं जिसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने एक बार नहीं हृदय से दो बार खेद प्रकट किया है। मैं इन सब आपत्तियों को निरस्त करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वे अधिसूचनायें प्रस्तुत करें।

श्री मुख्य मंत्री : ...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : हो गया वह तो।

श्री अध्यक्ष : Be taken as moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Whole list.

श्री अध्यक्ष : The whole list.

अब उसको ले लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसको ?

श्री भीखा भाई : इस लिस्ट में नहीं आये हैं उस प्रकार के नोटिफिकेशन जो दिये गये हैं। अगर आपकी अध्यक्ष महोदय इजाजत हो तो ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो भी लिस्ट में आज शो कर दिये गये हैं-

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री...उद्योग मंत्री दे दिया.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी लेड डाऊन ग्रान दी टेबिल है…

(अधिसूचनायें)

(1) कृषि मन्त्री, कृषि विभाग की अधि-सूचना संख्या एफ. 11 (4) कृषि।58 दिनांक 25 अप्रेल, 1966 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण नियम, 1966 जारी किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे।

(2) राजस्व मन्त्री, उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30) राज।उप।66, दिनांक 18-7-1968

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (3) (सी) राज।उप।67, दिनांक 26-5-1967

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (63) राज।उप।65, दिनांक 18-6-1966

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 7 (51) ईर।61, राज।उप।दिनांक 4-5-1971

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 22(54) रेवा।उप।68, दिनांक 4-5-1971

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 24(15) रेवा।उप।70, दिनांक 5-5-1971

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (9) रेवा।उप।68, दिनांक 6-5-1971

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) रेवा।उप।67, दिनांक 11-5-1971

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 4(1) (3) रेवा।कोल।70 दिनांक 13-5-1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार ग्रासामियों को सरकारी भूमि का ग्रावंटन) शर्तें, 1970, में ग्रौर संशोधन किये गये हैं।

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (सी) (1) रेवा।कोल।71, दिनांक 14-5-1971

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवा।कोल।71, दिनांक 21-5-1971

(17) अधिसूचना संख्या एफ. 4(सी) (1) रेवा।कोल।70 दिनांक 21-5-1971 जिसके द्वारा राजस्थान कोलोनाइजेशन (टेम्पोरैरी कल्टीवेशन लीजेज) कन्डीशन्स, 1955 में ग्रौर संशोधन किये गये हैं।

(18) अधिसूचना संख्या एफ. 22(26) रेवा।कोलो।65 दिनांक 23-9-1966 जिसके द्वारा (i) राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमियों का ग्रावंटन ग्रौर विक्रय) नियम, 1955 तथा (ii)

Page No.63

राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों का आवंटन और विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(19) अधिसूचना संख्या एफ 22(26) रेव।कोल।65, दिनांक 19 मई, 1971

(20) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30) रेव।कोल।65 दिनांक 19-1-1968 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल योजना सरकारी भूमियों का आवंटन और विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(21) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (210) रेव।कोलो।67, दिनांक 7-10-1967

(22) अधिसूचना संख्या एफ. 22(6) रेव।कोल।65, दिनांक 31-10-1967 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा योजना सरकारी-भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(23) अधिसूचना संख्या एफ. 3(27) रेव।कोल।64, दिनांक 5-12-1967 जिसके द्वारा राजस्थान कोलोनाइजेशन (ग्रान्ट आफ लैण्ड फोर रेजिडेन्स इन चक आबादी) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(24) अधिसूचना संख्या एफ. 3(210) रेव।कोल।67, दिनांक 7-10-1967

(25) अधिसूचना संख्या एफ. 4(बी) (1) रेव।कोलो।70, दिनांक 26-5-1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें, 1955 में और संशोधन किया है।

(26) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (ए) रेव।कोल।68, दिनांक 31-5-1971

(27) अधिसूचना संख्या एफ 4(सी) (1) रेव।कोल।71, दिनांक 31-5-1971

(28) अधिसूचना संख्या एफ. 4(सी) (1) रेव।कोल।71, दिनांक 31-5-1971

(29) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ए) (3) रेवे।कोल।70, दिनांक 15-10-1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार आसामियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें 1970 में संशोधन किया गया है।

(30) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (ग) (1) रेव।कोल।71, दिनांक 2?-10-1971

(31) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30) राज।उप।65, दिनांक 17-9-1971

(32) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) आर. सी. पी. डी.।61, दिनांक 9-10-1971

(3) पंचायत मंत्री, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे:-

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 8'215 (1) लेव।61-62।18402, दिनांक 11-4-1962

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे।29।62।25248, दिनांक 15-11-1962

Page No.64

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।9।62।1245, दिनांक 21-1-1963

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।9।62।1960, दिनांक 1-2-1963

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।9।62।3867, दिनांक 18-2-1963

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2 (9) 62।6952, दिनांक 10-4-1963

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।19।63।21314, दिनांक 18-11-1963

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।30।63।23875, दिनांक 26-12-1663

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एलजे। 2।22।63।23875, दिनांक 26-12-1963

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2।(9)।64।2862, दिनांक 10-2-1964

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4 एलजे 2(9)।62।26281, दिनांक 30-10-1964

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4एल जे।(3) 64।835, दिनांक 17-12-1964

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।पी एस।ए।64।339636, दिनांक 2-1-1965

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 6। बीके. यू.।4।बून्दी।63।25121, दिनांक 18-10-1965

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2(16)।65।26841, दि. 23-11-65

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।3(1) 66।6762, दिनांक 13-5-66

(17) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।3(1)।66।10496, दिनांक 5-8-66

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

(1) अधिसूचना संख्या एफ. कोर्ड। रूल्स।डीडी।60।712, दिनांक 14-4-60

(2) अधिसूचना संख्या एफ.एफ. कोर्ड। रूल्स।डीडी।60, दिनांक 20-4-60

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस.।आर।(5) 1 (62) 11313, दिनांक 15-3-62

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4।पी. एस.।रूल्स (5) 28।62।31696, दिनांक 25-7-62

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस.।आर।(5)।10।62।31993, दिनांक 25-7-62

(6) अधिसूचना सं. एफ. 4।पी. एस.।आर।(5)।15।62।4234, दिनांक 5-2-63

(7) अधिसूचना सं. एफ. 4।पी. एस.।आर।(5) 21।62।3326, दिनांक 20-2-63

(8) अधिसूचना सं एफ. 4 एल जे. पी. एस. ए. (5) 1:63।6120, दिनांक 28-3-63

(9) अधिसूचना संख्या एफ 4 पी एस। (आर) (5) 30।62।7717 दिनांक 22-4-63

(10) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल जे।पी एस।ए (5) 2।63।7872 दिनांक 24-4-63

(11) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल जे।पी एस।ए (5) 7।63।17061 दिनांक 4-9-63

(12) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल जे।पी एस।ए (5)।63।16180 दिनांक 5-9-63

(13) अधिसूचना संख्या एफ 135 (7) (4) ओ सी डी।इन्सपे।पी डी।63। 17692 दिनांक 12-9-63

(14) अधिसूचना सं. एफ 4/एल जे/पी एस (5) 8/63/15330 दिनांक 8-8-63

(15) अधिसूचना सं. एफ 4/एल जे/पी एस/ए (5) 2/63/17994 दिनांक 19-9-63

(16) अधिसूचना सं. एफ 4/पी. एस/रूल्स (5) 44/2/21457 दिनांक 20-11-63

(17) अधिसूचना संख्या एफ 4।पी. एस।आर. (5) 21।62।2486 दिनांक 31-12-63

(18) अधिसूचना संख्या एफ 78।टी. आर. जी।डी डी।62।547 दिनांक 8-1-64

(19) अधिसूचना संख्या एफ 4।पी. एस।रूल्स। (5) 40।62।645 दिनांक 29-1-64

(20) अधिसूचना संख्या एफ 4।पी. एस. आर.।(5) 30।63।29835 दिनांक 28-11-64

(21) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल. जे. 2(3) 64।831 दिनांक 17-12-64

(22) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल. जे.।पी. एस.। रूल्स।(5) 3।63।7817-79 10 दिनांक 17-2-65

(23) अधिसूचना संख्या एफ ।पी. एस.।ए. (5) 14।64।13252 दिनांक 4-5-65

(24) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल. जे.।पी. एस.। रूल्स (5) 3।63।3253 दिनांक 4-5-65

(25) अधिसूचना संख्या एफ 4।।पी. एस.।नियम (5) 27।62।11394 दिनांक 30-3-65

(26) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल. जे.।पी. एस.।ए. आर.।3।65।20326 दिनांक 13-7-65

(27) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल जे.।पी. एस.।ए. आर। 3।65।20325 दिनांक 13-7-65

(28) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी. एस.।आर। 1।65।21790 दिनांक 7-8-65

(29) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी. एस.।ए. आर.।2।65।24157 दिनांक 23–9–65

(30) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी एस।सी 3।66।11811 दिनांक 2-9-66

(31) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी एस।ए आर।6।66।10061 दिनांक 1–8-65

(32) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी. एस.।ए आर।7।66।10174 दिनांक 2-8-66

(33) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी एस। रूल्स।3।65।14612 दिनांक 26-10-66

(34) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल। पी एस।ए आर।8।66 दिनांक 21-9-66

(35) अधिसूचना संख्या जी,एस.आर 42 दिनांक 5 सितम्बर, 1969

(संख्या एफ 4।एल।पी एस।आर।2। 69।7211) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Now I raise a point of order.

श्री अध्यक्ष : जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, एक समाज कल्याण विभाग का भी है अधिसूचना संख्या ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्यसूची के कौन से प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : कार्यसूची में तो नहीं है

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां सब कामकाज सूची से होता है।

श्री अध्यक्ष : सूची में है क्या ? सूची में है तो they may be treated as laid on the table of the House.

श्री पुखराज कालानी।

सदन की समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति विनियोग लेखे 1968–69, वित्त लेखे 1968–69 एवं वर्ष 1968–69 के लेखाओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबध में, अकाल सहायता, आयुर्वेद, कारावास, खनिज एवं भूगर्भ खाद्य, जनसम्पर्क भेड़ व ऊन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं राजस्थान नहर परियोजना विभाग से संबंधित समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 से संबंधित) के संबंध में राजकीय उपक्रम समिति का 25 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 से संबंधित) के संबंध में राजकीय उपक्रम समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन,

(श्री भैरोंसिंह)
वर्ष 1968-69 से संबंधित) के संबंध में राजकीय उप-क्रम समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:

(1) मुख्य वन संरक्षक के प्राविधिक सहायक के प्रति विधायक श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में सदन द्वारा पुनः निर्दिष्ट समिति के अठारहवें प्रतिवेदन संबंधी विशेषाधिकार समिति का 19 वां प्रतिवेदन।

(2) विधायक श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा श्री आर. एस. अग्रवाल, डिप्टी मैनेजर जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कोटा के प्रति उनके (श्री अग्रवाल) द्वारा विधायक श्री कृष्ण-कुमार गोयल को उनके (श्री गोयल) सदन में दिये गए भाषण के संबंध में लिखे गये एक पत्र संबंधी प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का 20 वां प्रतिवेदन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय मैं याचिका समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी चर्चा

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सभी माननीय सदस्यों के कहने के बावजूद भी यह निश्चित भाव प्रकट नहीं किये कि यह सदन कब तक चलेगा लेकिन कल तक के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा‥

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का क्या प्रश्न है इसमें ?

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैं स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उदयपुर स्कूटर काण्ड का प्रश्न जिसमें दस आदमी मर गए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप व्यवधान डाल रहे हैं। मैंने विधायी कार्य ले लिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, उस काण्ड को‥

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उदयपुर स्कूटर काण्ड जिसमें राज्य सरकार ने‥‥

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री गाडिया के पुनः बोलने पर) अंकित नहीं हो

श्री देवीदत्त गाड़िया: ××××

××××अध्यक्ष महोदय, के आदेशा-अनुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि उदयपुर जैसे भयंकर स्कूटर कान्ड···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आगे के कार्य में आप व्यवधान डाल रहे हैं···

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कोई व्यवधान नहीं डाल रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने विधायी कार्य ले लिया है और आप स्कूटर काण्ड पर बोल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट के लिए आप सुने तो सही। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ++++

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ++++

श्री अध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्य आप पुनः स्थगन प्रस्ताव पर आ रहे हैं। मैंने विधायी कार्य ले लिया है। मैंने आदेश दिये हैं कि आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा फिर भी आप समय का उपयोग ही करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया :

श्री अध्यक्ष : सिर्फ आप समय ले रहे हैं बाकी अंकित तो हो नहीं रहा है। इसका क्या उपयोग है आपके बोलने का ? स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान की प्रमुख समस्याओं को लेकर हम स्थान प्रस्ताव रखें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : समय का उपयोग होने दीजिए। अब स्थगन प्रस्ताव तो बहुत पीछे रह गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे इसलिए व्यवस्था चाहने के लिए यह निवेदन किया है कि मैंने एक तो उदयपुर का स्कूटर कान्ड के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा और दूसरे बारां नगर में मजदूरों की झोंपड़ियों को राजकीय आधार पर उखाड़ कर फैंक दिया···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ++++

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य आपका बोलना सिर्फ बोलना मात्र रह गया है। आप व्यवधान डाल रहे हैं और मैं आगे का विधायी कार्य ले चुका हूं।

++++ अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No.69

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी कोई इच्छा नहीं है व्यवधान डालने की . . .

श्री अध्यक्ष : अनिच्छा से भी ऐसा न करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था आपको दे दी है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने हमेशा देखा है कि मुझे कहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अब आगे बढ़ रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो बैठिये।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलने पर) स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वेदना है उसको लेकर हम कहां जायें . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी आज्ञा का बारबार उल्लंघन किया जा रहा है जब कि आपने निर्णय दे दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बैठ जाइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप सदन की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बैठ जाइये जो दागी व्यक्ति हैं उनमें आपकी भी गिनती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बारबार कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष : आप भी स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) अंकित नहीं हो रहा है। आप समय ले रहे हैं सदन और अङ्कित नहीं हो रहा है। आप समय लेना ही चाहते हैं और विधायी कार्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो मैं मौन होकर बैठ जाता हूं आप बोलते रहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अनुशासन को मानने वाले हैं और अनुशासन में आस्था रखते हैं लेकिन मैंने बार बार मना किया है फिर भी आप अतिक्रमण कर रहे हैं सदन के समय का आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

+++माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने जब आदेश दिया है कि आपके भाषण का अंकन न हो तो आपका भाषण नहीं रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश होऊंगा किसी कदम को उठाने के लिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, बारबार आदेश दे रहे हैं उसके बाद भी, मना करने पर भी बराबर बोल रहे हैं· · · ·

श्री अध्यक्ष : कोई भी अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : +++

श्री अध्यक्ष : मैं इसका स्पष्टीकरण विधायी कार्य लेने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद में जैसी स्थिति पैदा होगी तब देने की स्थिति में होऊंगा, अभी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने जो एस. डी. ओ. के बारे में कहा है कि एक हजार भूमिहीनों के पट्टे उसने दबाकर रख रखे हैं और उस पर राज्य सरकार से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिलवाते हैं तो कल बारह बजे मैं इसी सदन के प्रांगण में अनिश्चित काल की भूख हड़ताल करूंगा। राज्य सरकार बारबार घोषणा करती है कि हम भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे और राजस्थान में भ्रष्टाचार · · ·

श्री अध्यक्ष : यह भी अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो भोपाल में अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था · · ·

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह अंकित न हो, इस प्रश्न पर भी भोपाल में विचार हुआ था, आपको उससे प्रेरणा मिली होगी · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर प्रश्न सदन में प्रस्तुत किया है और एक गम्भीर मसले को राज्य सरकार के सामने आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। इस प्रश्न पर वे मुख्य मंत्रीजी से मिले, राजस्व मंत्रीजी से और मुख्य सचिव से मिले। मुख्य सचिव ने उनको आश्वासन भी दिया लेकिन उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ · · ·

श्री अध्यक्ष : कौन सा मामला है ?

श्री दौलतराम सारण : एक हजार भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित की गई

+++ मा. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(दौलतराम सारण)

लेकिन उनको मौके पर निशानदेही नहीं दी गई और उनके पट्टे दबा रखे हैं। और बार बार माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखते हैं, परसनली मिलते हैं, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे, एस. डी. ओ. पट्टा बनाकर अपने पास रख ले, अपने घर में बक्से में बन्द करके रख ले और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो अब आप ही बताइए क्या रास्ता है माननीय सदस्य के पास, किस तरह से कार्यवाही करें। हम आपसे ही जानकारी चाहेंगे कि जब सदन में ऐसे मसले रखते हैं और उस समय आप कह देते हैं कि यह सीमा में नहीं आते। वक्तव्य दिलाने तक के बारे में····

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया है कि सारे स्थगन आदेशों की क्या स्थिति हो अभी तो मैं इस पर अपना मन्तव्य नहीं दे सकता। आगे जैसा मैंने निवेदन किया दो बजे बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने भी आपसे निवेदन किया है कि दो रोज तक सदन चलेगा। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में इस विधान सभा की बैठक के बारे में भी क्या तय होता है यह सारा प्रश्न आएगा। बहुत से माननीय सदस्य भी उसमें जो स्थिति सामने आएगी उसके बाद ही निर्णय ले सकता हूं, कोई व्यवस्था दे सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं माननीय सदस्य को। अभी तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई बात कह सकूं।

श्री दौलतराम सारण : सरकार तो कम से कम ऐसे मसले पर वक्तव्य दे। आप भले ही अभय दान दे दें कि कोई कार्यवाही करने वाले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बात बिलकुल सही है कि भूमिहीनों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। मैं अपनी बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और यदि यह गलत हो तो मैं सार्वजनिक क्षेत्र से संन्यास ले लूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। अगर ऐसी हालत नहीं होती तो ऐसी बात मैं विधान सभा में नहीं कहता। मैं बार बार कहता हूं कि पट्टे एस, डी.ओ. ने आज भी अपने घर पर बक्से में, अलमारी में बन्द कर रखे हैं। एक हजार भूमिहीन मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार को इससे नुकसान हो रहा है, भूमिहीनों को नुकसान हो रहा है और सरकार के सामने शिकायत करते हैं तो सुनते नहीं हैं। फिर, अध्यक्ष महोदय, आप बताइये कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से इस मसले को उठा सकें। इसलिए मैंने आपको सूचना दी है कि यहीं आपके सम्मुख इसी प्रांगण में कल बारह बजे से भूख-हड़ताल शुरू करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो मेरे पास बैठिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपत्ति की बात भी क्या है। माननीय मंत्रीजो बैठे हैं। सदन के समक्ष माननीय सदस्य कोई मसला लायें और उसका निराकरण नहीं हो सके तो माननीय सदस्य के सामने क्या रास्ता रह जाता है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं वे खुद इस बारे में कह सकते हैं कि ऐसी बात नोटिस में आई है तो उस पर क्या कार्य-

(श्री रामचन्द्र अग्रवाल)
वाही की जा रही है। माननीय मंत्रीजी इस पर नोटिस लेकर कार्यवाही कर सकते हैं, माननीय सदस्य से मिल लें। उनके नोटिस में जब यह बात आई है कि एक हजार पट्टे एस. डी. ओ. ने बन्द कर रखें हैं तो यू मस्ट इमीजियेटली रिएक्ट। आपका खुद का रीएक्शन होना चाहिए, आप खुद इस बारे में कह सकते हैं। माननीय सदस्य मिल लें, आपका निराकरण कर दें। यह तो एक मिनिट में कह सकते हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से मिलने को तैयार हूं। मैंने स्वयं ने अपने विभाग से इस सम्बन्ध में जानकारी करने को कहा है कि एस. डी. ओ. के पास में कितने पट्टे पड़े हुए हैं, कब से पड़े हुए हैं। मेरे पास इसकी इत्तला आने के बाद ही जानकारी दे सकूंगा। मैं स्वयं ही माननीय सदस्य से बात करना चाहता था यह सजेशन आने के पहले ही और मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य।

भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, श्री रामप्रसाद लड्ढा सम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि आप विधायी कार्य प्रारम्भ करें और सदन के सभी माननीय सदस्य उस महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में विचार प्रगट करें अथवा संशोधन प्रस्तुत करें, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसला इस सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, सदन के पिछले सत्र में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री रामप्रशाद लड्ढा के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। मैं इस समय उन भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उस सारी चर्चा पर न जाकर जो संवैधानिक पहलू सामने आया है और जिसके सम्बन्ध में चूंकि सदन की कार्यवाही 24 मई, 1971 को यकायक समाप्त हो गई, इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका और अध्यक्ष महोदय, मैं अगर गलत नहीं कहता होऊं तो आपने उस सम्बन्ध में इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी रूलिंग रिजर्व की थी। चूंकि 24 मई को सदन की बैठक समाप्त हो गई यह प्रश्न वहीं पर रह गया। इस संविधान के प्रति मैंने भी शपथ खाई है और आपने भी शपथ खाई है अध्यक्ष महोदय, इस संविधान की धाराओं का उल्लंघन होता है और संविधान की धाराओं के विपरीत कोई सदस्य सदन में बैठे और कार्यवाही में भाग ले और वह सारी हमारी जानकारी में आ जावे और सदन के समक्ष और आपके समक्ष उस चर्चा को न उठावें तो संविधान के प्रति एवं संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति विमुख होते हैं और इसीलिए उस कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर मैं इस संवैधानिक प्रश्न को आपके सामने और सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय तथ्यों की ओर जाना नहीं चाहता। जो तथ्य इस सदन के सामने आये हैं उससे मेरी निश्चित मान्यता है कि श्री रामप्रसाद लड्डा, तत्कालीन सिंचाई मन्त्री और उनके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नाम से चलने वाली फर्म और उनकी ज्वाइन्ट फेमिली और ज्वाइन्ट फेमिली का बिजनेस, लड़कों का धन्धा, लड़कों के नाम से ऐजेन्सी, लड़कों के नाम से पार्टनरशिप, लड़कों को रामप्रसाद लड्ढा की ज्वाइन्ट फेमिली में रहना, इस तरह उनका बिजनेस में इन्टरेस्ट है और उस बिजनेस फर्म का राजस्थान की सरकार को माल सप्लाई करना, माल सप्लाई करने के लिये कान्ट्रेक्ट करना, माल लेना और देना, यह अबाउट फेक्ट्स है और इस सदन के अन्दर एडमीटेड है, श्री लड्ढा उस समय सिचाई मन्त्री थे, उस समय श्री लड्ढा के लड़कों ने भीलवाड़ा में फर्म खोली और उन्होंने स्वयं ने इन तथ्यों को एडमिट किये हैं कि इस फर्म ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कान्ट्रेक्ट किया है। इस प्रकार से कान्ट्रेक्ट हुए हैं। ये सारी चीजें एडमिटेड हैं। लीगल पोजीशन क्या बनती है इसका डिसीजन न तो मैं कर सकता हूं, न यह सदन कर सकता है और न आप कर सकते हैं। इसका डिसीजन न मुख्य मन्त्री महोदय कर सकते हैं। सवाल यह है कि यह एक्चुअल पोजीशन यहां पर एडमिट हुई है कि क्या कान्ट्रेक्ट जिस फर्म का राजस्थान के साथ हुआ उस फर्म का बिजनेस वे लोग कर सकते थे जो श्री रामप्रसादजी लड्ढा के लड़के हैं और ये लड़के उनके साथ रहते हैं और श्री रामप्रसाद लड्ढा ने इस फर्म के लिए ऐजेन्सी प्राप्त करने के लिये कोशिश की है? इन सारे फेक्ट्स की डिटेल्स में जांच हो तो पता लगेगा और सामने आयेंगे। आप जरा रिप्रिजेन्टेशन आफ पिपुल्स एक्ट की धारा 7 की तरफ ध्यान दें तो सेक्शन 17 के तहत यह एक डिस्क्वालीफिकेशन है। सेक्शन 7,

> If there is subsistance in contract in a trade or business with the appropriate Government······

यह लम्बा चौड़ा है। तो रिप्रिजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट के सेक्शन के तहत यह डिसक्वालिफिकेशन है कि जिसे चुनाव लड़ना है या चुनाव जीत कर आया है, उस पर यह लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रश्न पर वैधानिक स्थिति कानूनी स्थिति पहले रखी जा चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परन्तु आपने रूलिंग रिजर्व रख रखी है।

श्री अध्यक्ष : मैं कल दे दूंगा? स्थिति तो वही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं··

श्री गिरधारी लाल व्यास : बार बार वही बात।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट की आथोरिटी पेश करना चाहता हूं। आप यह आर्गुमेन्ट देना चाहेंगे कि आप गवर्नर को पिटिशन पेश कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इन्क्वारी के लिये जायेगा इस सारे फेक्टस के लिये। इस डिसक्वालिफिकेशन के क्वेश्चन का डिटरमीनेशन आप नहीं कर

Page No.74

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकते हैं सिर्फ आप इसको रेफर कर सकते हैं गवर्नर को और गवर्नर इलेक्शन कमीशन को रेफर करेगा और कमीशन इसकी जांच करेगा और पार्टी को नोटिस देगा और उसके बाद अपना जजमेंट प्रोनाउन्स करेगा। इस प्रश्न का डिटरमीनेशन सरकार नहीं कर सकती है। इसके डिटरमीनेशन करने का राइट गवर्नर को है और गवर्नर इन कन्सलटेशन विद दी इलेक्शन कमीशन करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानना चाहेंगे कि कौनसा ऐसा उदाहरण है और कौनसा ऐसा केस है जहां गवर्नर को इस प्रकार का क्वेश्चन रेफर किया गया है। आप चाहेंगे तो आपको इस प्रकार की जानकारी मिल जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक केस है 1953 का उस समय एक क्वेश्चन खड़ा हुआ था, 53 में यह रेफर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पेज 210 उस। यह क्वेश्चन खड़ा हुआ था

Patanjali Shastri C. J. Supreme Court.

लम्बा चौड़ा प्रश्न है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न खड़ा हुआ था...

A question as to the respondent's disqualification in having thus been raised, the Speaker referred the question to the Governor of Madras who forwarded the case to the Commission for its opinion as required by Art. 192 of the Constitution.

श्री अध्यक्ष : रेज्ड एट दी फ्लोर Raised at the floor of the House?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां। असेम्बली में मामला उठा था।

श्री अध्यक्ष : कौनसी असेम्बली में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मद्रास का मामला है। यह 53 का है और बहुत पुराना है। अब जो लेटेस्ट है वह आपको बताता हूं। यह है 1968 का... यह है 1968, दिस इज आलसो मद्रास। इसमें यह है अध्यक्ष महोदय, पेज 231...

Constitution of India, Arts 191 (1), 192 and 296— Disqualification under Art. 191 (1) jurisdiction to decide vests in Governor and not in court.

"The jurisdiction to decide the question of disqualification under Art. 191 (1) of the Constitution vests exclusively in the Governor and no court has got jurisdiction to go into it, whether in writ proceedings or otherwise. Next, a sitting member gets the opportunity to put forward his objection to alleged disqualification at an enquiry which is to be held by the Election Commission before the later forwards its opinion under Art. 192 (2) to the Governor. When such an opportunity has come to a decision on the disqualification and surveyed his opinion about it to the Governor and the Governor has acted upon that

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

opinion and disqualified, the member there can be no more occassion for the court to question the decision, either on account of its merits or on account of the member not having been giving proper opportunity to show cause. if in fact, the Election Commission has given the necessary opportunity.

Art. 191(1)(c) of the Constitution says that a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Council of a State. If he is an undischarged insolvent. Art. 192 (1) of the Constitution states that—

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Art. 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

यह प्रश्न है कि रेफर कौन करेगा, सवाल उठ खड़ा हुआ ? डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न सदन में उठ गया। अब यह रेफर कैसे होगा ? कौन डिसीजन करेगा तो डिसीजन गवर्नर करेगा इन कन्सलटेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ? आप नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है :...

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य इसमें स्पीकर के सेटिफिकेशन के लिये भी कहा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेटिसफिकेशन में टाइम लगता है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 192 स्टेटस...

"Art. 192 (2) states that before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission. On the assumption that the declaration of Mr. Mehta as an insolvent made him subject to the disqualification mentioned above. The Chairman of the Madras Legislative Council made a reference to the Governor for giving his decision on the point, the Governor in turn addressed the Election Commission for giving his opinion as provided in Art. 192 (2) of the Constitution."

यह यहां पर मैंने वह असेम्बली का कवेश्चन बता दिया, यह लेजिस्लेटिव कौन्सिल का आपके सामने बता दिया—दोनों आपके सामने हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह खड़ा हुआ, प्रश्न इसमें यह खड़ा हुआ और सीतलवाड़ ने आरग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में कि यह मामला एक्सक्लूजिवली फ्लोर—

Page No.76

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
ऑफ दी हाउस पर खड़ा होना चाहिए और कामनर या सिटिजन को कोई राइट नहीं है कि वह जाकर इस तरह की पिटीशन गवर्नर को पेश करे और उसका क्वेश्चन फ्लोर आफ दी हाउस पर ही खड़ा हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह बात नहीं है कि वह फ्लोर ऑफ दी हाउस पर ही खड़ा हो और कोई भी कामन सिटीजन या लेजिस्लेटिव असेम्बली का सदस्य जाकर वह पिटीशन पेश कर सकता है। और मैं समझता हूं कि यह क्वेश्चन कहां, कैसे राइज हो और यह सवाल कहां राइज हो सकता है इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की आथोरिटी जिन्होंने इस सम्बन्ध में स्पेसिफिकली लिखा है वह पेश करना चाहता हूं। 1955 सुप्रीम कोर्ट–

Shri P. B. Gajendra Gadkar C. J. Constitution of India Art. 192 (1)·Who can raise question. Ordinary citizen or voter can raise question under Art. 192 (1).

हम तो रेज कर ही सकते हैं लेकिन वे भी रेज कर सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने लीड किया है–

What the first clause of Art. 192 (1) requires is that a question should arise, how it arises, by whom it is raised, in what circumstances it is raised, are not relevant for the purpose of the application of this clause. Such a question can be raised not only on the floor of the Legislative Assembly by members of the Assembly but also by an ordinary citizen or voter in the form of a complaint to the Governor. There is no assumption implied in the words "the question shall be referred for the decision of the Governor", that some other authority has first to receive the complaint and after a prima-facie and initial Investigation about it, send it on or refer it to the Governor for his decision.

श्री अध्यक्ष : इसको वापिस पढ़ें प्राइमा फेसी वाले को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Such a question can be raised not only on the floor of the Legislative Assembly by members of the Assembly but also by an ordinary citizen or voter in the form of a complaint to the Governor. There is no assumption implied in the words "the question shall be referred for the decision of the Governor" that some other authority has first to receive the complaint and after a prima facie and initial investigation about it, send it on or refer it to the Governor for his decision. The words only emphasise that any question of the type contemplated by clause (1) shall be decided by the Governor and Governor alone and by no othre authority. The decision of the said

Page No.77

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

question as such cannot fall within the jurisdiction of the Courts. The object of the Article is clear. Person who has incurred any of the disqualification specified by Art. 191 (1) cannot continue to be a member of the Legislative Assembly of a State, and the obligation to vacate his seat as a result of his subsequent disqualification having been imposed by the Constitution itself by Art. 190 (3) (a) any citizen can make a complaint to the Governor alleging that such member of the Legislative Assembly has incurred one of the disqualifications mentioned in Art. 191 (1) and should, therefore, vacate his seat.

श्री अध्यक्ष : You mean that the Speaker should not go in the case prima facie.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल No. not at all. There is no other authority mentioned in the Constitution. It is a simple question. We have simply to forward the speeches made in this house last time. you have to forward it to the Governor who shall forward it to the Election Commission. Of course they will issue notices to Mr. Ram Prasad Laddha and they will decide the petition.

तो मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह सारा रेकार्ड है। इसकी जरूरत क्यों आई ? कामन सिटिजन रख सकता है तो जिन्होंने संविधान की शपथ खाई है हम इस मामले पर आँखें मीचे नहीं रह सकते हैं।

Without knowing anything it is a very pure and simple constitutional question.

यह क्वेश्चन में कोई पोलीटीकल वे में नहीं उठाना चाहता हूं और न में करप्शन के एलिगेशन्स को रिपिट करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्योर, सिम्पल एण्ड एब्सोल्यूटली कान्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है देट

What Mr. Ram Prasad Laddha a member of this House is disqualified to continue as a member of this house on having entered into a contract with the Government for supplies etc. as mentioned by Shri Bhairon Singh Shekhawat and others. उन फैक्ट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो मैंने रखा है आब्जेक्टिव के बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं—

The object of this provision is to secure independence of the members of the Legislature and to ensure that the Legislature does not contain persons, who have received favours or benefits from the executive and who. consequently being under

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

an obligation to the executive, might be amendable to its influence. Putting it differently, the provision appears to have been made in order to eliminate or reduce the risk of conflict between duty and self-interest amongst the members of the Legislature. This object must always be borne in mind in interpreting Art. 191.

Mr. Chari has suggested that this provision should be construed strictly as a disqualification affects the rights of franchise, which includes the right to stand for an election and be voted for. The provision has been inserted in the constitution with a deliberate purpose and in cases of doubt or where two interpretations are possible we are of the opinion that interpretation should de preferred which will further and effectually carry out the object of the makers of the Constitution.'

डिसीजन वह है। यह इन्टरप्रिटेशन माना चाहिये। यह साफ किया जाता है। ऐसा आदमी जो संविधान के अन्तर्गत अयोग्यता रखता हो, चाहे 191 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं उसके सेक्शन 7 को एट्रैक्ट करता है। मेरा कहना यह है कि श्री रामप्रसाद लड्ढा इस सदन के सदस्य रहने के योग्य हो गये है, और इस सम्बन्ध में मेरी जो शिकायत है उसके बारे में राज्यपाल महोदय को आर्टीकल 191 के तहत रेफर करें जो कि इलेक्शन कमीशन के कन्सलटेशन के साथ में अपना फैसला देंगे, और जब तक कमीशन का फैसला न हो जाय तब श्री रामप्रसाद लड्ढा को इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। मैंने 6 महीने पहले कहा था लेकिन सदन को कार्यवाही स्थगित हो गई इसलिए नहीं लिया जा सका। मैंने गम्भीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस सवाल को उठाया है और इस तरह से सदन को सन्तोष देने की कोशिश की है कि कोई आथोरिटी इसका डिसीजन नहीं करेगी सिवाय गवर्नर के और गवर्नर को यह मेटर रेफर कर देना चाहिए।

श्री यशवन्तसिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि ये प्रश्न क्या उठाने जा रहे हैं 191 और 192 इतने स्पष्ट हैं कि जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनको थोडा सा पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह पढ़ लिये हैं हमने सबने।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 191 में है—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislature Council of a State if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State..."

I will not read out further.

Page No.79

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उसके बाद 192 आता है--

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

इससे कोई डिनाई नहीं करता है कि माननीय राज्यपाल महोदय को उनके डिसीजन के लिए यह मामला रेफर किया जाय। सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर, 68 की आपने दी है लेकिन 71 की एक और नजीर है जिसको मैं इस समय कोट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वह मेरे पास नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि कोई आदमी रेफर कर सकता है, एज ए सिटीजन रेफर कर सकता है और कोई भी रेफर कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि कम्प्लेन्ट में, बी फाइड्ड बाई एनी आर्डिनरी सिटीजन कि फलां आदमी डिक्वालिफाइड हो गया है इन डिस्क्वालिफिकेशन्स के नीचे।

एक चीज इस प्रोसीडिंग में यह है जो कि रामप्रसादजी लरढा के सम्बन्ध में कही गई है और बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि इनके दो लड़के हैं मेजर और वे मेजर लड़के अपना अलग व्यवसाय करते हैं। वे इनके लड़के हैं इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्या एक नजीर भी दुनिया में मिलेगी जिसमें हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दी हो कि मेजर लड़के गवर्नमेन्ट के साथ में बिजिनेस करते हैं उसके लिए मेम्बर डिस्क्वालिफाई होगा। ऐसी एक भी नजीर आपको नहीं मिलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्वाइन्ट फेमिली है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह मानलें कि मेम्बर आफ दी ज्वाइन्ट फेमिली है, मैं उसको डिस्प्यूट करने को तैयार नहीं हूं। ज्वाइंट फ्रेमिली का मेम्बर है तो है। इस सदन के सामने ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेम्बर आफ दी ज्वाइन्ट फेमिली है। प्रोसीडिंग्स सदन के सामने है।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : लरढा साहब का स्वयं का कन्फेशन है। यह फेक्ट है जिसको उन्होंने कन्फेस किया है। आप इसको बाई पास नहीं कर सकते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एक बच्चा है जिसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं, मेरा एक भतीजा है जिसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं, मेरा एक मित्र है जिसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं कि उसको कुछ सुविधाएं मिल जायं, कान्ट्रेक्ट मिल जाय, गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ कन्वीनियन्स मिल जाय....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली इनका इन्ट्रेस्ट है। आप तो बहुत बड़े वकील हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Let him have his own say. Why do you disturb him?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि मैंने फलां आदमी को मदद दी है, फलां आदमी के लिए कान्ट्रेक्ट लिया है, उसको बनाने में मेरी सहायता रही है तो क्या मैं निवेदन करूंगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की एक भी नजीर दुनिया के न्याय के इतिहास में मिल जाय तो सदन वह कर दे । लेकिन मुझे मालूम है, कि उसका इन्ट्रेस्ट नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि प्राइवेट मेम्बर कोई उसमें लेकर कर दे । वह बात अलग है । इतने फैक्ट्स के बाद क्या यह मूव करना उचित होगा जिसे कि हाउस इतनी दूर ला सका है ?

श्री भैरोंसिंह : डिस्प्यूट किस बात का है ? क्या फैक्ट्स गलत हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह ज्वाइन्ट फैमिली का मेम्बर है । उसमें उनका हिस्सा है। यह फैक्ट आप के सामने नहीं रहा। उन्होंने ऐसी कोई बात की होगी ।– If he does not prove beyond doubt, to this House, refer it.

मैं नहीं समझता हूं कि डिस्प्यूट फैक्ट के साथ इस सदन के बाद मैं यह समझता हूं कि गवर्नर को मूव करें। इतने फैक्ट्स हैं तो मूव करें। जो कुछ कार्य हुआ है, उससे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई सवाल नहीं उठता है ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय····

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप का कोई सुझाव नहीं है ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सतीशचन्द्र जी ने प्रस्ताव रखा है, नाहर साहब ने प्रयास किया है, इस सदन के सामने मसला आता है किन्तु रोका जाएगा । मैं नम्रता से निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक सवाल नहीं एक लाख इर्रेगुलेरिटी आयें तो नियम यह है····

श्री गिरधारी लाल व्यास : डिस्टार्ट कर रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह डिस्प्यूटेड हैं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार यह बहस का मसला नहीं है । यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि इसको गवर्नर को उचित कार्यवाही के लिए रैफर किया जाये । यह फैक्ट है । इसको आगे कैसे बढ़ाया जाये । मैं निवेदन करूंगा कि पिछली डिबेट जिसमें लड्ढा साहब का जवाब मौजूद है, उस डिबेट की एक कापी भेज दें साथ में ।

श्री अध्यक्ष : यह देख लेंगे ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इन कापीज को रैफर कर दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया ।

विधि मंत्री जी

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह लड्ढा साहब के बारे में आपत्ति उठाई है । अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)
वह गवर्नर ही कर सकता है। साथ ही आपने सुप्रिम कोर्ट का हवाला देते हुये कहा है कि न केवल यह सदन बल्कि कोई भी नागरिक सीधा गवर्नर को दे सकता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, इस सदन के द्वारा गवर्नर को यह आपत्ति रेफर नहीं की गई है तो आपको स्वयं को अधिकार था तो आपने स्वयं क्यों नहीं रखी है? हमारा सीधा सा प्रश्न है। आखिर आपके द्वारा रखी जाये तो बहुत सम्भव है, हमारा ही नहीं आप का विश्वास है। इसलिए आप चाहते हैं कि इस हाउस के द्वारा, यह हाउस इसको मूव करे। अर्थात् आप स्वयं रख सकते थे। आप ने रखा नहीं है। मैं देखता हूं कि आप स्वयं इसको महसूस करते हैं। इसके लिये हमें इस प्रकार की आपत्ति नहीं रखनी चाहिए। न हम को ऐसा आग्रह करना चाहिए कि हम गवर्नर को मूव करें।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय हीरालाल देवपुरा ने अभी कहा है। माननीय सदस्य उसको सीधे क्यों नहीं ले गये। इसका जवाब माननीय सदस्य ने दे दिया। जब यह प्रश्न यहां प्रस्तुत किया गया तो अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि हम इसकी व्यवस्था रिजर्व रखते हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही अचानक समाप्त कर दी गई। माननीय मुख्य मंत्री-जी यहां बैठे हैं, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद में मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाकर ही रहेंगे। मैंने जुलाई में उनको पत्र लिखा कि लड्ढा साहब के बारे में वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। या माननीय लड्ढा जी निर्दोष हैं। अगर वह निर्दोष हैं तो जांच को मुख्य-मन्त्री ने दबाकर क्यों रखा है? जांच का परिणाम क्या रहा है? उन्होंने राज्यपाल को मूव क्यों नहीं किया है? उन्हीं का उत्तर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बिना सदन को पूर्व सूचना दिये प्रश्न को उठाना नहीं चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : तैयारी करनी चाहिए थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभी सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस आपत्ति पर ही इसको समाप्त करना चाहिए। बिना पूर्व सूचना के यह प्रश्न आया है।

दूसरा यह है कि सदन की ओर से माननीय राज्यपाल को यह मामला सुपुर्द किया जाये। मैं समझता हूं कि जब कोई भी नागरिक इस मामले को राज्यपाल के पास ले जा सकता है तो 6 महीने तक इस मामले को क्यों नहीं ले जाया गया। मैं समझता हूं कि बार बार किसी प्रश्न को सदन में उठाया जाये जिससे कि कुछ बातें कही जा सकें। जहां तक सदन का प्रश्न है, सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक सदन आगे नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भेजता है। जहां तक अध्यक्ष महोदय का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय भी सदन की राय से ही इस मामले को आगे भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके तथ्यों को देखते हुये जहां तक सम्भावना की स्थिति है, उसको देखते हुये ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जिसमें कोई माननीय सदस्य इस सदन में बैठने के अयोग्य हो गये हैं। यह मामला वहां प्रस्तुत किया जाय। अगर इसके बाद भी कोई माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो उनको अधिकार है, वह राज्यपाल महोदय के सामने यह प्रश्न रखें। सदन बिना कोई तथ्य के कोई मामला नहीं भेजता है। न किसी अधिकारी के पास भेजता है। ऐसा नहीं भेजता है जिसमें कोई सचाई न हो। ऐसी बात नहीं चलाई जा सकती है। हम सभी जिम्मेदार आदमी हैं। बिना पूरी छानबीन किये हुये मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, हमारे भारत के प्रधान मंत्री से ऊंचा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले के मंत्रि-मण्डल में कोई कमी थी, खराबी थी, भ्रष्ट था, इस लिए नया मंत्रि-मण्डल बना। इससे यह साबित होता है कि वह भ्रष्ट था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस मामले को खत्म करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : डिस्प्यूटेड मसला है, इसके बारे में स्पष्टीकरण करने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ! स्वायत्त शासन मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के सामने अलवर के लकड़हारे प्रदर्शन कर रहे हैं और जयपुर के रिक्शा चालक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सम्बन्धित मंत्री महोदय से कहें कि वे उनके शिष्टमण्डल से मिलें और उनकी मांगों के सम्बन्ध में जानकारी करें। अध्यक्ष महोदय, इस सर्दी में अलवर के लकड़हारे साइकिलों पर चल कर जयपुर आये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मानवीय दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य होता है कि मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए वह मजदूरों के शिष्टमण्डल को बुलाकर उससे बात करें, उन्हें संतुष्ट करें और फिर सदन को जानकारी दें। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय को आदेश दें।

(2.23 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहते हैं कि फ्रिवोलस एण्ड फेन्टास्टिक। मैंने रूलिंग साइट की हैं—

"It is conceivable that in some cases complaints made to the Governor may be frivolous and fantastic. but if they are of such charactor, the Election Commi-

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
ssion may find no dificulty in expressing thier opinion straightway.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : Whether this august House....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप थे नहीं नाहर साहब, इसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है। मैंने दो रूलिंग साइट की है, स्पीकर और चेअरमैन आफ कांसिल ने रेफरेन्स किया है। इसलिए हाउस के रेफरेन्स का सवाल है, स्पीकर के रेफरेन्स का सवाल है He has to make a reference to the Governor.

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्पीकर बिना हाउस से जानकारी किये रैफरेन्स

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई आवश्यकता का पाइन्ट खड़ा हो जाय Let hlm decide the matter.

श्री गिरधारीलाल व्यास : डिसाइड करा लीजिए।

श्री सभापति : विधायी कार्य !

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, मैंने नम्र निवेदन किया, अलवर के दो सौ लकड़हारे मजदूर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर इस कड़कड़ाती सर्दी में साइकलों से चल कर जयपुर आये हैं और विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के रिक्शा चालक मजदूर भी अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के सामने तीन घण्टे से प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। चाहिए तो यह था, आपको इस पर विचार करना चाहिए था और मंत्री महोदय उनके सामने जाकर भाषण देते। लेकिन यह सरकार निकम्मी है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी हमेशा अपनी गैर-जिम्मेदाराना नीयत के अनुसार ध्यान नहीं देती है। इस विधान सभा के सामने इनका प्रदर्शन होने के कारण मैं नम्र निवेदन करूंगा ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया : आप सम्बन्धित मंत्री महोदय को आदेश दें ...

श्री सभापति : आप कौन से पाइन्ट पर कहना चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, अलवर के दो सौ, ढाई सौ लकड़हारे जंगलात की समस्या को लेकर आये और उन पर जो फर्जी मुकदमे बनाये जाते हैं और गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनके अधिकारों से जिस प्रकार उन्हें वंचित किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है–इन प्रश्नों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछली दफा भी, आपको याद होगा, इस विधान सभा के सामने इस प्रकार का एक प्रदर्शन करने अलवर के लकड़हारे आये थे। उस समय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित मंत्री महोदय, श्री नारायणसिंह मसूदा को लकड़हारों के शिष्टमण्डल को बुलाकर उनसे बात करने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! विधायी कार्य ले लिया गया है। स्थान ग्रहण करें।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : मैं निवेदन कर रहा हूं, यह लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसान और मजदूरों की भावनाओं से परिचित हैं और आप इनको जानते हैं, इसलिए वन विभाग के मंत्री महोदय को आदेश दें कि जो तीन सौ मील दूर से साइकिल पर चल कर अलवर से कड़कड़ाती सर्दी में आये हैं . . .

श्री **सभापति** : स्थान ग्रहण करें। विधायी कार्य !

श्री देवीदत्त **गाडिया** : आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि वह उनके शिष्ट मण्डल से मिलें, प्रदर्शनकारियों के सामने जायें या शिष्टमण्डल को बुलाकर उनसे मिलें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आप उनको लाकर इनसे बात करा दें।

श्री **सभापति** : स्थान ग्रहण करें।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : सभापति महोदय, यह प्रश्न गम्भीर है। मैं निवेदन करता हूं कि आप मंत्री महोदय को कहें। इस सदन की परम्परा ऐसी है, और आसन से मंत्री महोदय को पहले आदेश दिया गया है और उसकी पालना हुई है जब कभी प्रदर्शन इस विधान के सामने हुए हैं। पिछली बार अलवर से चलकर साइकिल से लड़कहारे आये थे और अध्यक्ष महोदय ने वन विभाग के मंत्री को आदेश दिया था कि वह शिष्टमण्डल से मिलकर उनकी, समस्याओं का निराकरण करें। इसी प्रकार सम्बन्धित मंत्री इनके शिष्टमण्डल से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें।

श्री **सभापति** : स्थान ग्रहण करें। विधायी कार्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अच्छा हो, यदि इस सम्बन्ध में, क्योंकि यह मजदूरों की समस्या है और मजदूर कड़कड़ाती सर्दी में साइकिल से चलकर अलबर से आये हैं और विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आप मंत्री महोदय को आदेश दें। इसमें आपको दिक्कत क्या है, पहले भी ऐसा आदेश आसन से हुआ है . . .

श्री **सभापति** : नहीं, नहीं। कोई आदेश नहीं हुआ।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : आसन ने दिया है मंत्री महोदय को और मंत्री ने शिष्ट मण्डल को बुलाकर बातचित की है मैं भी चैम्बर में गया हूं और शोभारामजी भी गये थे। उन्होंने मिलकर एक कमेटी नियुक्त की थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आज भी उनके साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है, अलवर के लकड़हारों के साथ हो रहा है। आये दिन पुलिस फर्जी मुकदमें बनाकर गिरफ्तारियां बिना कारण के कर रही है और उनको परेशान कर रही है। उन मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिलती है, उनको जंगल से लकड़ी नहीं मिलती है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : सभापति महोदय, यह प्रश्न तीन दफा रिजेक्ट हो गया लेकिन बार बार यह उठा रहे हैं।

श्री **देवीदत्त गार्डिया** : मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित मंत्री, भीखाभाई को आदेश

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
दें कि वह शिष्टमण्डल को बुलाकर उससे बातचीत करें। जो कमेटी नियुक्त की है, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाय और उनको आश्वासन दिया जाय। मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करें तो उचित हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उनको ले जाकर मिला दीजिये।

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी डेपूटेशन मिला था और एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस कारण आज भी मजदूर परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आज मंहगाई भी बढ़ रही है। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय शिष्टमण्डल से जाकर क्यों नहीं मिलते हैं?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगासहाय : उनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगासहाय : आप मंत्री महोदय से कोई व्यवस्था करायें।

श्री दिग्विजय सिंह : गिरधारीलाल जी, आप ही जाकर मिल लें। कोई भी मिल ले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको चाहिए कि उनका प्रतिनिधि मण्डल ले जा कर मंत्री महोदय से मिला दें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप बार बार कह रहे हैं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो हुक्म दे रहे हैं ....

श्री देवीदत्त गाडिया : बड़ा अफसोस है जो इतने मील चल कर साइकिलों से आये हैं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप ले जाकर मिला दो।

श्री देवीदत्त गाडिया : विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनकी समस्याओं के बारे में स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका है ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी गई है। आप बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप गरीबी को दूर करने का, भुखमरी को दूर करने का, नारा लगाते हैं ...

श्री शंकरसिंह : आप उनको ले जाकर मिला लाइये।

श्री देवीदत्त गाडिया : आये दिन उन लोगों की गिरफ्तारियां की जाती हैं, वह लोग पीड़ित हैं। वह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि उनके शिष्ट मण्डल को वहां बुलाये और उनसे मिलें। जाना तो मंत्री महोदय को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
प्रदर्शनकारियों के सामने चाहिए था। लोकतंत्र तो यही कहता है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास :** आप जाकर मिला लाइये।

श्री **शंकरसिंह :** आप उनको लाकर मिला दीजिये।

श्री **वार्लसिंह सोढ़ा :** शंकरसिंहजी को बड़ा रोश आ रहा है।

श्री **सभापति :** मन्त्री महोदय।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970

श्री **रामकिशोर व्यास** (स्वायत्त शासन): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदय, रिक्शा चालकों के सम्बन्ध में रिक्शा-व्यवस्था को निर्धारित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर अधिकार लेने की व्यवस्था की है। सभापति महोदय, इस व्यवस्था का मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही जिस प्रकार का प्रवर समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें इस प्रकार की कई बातें है जिनकी ओर यदि गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो जहां रिक्शा पुलर के साथ न्याय करना चाहते हैं, न्याय के स्थान पर अन्याय होने की भी सम्भावना है। माननीय मन्त्री महोदय और यह सदन अच्छी तरह से जानते है कि स्वयं रिक्शा खींच कर आज सवारियों का बोझ ढो कर कोई भी व्यक्ति यदि मजदूरी करता है तो उसका कारण केवल मात्र मजदूरी है। यदि इन व्यक्तियों को कोई दूसरा रोजगार उपलब्ध हो जाय तो मैं समझता हूं कि कोई इन्सान ऐसा नहीं होगा जो रिक्शा चला कर अपना पेट भरने की व्यवस्था करे लेकिन दुर्भाग्य से यह कहना पड़ेगा कि पिछले बीस वर्षों में हमने चार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत काम किया। सरकार ने समय समय पर नाना प्रकार की घोषणायें की। इन सबके उपरान्त भी देश के अन्दर बेकारी और बेरोजगारी बढ़ी। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आज इन्जिनीयर्स और डाक्टर्स को भी रोजगार उपलब्ध नहीं है, पढ़े-लिखे और अनपढ़ इस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस समस्या के समाधान की जहां आवश्यकता थी, हमने उसकी हर घोषणा के साथ उपेक्षा की है और अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सभापति महोदय पहली पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन सभी योजनाओं के अन्दर कम से कम इस बात का तो उल्लेख आता है कि देश में इस साल में इतने बेकार थे, और अगले साल इतने बेकार और हो गये और इस समस्या का हल किस प्रकार से किया जायेगा लेकिन सभापति महोदय यह चतुर्थ पंचवर्षीय

Page No.87

(श्री भैरोंसिंह)

योजना का प्रारूप देखकर तो ऐसा प्रगट होता है कि भारत सरकार इस बेकारी की समस्या को इतना जटिल मानकर चल रही है कि इसका भारत सरकार के पास कोई हल नहीं है। इसलिए सभापति महोदय आपको इसे देखकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर बेकारी की समस्या का उल्लेख करना उचित नहीं समझा। सभापति महोदय अगर आपने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को देखा होगा तो उसे देखने से पता चलेगा कि इससे यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन बेकार है और सरकार की योजना के अनुसार कौन बेकार नहीं है। उसे देखने से इस प्रकार का एक विवाद खड़ा हो जाता है इस बारे में और इस तरह यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन व्यक्ति बेकार है और कौन व्यक्ति बेकार नहीं हैं। भारत सरकार की योजना कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बेकार लोगों के एक अमुक वर्ग को ही बेकार माना है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार और उसे अगर आधार मान कर चलें तो बाकी जो लोग बेकार हैं वो तो बेकार होते हुए भी बेकार नहीं हैं। सभापति महोदय, भारत सरकार की आगे की पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लोग बेकारी की श्रेणी में आते थे अब वो इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को देख कर ऐसा लगता है कि बेकार नहीं रहे। तो पता नहीं चलता कि जिन लोगों ने पहली दूसरी, तीसरी योजनाओं के अनुसार बेकार थे वो अब बेकार कैसे नहीं रहे या तो ये समझे कि वो सभी कहीं न कहीं एम्प्लोयड हो गये या तो अब सरकार की नजर में बेकार नहीं रहे। वो बात भी नहीं है सारे के सारे तो कहीं भी एम्प्लोय हुए नहीं तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना तक जो लोग बेकारी की श्रेणी में आते थे वो अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर कहीं बेकार नहीं दिखाये गये हैं उनकी बेकारी की प्रोबलम कहां साल्व हुई और वह भी कहां पर एम्प्लोय हो गये इसलिये यह एक बड़ी समस्या हो गयी है अब किसको बेकार कहें। और किसको बेकार नहीं कहें। इसलिये इसके बाद विवाद खड़ा होगया है और अब परेशानी हो गयी है कि भारत की नजर में और राज्य सरकार की नजर में कौन बेकार है और कौन बेकार नहीं नहीं है। सभापति महोदय, इस प्रकार सही स्थिति का पता नहीं लग रहा है और लोगों में बेकारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप आज लोगों को अपनी लिवलीहुड के लिये रिक्शा चलाने का और ठेले का काम तक करना पड़ता है लोग ठेला चलाते हैं और अपने परिवार वालों को पालते हैं। सभापति महोदय, रिक्शा जो चलाता है और उस रिक्शे में वो दो लोगों को और घोंसता है इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा खराब असर पड़ता है इसके अलावा जो लोग रिक्शा चलाते हैं उससे जो आमदनी होती है उससे बहुत ही कम आमदनी होती है जिससे कि वो अपने और अपने परिवार वालों का पेट पाल सकें। सभापति महोदय, जो अपने परिवार वाले लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता वह अपने बच्चों को क्या तो शिक्षा देगा और

Page No.88

(श्री भैरोंसिंह)

क्या उनको बीमारी में उनके इलाज करवायेगा। दूसरी नागरिक सुविधाओं के बारे में तो सोचना ही व्यर्थ है उनके लिये तो सभापति महोदय, यह आज दयनीय स्थिति एक रिक्शा चालक की। इसके ऊपर यह स्थिति और है कि जो रिक्शा वह रिक्शा पुलर चलाता है वह उसका नहीं क्योंकि रिक्शा का मालिक तो कोई दूसरा ही हैं वह तो रिक्शा किराये पर लेता है और पूरे दिन रिक्शा चलाकर जो कुछ भी आमदनी होती है उसमें जो रिक्शा का किराया होता है वह उस रिक्शा मालिक को देकर और जो उसमें से बचता है वह अपने घर ले जाता है उसमें आप भी सोचलें कि क्या बचता है। आज जयपुर में लोगों में बेकारी की समस्या के कारण लोग रिक्शा चलाते हैं उनकी भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज्यों ज्यों ज्यादा लोग रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा के जो मालिक हैं वह किराया भी बढ़ा देते हैं आज जयपुर में रिक्शे के किराये के डेढ़ रुपया, दो रुपया और कोई कोई मालिक तो करीब चार चार रुपया तब रिक्शा के किराये के लेते हैं अब वह रिक्शा पुलर जो कि दिन में सात आठ रुपये रोज कमाता है वह अगर चार रुपया उस रिक्शा मालिक को दे देता है तो फिर उसके पास क्या बचा और जो बचता है उसमें से वह किस प्रकार अपने और अपने परिवार वालों का पेट पाल सकेगा। और किस प्रकार वह अपने बच्चों को लिखा पढ़ा सकेगा। इस प्रकार बेचारे रिक्शा चालकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई है। सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी रिक्शा चालकों ने आन्दोलन किया था कि जो रिक्शा चलाता है उसको लाइसेन्स दिया जाय। रिक्शा चालक ही रिक्शे का मालिक है। आज स्थिति यह है कि जयपुर में जितने भी रिक्शा पुलर्स हैं उनके खुद का कोई रिक्शा नहीं है और रिक्शाओं के लिये जो नगर परिषद् द्वारा लाइसेन्स दिये गये हैं उनमें से मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई रिक्शा चालक होगा जिसके नाम लाइसेन्स होगा। उन्होंने इसी लिये अपने आन्दोलन में मांग की थी कि भविष्य में जो भी लाइसेन्स दिये जायं वह·· इन आंदोलनों में भूखहड़ताल तक करनी पड़ी थी। और बाद में सरकार ने यह माना कि भविष्य में जो लाइसेन्स दिये जायंगे वह रिक्शा चालक को ही दिये जायेंगे। इसके लिये इस सदन में एक विधेयक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस विधेयक में सरकार ने यह बात तो मान ली है कि भविष्य में रिक्शे के लिये लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे। लेकिन इनमें यह है कि भविष्य में किसी को भी लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा चाहे वह रिक्शा चालक हो या वह और कोई लेकिन सभापति महोदय, राज्य सरकार रिक्शा चालकों के हित के लिये कोई कानून बनाये यह तो खुशी की बात है लेकिन अगर उस कानून में यह बात है कि भविष्य में किसी को भी रिक्शा के लिये लाइसेन्स नहीं दिये जायेगे तो यह गलत होगा क्योंकि रिक्शा चालक की जो मांग थी वह यह थी कि रिक्शे के लिये लाइसेन्स उन्हीं को दें जो कि रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा का मालिक वो ही है जो रिक्शा चलाता है और अब अगर विधेयक में ऐसा है कि किसी को भी लाइसेन्स नहीं दिया जाय और अगर आप कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें जो लोग बेकार हैं और उन्हें नौकरी नहीं

(श्री भैरोंसिंह)
मिलती है और वो अगर रिक्शा चलाते हैं अपना पेट पालने को तो मेरा यह निवेदन है सभापति महोदय, कि इसमें ऐसा तो कोई जरूर प्रावधान होना चाहिये कि जो लोग बेकार हैं और अभी रिक्शा चलाते हैं उनको तो कम से कम लाइसेन्स देने का प्रावधान होना चाहिये। अगर आप बेकार लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं और अगर जो लोग रिक्शा चलाते हैं उन्हें अगर आप लाइसेन्स भी नहीं देना चाहते तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभापति महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इसमें ऐसा प्रावधान तो जरूर रक्खें कि जब तक इन बेकार लोगों को जिनके पास लाइसेन्स नहीं है और वो रिक्शा चलाते हैं उन्हें या तो कहीं न कहीं एम्पलाय करे या फिर उनके लिये इस विधेयक में कोई प्रावधान करें। सभापति महोदय आज जयपुर में बहुत से रिक्शा चालक है जिनको सरकार दूसरी जगह एवजोर्ब नहीं कर सकती है और जो लोग रिक्शा चलाकर अपनी मजदूरी करके अपने परिवार वालों के पालने की व्यवस्था करते हैं वो इस पाबन्दी के लग जाने से अपनी लिवलीहुड भी पूरी नहीं कर सकेंगे तो सभापति महोदय, मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि इस पर कोई पाबन्दी ऐसी नहीं लगानी चाहिये और अगर राज्य सरकार ऐसी पाबन्दी लगाती है तो उचित नहीं है। इसलिये सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार को यही सुझाव है कि जब तक आप कोई आल्टरनेटिव एम्पलोयमेन्ट उन लोगों को नहीं दे सकते तब तक तो राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये इस विधेयक में जिससे उन्हें लाइसेन्स मिल जायें ताकि वो अपनी मजदूरी करके पेट पाल सकें। सभापति महोदय, राज्य सरकार से मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि जब तक सरकार उनको रिक्शा चालक का लाईसेन्स नहीं देती तब तक उन्हें कोई आल्टरनेटिव जोब देने की व्यवस्था करावें और अगर ऐसा कोई राज्य सरकार निश्चित व्यवस्था नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार जो यह बात विधेयक में कही है कि राज्य सरकार नये रिक्शों के लिये लाईसेन्स नहीं देगी तो यह बात कहां तक उचित है? सभापति महोदय, आज जयपुर के अन्दर नगर परिषद् द्वारा जो लाईसेन्स दिये हुए है वह कुल 947 है अगर इसी को सही आधार माना जाय तो एक गलत बात होगी क्योंकि यह तो 947 लाईसेन्स इश्यू किये हुए हैं लेकिन आज जयपुर के अन्दर और जयपुर के आसपास और भी कई रिक्शायें चलती हैं जिनको झोटवाड़ा, डामरोली, आमेर, और सांगानेर पंचायत समितियों से रिक्शाओं के लाइसेन्स मिले हुए हैं और वो रिक्शे इन जगहों पर जयपुर से चल रहे हैं। इस प्रकार के रिक्शे भी करीब तीन हजार होंगे जिनको इन्हीं पंचायत समितियों ने लाइसेन्स दिये हैं। सभापति महोदय, मेरे दृष्टिकोण से इसके अलावा भी 500 रिक्शे ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइसेन्स बने हुए नहीं हैं और वो रिक्शा भी चल रहे हैं। इस प्रकार करीब आज पांच हजार रिक्शे चल रहे हैं तो इन पांच हजार रिक्शों में से लाइसेन्स तो सिर्फ 947 रिक्शा वालों को मिले हुए हैं और बाकी के रिक्शे जो करीब चार हजार हैं उनके पास जयपुर नगर परिषद द्वारा लाइसेन्स नहीं दिये हुए हैं पर वो आज यहां रिक्शा पुलर्स हैं और आज जबकि

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के पास लोगों को एम्पलायमेन्ट देने को नहीं है और बेरोजगारी की समस्या राज्य सरकार के सामने खड़ी है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जो विधेयक राज्य सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें मेरे इस प्रस्ताव को ध्यान में रखें और कोई ऐसी व्यवस्था करावें कि जब तक रिक्शा चालकों के लिये दूसरी और आल्टरनेटिव जोब की व्यवस्था नहीं हो तब तक इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। वह सरकार रखे मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं एक ही गारन्टी चाहता हूं सरकार से। जयपुर में पांच हजार रिक्शा चल रहे हैं, उनके लाइसेन्स हों या न हों, जयपुर में पांच हजार रिक्शा चलते हैं, उस समय तक यह व्यवस्था चलायें जब तक रिक्शा चालकों को नया आल्टरनेटिव जोब प्रोवाइड नहीं करते। सरकार ने कई संशोधन इसमें रखे हैं वे उपयुक्त नहीं हैं। रिक्शा चालकों के हित में नहीं हैं। इस पर सरकार विचार करते हुए पर्टीकुलर क्लाजेज पर विचार हो, राज्य सरकार इस को स्वीकार करते हुए उस प्रकार का अमेन्डमेन्ट करे और जो रिक्शा पर पलते हैं उनके पेट पर किसी प्रकार की लात न दें।

श्री रामकिशोर व्यास : चेयरमेन महोदय, माननीय भैरोंसिहजी ने मुद्दे आम सिद्धान्त के भी उठाये और संशोधन की भी बात कही। यह प्रश्न पेचीदा तो है इस माने में कि इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो यह है जो उन्होंने उठाया है कि इस जमाने में काफी बड़ी बेरोजगारी है और काफी तादाद में लोग इससे धन्धा प्राप्त कर रहे हैं, मजबूर होकर यह धन्धा करते हैं और रिक्शा चलाते हैं इसलिये नये लाइसेन्स देना जारी रखा जाय और बन्द न हो। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू यह भी है इसमें दो राय नहीं है कि रिक्शा पुलर्स का बड़ी तादाद में एक्स्प्लोयटेशन हो रहा है। जयपुर में काफी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रिक्शा के मालिक तो और होते हैं और वे उसके चलाने वाले रहते हैं, जैसा उन्होंने खुद ने भी कहा कि दो तीन चार रुपये तक रिक्शा मालिक को दे देते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता। इकोनोमिक पाइन्ट ग्रोफ व्यू से और ह्यूमेनिटी की दृष्टि से भी यह इनह्युमन माना गया है। हैल्थ पाइन्ट आफ व्यू से भी इन ह्यूमन है। आल इन्डिया मेडिकल बोर्ड ने भी इसको डिस्कस किया और यह कहा कि इसको डिस्करेज करना चाहिये। उसको ध्यान में रखकर ही यह संशोधन पेश किया है। यह संशोधन आने के बाद सदन ने मुनासिब समझा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी ने तीन बातें मुख्य रूप से कही हैं। एक बात तो यह कही कि आयन्दा जो लाइसेन्स दिये जांय केवल पुलर्स को दिये जायं और किसी और को न दिये जांय। यह सिद्धान्त आप सब को स्वीकार होगा कि एक्चुअली जो रिक्शा चलाते हैं उनको लायसेन्स मिलें। दूसरे को न मिले।

दूसरी बात यह कही कि एक पुलर को यों कहिये कि एक रिक्शा का एक ही लाइसेन्स हो, दो नहीं। तीसरा उन्होंने यह फैसला किया कि इसका ग्रेजुअल एबोलिशन हो और एकदम न हो। 297 का अमेन्डमेन्ट

Page No.91

(श्री रामकिशोर व्यास)

है। सिलेक्ट कमेटी ने यह तय किया कि हाउस के सामने जो भी संशोधित रूप आये और उसमें परिवर्तन के बाद जो भी फाइनल रूप हो उसको अनधिकृत माना जाय। यह पहली बात है कि पुलर्स को ही दिया जाय सब ही इससे सहमत होंगे।

अब आपने मुद्दा उठाया वह यह है कि आयन्दा बन्द न किये जायं। आयन्दा भी पुलर्स को मिलते रहें। नीति का प्रश्न है। रिक्शा चलाने के मामले का है उससे आगे बढ़ाना है या उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है ? मेरा खुद का मत यह है कि जो एक्जिस्टिंग (मौजूदा) रिक्शा पुलर्स हैं, संचालक हैं उनको अवश्य देना चाहिये और नये लाइसेन्स नहीं दिये जाने चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : मेरा निवेदन यह है कि जो पुलर्स हैं उनके वे रिक्शे नहीं हैं। ये लावेंगे कहां से ? जैसे जागीरें खत्म हुई''

श्री रामकिशोर व्यास: सुन लें आप, वह बात पहले भी उठायी थी।

श्री मदनसिंह : धीरे धीरे उनके हो जांय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक्जिस्टिंग कौन हैं यह तय कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास: मैं अपनी पूरी बात कह लूं। एक्जिस्टिंग जितने हैं उनके पास लाइसेन्स हैं। एक्जिस्टिंग जिनके रिक्शाज हैं उनके चलाने वाले अगर पुलर्स हैं तो उनको रिन्यू कर दिया जाय। पोइन्ट इसमें यह आवेगा कि ओनर्स तो हैं लेकिन पुलर्स नहीं हैं उसके लिये सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि पुलर्स चलाना चाहें तो देना चाहिये। यह हमारी भी राय है।

श्री भैरोंसिंह: This is no argument.

श्री रामकिशोर व्यास : एक्जिस्टिंग पुलर्स हैं। पर्सनल दृष्टिकोण भी है। अमेन्डमेन्ट भी आये हैं। अमेन्डमेन्ट के वक्त अर्ज करूंगा। ऐसे लोगों के लिये भी मान लीजिये कि एक पुलर है, किराये का चलता है, रिक्शा नहीं है। रिक्शे को लेकर चलाना चाहे तो रिन्यूअल से काम नहीं चलेगा। कल पर्चेज कर लेता है तो रिन्यू करना पड़ेगा नया लाइसेन्स देना पड़ेगा।

श्री मदनसिंह : लाइसेन्स दे भी देंगे। मालिकों ने विड्रो कर लिये तो सड़ेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मालिकों को देने की नीति ही नहीं रही है। पुलर्स को देने की है। पुलर्स के लाइसेन्स बने हुए हैं।

श्री मदनसिंह : लाइसेन्स तो हैं लेकिन रिक्शा नहीं है। पुलर्स के पास रिक्शे हैं वे उन्हीं के होने चाहिये। बैंक से रुपया देकर मालिकों को हटाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास: यही तो मैं कह रहा हूं। वे पर्चेज करके अपना बना लें। वेज एन्ड मीन्स का पता लगा सकते हैं कि कितनी हैल्प कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह : जैसे जागीरदारी कानून में कहा कि कुओं के मालिक नहीं रहे। दस साल से रिक्शा चलाते हैं, किराया दे दिया रिक्शे का तो वह तो उसका हो

(श्री मदन सिंह)

जाना चाहिये। यह पहले भी कहा था और जस्टिफाइड है।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी का रिक्शा चल रहा है और पे कर दिया है उसने उसको किराया। इसलिये रिक्शा उसका मान लिया जाय यह लीगल और पेचिदा सवाल है।

श्री मदनसिंह : हमारी जागीरी इसी प्रकार खत्म की।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : आपके रिक्शा हों और मंत्री महोदय के हों, करड़ी कमाई से रिक्शों की कीमत अदा हो चुकी है।

श्री रामकिशोर व्यास : राजर्षिजी, यह कानूनी बात है।

श्री मदनसिंह : राजाओं का कर रहे हैं। जागीरदारों का किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : कानून बना कर करना पड़ा। दस साल कोई मकान में किराये पर रहे, वह दस साल में इतना किराया दे चुका है कि उसके उस मकान की कीमत अदा हो चुकी इसलिये वह मालिक बन जाय वह मालिक बन नहीं जावेगा। काफी अमाऊन्ट दे दिया तो इक्विटेबल बात हो सकती है ओनरशिप तो और है। जब तक सेपरेट इसका कानून न बन जाय यह नहीं किया जा सकता है।

श्री चुन्नीलाल : कानून में संशोधन कर दीजिये।

श्री मदनसिंह : रहने वाले मालिक होंगे, इन्दिराजी ने यह नारा दिया था।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी इस बात को मानूंगा कि यदि एक दम उनको हटा दिया जाय तो बेकार होंगे। इसलिये हमने ग्रेजुअल एबोलिश का किया है। जब तक जोब न मिल जाय तब तक यह न हो। गवर्नमेंट के लिये यह जवाब देना कि यह जिम्मेदारी ले लेंगे कि नौकरी दिला देंगे यह मुश्किल होगा। सरकार यह कर सकती है कि रिक्शा परचेज कराने में बैंक के मार्फत या किसी अन्य तरीके से उनको आर्थिक मदद दिलाने में सहायता करे। यह तो सम्भव है, पर जैसे सरकार नौकरी पर लोगों को रखती है वैसे रखकर चले, यह सम्भव नहीं है। तो इस सीमा तक उनको रिहेबिलिटेट करने में सरकार उसकी सहायता कर सकती है।

उद्देश्य हमारा धीरे धीरे इस प्रथा को समाप्त करने की है। इसकी डेट भी हम फिक्स करेंगे और वह डेट आपके सामने आवेगी। उसको आप बड़ा घटा सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग को देना यह भी तै किया।

श्री सूरजमल (सूरजगढ़) : एक रिक्शा पर एक से अधिक चालक हैं उनका क्या करेंगे आप ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह एक सोचने का मुद्दा है। अभी तो एक पर एक को एक देना चाहते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक पर एक शख्स को ही देंगे तो क्या दूसरे जो एक रिक्शा पर बाकी के आठ आठ घंटे चलते हैं वे दो व्यक्ति आइडल पड़े रहेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस पोइन्ट में वजन भी है। अमेण्डमेन्ट भी आये हैं। अमेण्डमेन्ट के वक्त अर्ज करूंगा ।

श्री सांवरमल बासोतिया : एक परिवार के दो तीन लोग अगर रिक्शा पर निर्भर हैं और उसमें एक दिन कोई बीमार हो गया तो इसलिये फैमिली मेम्बर को अलग से लाइसेन्स दिया जाना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : बात वही है जो मैंने कही है। एक आदमी को एक रिक्शा पर दूसरा या तीसरा लाइसेन्स भी दिया जावे या नहीं यह प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने ठीक ही ढंग से रक्खी है सारी बातों पर एक प्रश्न जटिल है। एक व्यक्ति के पास रिक्शा है और दूसरा चला रहा है, कई वर्षों से चला रहा है पर उसके पास रिक्शा पुलर्स का लाइसेन्स नहीं है। इस प्रकार के बिना लाइसेन्स के पुलर्स जयपुर में बहुत हैं और जगह भी बहुत हैं।

अब अगर यह मानकर चलें कि जिनके पास लाइसेन्स हैं उनको रिन्यू कर दिया जावेगा तो सवाल यह होगा कि वे पुलर्स हैं या नहीं ? तो इसके वेरिफिकेशन के लिये म्युनिसिपैलिटी का रेकार्ड देखना पड़ेगा। पर वहां उसका नाम नहीं है तो उसकी कैसे व्यवस्था होगी और वह व्यवस्था होगी और वह व्यवस्था करके ही चलें इसमें फायदा है। नहीं तो हमारा यह अनुभव है कि इसमें इतना भयंकर करप्शन होगा कि सरकारी कर्मचारी और म्युनिसिपल कर्मचारी मिल कर रिक्शा पुलर्स का भयंकर एक्सप्लोइटेशन करेगा इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : जिनके म्युनिसिपैलिटी में लाइसेन्स हैं वे ही पुलर्स माने जावें। नहीं तो कोई भी कहेगा कि मैं पुलर था। अब उसकी इवीडेन्स में जाओ।

अब जिनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं है और फिर भी चला रहा है तो हमें देखना होगा।

श्री भैरोंसिह : ऐसे बहुत हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं ना नहीं कहता। मेरे पास दोनों तरह के केस हैं। मैं मानता हूं कि रिक्शे भी अनलाइसेन्स्ड चल रहे हैं और पुलर्स भी। इसका कोई दूसरा सोलुशन हो तो बतावें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): जयपुर नगर मे ही ऐसे हों ऐसा नहीं है कोटा में और दूसरे भी शहरों में जहां रिक्शा चलते हैं बिना लाइसेन्स वाले लोग बहुत हैं। तो अगर भ्रष्टाचार को आपको मिटाना है और दूसरे तरह के शोषण को रोकना है तो मेरा इसके लिये सुझाव है कि एक टाइम लिमिट फिक्स कर दें पन्द्रह दिन या महीना कि जिस पीरियड में रिक्शा चालक एप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या प्राइवेट मोटरें हैं और दूसरी वेहिकल्स हैं उन पर एक से अधिक को आप ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं देते ? जब उनको देते हैं तो इन्होंने क्या कुसूर किया है ?

श्री सभापति : संशोधन विधेयक विचारार्थ लिया जावे यह प्रश्न है।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड 2। श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय गिरधारीलालजी व्यास ने जो संशोधन रखे हैं वे हमने देखे और मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया वह भी सुना। अब जो पुलर्स के लाइसेन्स के बारे में जो बात सदन में आई है उसका समावेश इनमें नहीं है।

हमारी मंशा डिबेट करने की नहीं है और न समय लम्बा खींचने की। इसलिये मेरा एक सुझाव है कि अगर मन्त्रीजी उचित समझें तो सदन को आधा घण्टा के लिये स्थगित कर दिया जावे और विरोधी दलों के पांच चार आदमियों को लेकर और सरकारी पक्ष के भी मन्त्रीजी जिनको लेना चाहें उनको लेकर एक जगह बैठ जावें और इन मुद्दों पर एकमत पर पहुंच जावें। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जावे कि जिनका भला करने हम चले हैं, उनका नुकसान न कर बैठें।

माननीय मन्त्रीजी मेरा सुझाव स्वीकार कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : बातचीत से कोई भी पोइन्ट तय करने में तो मुझे खुशी है। ऐतराज की बात नहीं है। पर पुलर्स कौन है और कौन नहीं है यह एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इसलिये किसी निर्णय पर आ जावेंगे ऐसा लगता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आ जावेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर तो इसमें ओनर भी आ सकता है जिसको हम टालना चाह रहे हैं। तो जहां तक पूलर का ताल्लुक है और उसको लाइसेन्स मिलना चाहिये वहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब उसको एसरटेन कैसे किया जाय इसमें दिक्कत है। नगरपालिका के रिकार्ड में हैं उनको ही माना जावे या उनके अलावा को भी माना जावे। मैं मानता हूं ऐसों की फिर काफी बड़ी संख्या हो सकती है और एक्चुवल जो काम करता है वही सामने आवे हमारी इस नीति में अड़चन आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका के रिकार्ड पर ही चलेंगे तब भी दिक्कत आ जावेगी। तो मेरा ठीक सुझाव है कि हाउस को थोड़ा एडजोर्न करके बैठकर इस पर बात कर लें। समय तो किसी तरह से भी उतना ही लगेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : सिलेक्ट कमेटी में यह प्रश्न था, पर उसने इसे मुनासिब समझा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर रिजेक्ट भी नहीं किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रश्न आया ही नहीं, इससे तो यही लगता है रिजेक्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा तो नहीं समझा जा सकता न इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जावेगी फिर तो इस प्रकार के विधेयक की या किसी कानून की जरूरत नहीं है।

श्री भीखाभाई (जनस्वास्थ्य मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी भी इस समिति के सदस्य रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं ?

श्री भीखाभाई : नहीं तो।

श्री भैरोंसिंह : देख कर बोलें न।

श्री भीखाभाई : पर आप इस पर कई बार मुझ से चर्चा कर चुके हैं। आपकी काफी दिलचस्पी इसमें प्रारम्भ से रही है।

पहली बैठक में ही आपसे बात हुई थी। सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि सारे सदस्यों की एक राय थी। बेंगलोर में एक कान्फ्रेन्स हुई थी, बहुत पुरानी बात है माननीय बद्रीप्रसादजी जब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे और लेबर मिनिस्टर थे और यह एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि हम इस रिक्शा पुलिंग को कम करें। अब सारी डिबेट में जो भावना रही है वह प्रवर समिति के सामने रही है कि इस प्रोफेशन को जो हैल्थ के लिये इनजुडरियस है, हानिकारक है धीरे धीरे समाप्त करना चाहिये। माननीय सदस्यों का कहना यह है कि अगर बेरोजगारी हो जायगी तो यह एक खतरा पैदा हो जायगा। आपने हमेशा कहा है इसके पीछे हमारी कोई भावना नहीं है। सब्स्टीट्यूट करने का है वह एक अलग प्रश्न है। मान लीजिये आटो रिक्शा देकर समाप्त किया जायगा लेकिन एक बात सही है आज जयपुर शहर में जो इतने लोग हैं, जो ओनर है वे खुद तो चलाते नहीं है और जो रिक्शा पुलर्स है उनका शोषण करते हैं। मैंने सुना है किसी के पास 10 रिक्शा हैं, किसी के पास पांच रिक्शा हैं और कोई विधवा हो उसने अपना धन्धा कर लिया हो, यह बात समझ में आ सकती है लेकिन सभापति महोदय, एक व्यवस्था इस प्रकार की जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, जिसका हैल्थ पर प्रभाव पड़ता है और जिसको हम ठीक नहीं समझते हैं। आज के जमाने में जब समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ह्यूमेनिज्म की बात करना चाहते हैं उस ह्यूमेनिज्म को रखकर नहीं चलें और सब्स्टीट्यूट तरीके से नहीं चलें जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक कोई आविष्कार नहीं कर सकेंगे क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है उसको ध्यान में रख कर मैं इतना ही निवेदन करता हूं। विदेशी लोग भी आते हैं इस प्राब्लम को खतम करें। यह एक समस्या है किस तरह सब्स्टीट्यूट करें। आज ओनर को दें और हमेशा ओनर को ही दें यह भावना नहीं है। हमेशा के लिये इसको समाप्त कर दिया है, यह भावना है लेकिन यह शनैः शनैः कराना चाहिये। मैं समझता हूं सारे सदस्य जो सदन के सदस्य हैं मौलिक विचार लेकर चलें और उस पर रहें तो हम समझते हैं आगे ठीक निशाने पर चल सकेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो प्रवर समिति के चेयरमैन महोदय ने और माननीय मंत्री महोदय ने विचार व्यक्त किये वे स्वयं स्वीकार करते हैं। यह जो विचार आये थे कि शनैः शनैः ऐसा धन्धा जिसमें मनुष्य जानवर बन कर मनुष्य को अपनी छाती से खींचता है वह नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

होना चाहिये। यह विचार आज के नहीं आज से 15–16 साल पहले भी थे कि बेरोजगारी की समस्या खड़ी होगी। उस दिन इसकी विभिषिका थी किन्तु आज विभिषिका दो जून रोटी की है। मजदूर किसी तरह अपना पेट पाल कर दो बार रोटी खा सके। आज बेपढ़ा लिखा तबका परेशान है। स्वास्थ्य के लिये इनज्यूरियस है इसलिये कम करना चाहिये आज इस सिद्धान्त पर चिपक कर नहीं रहा जा सकता है। आज समस्या है रोजी की। जब तक हम दूसरे साधन उसको मुहैया नहीं करते हैं तब तक यह समस्या बनी रहेगी। आज रिक्शा चालक अपने स्वास्थ्य को खतम करके अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया जाय मैं समझता हूं इस सिद्धान्त को कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज उसको दो जून रोटी मिल जाय यह आवश्यक है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मुद्दे पर आपको ध्यान देना आवश्यक है कि व्यक्ति जो वास्तव में रिक्शा चला रहा है लेकिन लाईसेन्स नहीं है, उसका म्युनिसिपैलिटी में कोई रेकार्ड नहीं है फिर भी रिक्शा चला रहा है। आज ऐसा न हो कि जल्द बाजी में जो हम कानून बना रहे हैं, उनके किन्हीं अधिकारों को समाप्त कर दें इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, यह रिक्शा चालक समाप्त होने चाहिये लेकिन सबसे पहले यह कानून बनाया जाय चाहे हम कापरेटिव बेसिस पर ही उनको आटो रिक्शा दें किन्तु उसका इन्तजाम करके चलें। अगर आप सिद्धान्तः स्वीकार करते हैं तो इसे डिपराइव करें और कापरेटिव बेसिस पर इनको आटो रिक्शा मुहया करें और जब आटो रिक्शा मुहैया नहीं कर सकते हैं तो यह कह देना कि हैल्थ के लिये इनज्यूरियस है, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है उपयुक्त नहीं है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि पूरी हमदर्दी की भावना के साथ विचार करें। आज हजारों रिक्शा पुलर हैं जिनके पास लाईसेन्स नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन है इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करें।

श्री भीखा भाई : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है मूल रूप में जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, 15 साल पहले यह प्रश्न उठा था। आज क्यों यह प्रश्न उठा कि हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे और इन बातों को ध्यान में रखते हुये चाहे कापरेटिव बेसिस बना कर उनको आटो रिक्शा देना चाहिये यह भी बहुत अच्छा है लेकिन जो मूल भावना है वह यह है कि मालिक रिक्शा ओनर हैं उनको जो पुल नहीं करते हैं उनका लाईसेन्स कैसे छीन कर समाप्त किया जा सकता है, यह कैसे पता चले कि यह स्वयं रिक्शा ओनर है या रिक्शा पुलर है। ओनर ही पुलर बन जाय तो जो आदमी पुलर है उसका रजिस्ट्रीकरण होगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जितने रिक्शा ओनर हैं पैसों के माध्यम से सारे रिक्शा पुलर बनकर रजिस्ट्री करा लेंगे और जो वास्तव में मोहताज हैं वे रजिस्ट्री नहीं करा पायेंगे।

श्री भीखाभाई : पुलर कौन है?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जो रिश्वत देगा या एक आध बोतल पहुंचा देगा वही रिक्शा पुलर बन जायगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को आशंका यह है कि जो आज के दिन रिक्शा ओनर है वे ही कल के दिन रिक्शा पुलर नहीं बन जांय। इसके लिये क्या खास प्रगति है ?

श्री भीखा भाई : रिक्शा ओनर जिसकी अच्छी स्थिति होगी वह खुद नहीं खींचता है और जो एक्चुअली रिक्शा पुलर है उसमें भेद नजर आ जाय यह तो एक साधारण बात है। पुलर का लाईसेन्स ओनर के पास चला जाय, इसके पीछे यह भावना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, दो प्रश्न है जिनका कनफ्यूजन हो रहा है एक तो यह ओबजेक्टिव है कि लाईसेन्स जो खुद चलाता है उसको मिलना चाहिये और बीच के जो शोषक हैं इनको खतम करना चाहिए। इसके सम्बन्ध में सरकार का और हमारा एक मत है। अब जो इसके लिये लेजिस्लेटिव पोविजन कर रहे हैं वह इस चीज को पूर्ति करता है या नहीं। लक्ष्य एक है। इस बारे में शंका यह है कि जो आज मौजूदा प्रोविजन्स हैं वह इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है। देखने में तो ऐसा दिखता है किन्तु लाईसेन्स देते वक्त आप और हम नहीं बैठेंगे। कोई और लोग ही लाईसेन्स देंगे और जो रूल्स बनायेंगे या जो प्रावधान बनायेंगे वह इस किस्म का होना चाहिये जिसमें एक्चुअल चलाने वाले को ही लाईसेन्स मिले। तो एक तो इस बात को देखने की जरूरत है। लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है। दूसरा जो सोशियल ओब्जेक्टिव लांग टर्म रखना चाहते है उस पर भी सोचने की जरूरत है। यह इस किस्म का धन्धा है जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल कन्यूजमिंग है और आया हमारी सोसाइटी में और मौजूदा डवलपमेंट में इस धन्धे को हमें इजाजत देनी चाहिये या इसको एबालिश करना चाहिए इस प्रश्न को आपको अपनी सोसाइटी के डवलपमेन्ट की स्टेज पर जाकर सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज के हिन्दुस्तान में और विशेषकर राजस्थान में जहां एम्पलायमेन्ट की अपार्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं हैं इसमें पहला आब्जेक्टिव जो हम एचीव करना चाहते हैं वह यह है कि मिडिल मैन को एलीमिमेट कर दें तो वह काफी है और जहां तक रिक्शा पुलर्स का सम्बन्ध है आप देखें कि क्या समाज में इतना फिजिकल स्ट्रेन डालने वाला धन्धा जैसा रिक्शा पुलर्स का है कारेस्पान्डिगली माईनिंग में, ठेला चलाने में इतना ही फिजिकल कन्ज्यूमिंग आफ फिजिकल स्ट्रेन्थ वाला दूसरा धन्धा है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारी सोसाइटी इतनी तरक्की पर आ जायें तो अवश्य ही वह एबालिश हो जाने चाहिए लेकिन एक तरफ तो हमारा डवलपमेन्ट यह है कि 20 वर्षों से कोशिश करके भी हम महतरानियों को सर पर मेला ढोने से नहीं छुड़ा सके और इस तरफ हमने इतना डवलपमेन्ट जरूर किया है कि आदमी जो गाड़ी की तरह चलता था और पैदल चलकर गाड़ी को चलाता था और आज भी पहाड़ी इलाकों में जैसे शिमला, दार्जिलिंग वगैरह में आज भी चलाते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन वह अपने राजस्थान में नहीं है और साइकिल आने से वह चीज हट गयी, यह अच्छा डवलपमेन्ट मैं समझता हूं। इस स्टेज पर हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि रिक्शा पुलिंग साइकिल के जरिये बिलकुल एबालिश कर दिया जाये लेकिन जो ओब्जे-जेक्टिव हमारा होना चाहिए और उसके लिए अभी जो आपका प्रयत्न है उसमें जरूर शक मालुम पड़ता है। आब्जेक्टिव एक है और मैं समझता हूं कि उसको देख लें अगर वह पूरा हो जाये तो ठीक है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की भावना प्रवर समिति के सदस्यों में थी। एक बार सोचा गया कि इसको वन्स फार आल बन्द कर दिया जाये लेकिन समस्या यह नहीं थी कि इससे वाइड अन-एम्पलायमेन्ट होगा क्योंकि उसमें तो कुल मिलाकर दो हजार का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए वह क्वेश्चन नहीं है। जो सिद्धान्त रहा है वह रहा है कि जो मालिक हैं और जो शोषण करते हैं और जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनको किस प्रकार से शोषण से मुक्त किया जाये और जो हैल्थ हैजार्ड है उसको भविष्य में शनैः शनैः कम किया जाये। यह दो भावनायें इसके पीछे हैं एक तो शोषण से राहत दिलाना उन मालिकों से जो कि दस-दस और पन्द्रह पन्द्रह रिक्शा रखते हैं और दूसरे यह भविष्य में धीरे धीरे इस प्रकार की व्यवस्था करना कि जो रिक्शा चलाते हैं उनको इस प्रकार की सुविधा मिल जाये कि अपने पैरों पर खड़े हो जायें, स्वावलम्बी हो जायें और आटोरिक्शा में ये रिक्शा रिप्लेस कर सकें और नये लाइसेन्स नहीं देना-ये तीन भावनायें इसके पीछे छिपी हुई हैं। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य अलवर से आये हैं उनकी और मेरी राय में फर्क नहीं है।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, क्लाज (सी) में मैंने दो तीन अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं। पहला यह है :

Insert the words "grant and" between the words "provide for the" and the words "renewal of". [1]

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, पहले क्लाज (बी) को लेना पड़ेगा।

श्री सभापति : खण्ड 2 पेज 2 क्लाज (सी) में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : खण्ड 2 के क्लाज (सी) में।

श्री भैरोंसिंह : इसके पहले तो क्लाज (बी) आता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किसी ने अमेन्डमेन्ट नहीं दिया है इसके ऊपर।

श्री भैरोंसिंह : मैंने दिया है। सभापति महोदय, क्लाज (बी) मे इस प्रकार की व्यवस्था है···

श्री सभापति : संशोधन है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां। यह है। मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

(श्री भैरोंसिंह)

(1) In sub-section (I) of section 297-A sought to be inserted by clause 2 of the Bill the expression "or prohibiting the plying use or drawing of rickshaws in streets and public places and to regulate" shall be deleted.

(2) In sub-section (2) of section 297 A—

(I) the following proviso be added to clause (a) namely:—

"Provided that the date shall not be fixed till all the rickshaw pullers are provided alternative jobs by the State Government;"

(II) After the words "Rickshaw pullers and before the punctuation mark Semicolon";" appearing in clause(b), the following words be inserted: "if alternative arrangement for the employment of Rickshaw puller is made; and"

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने स्वयं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। मेरा जहां तक संशोधन है उस संशोधन के अन्दर यह चाहा है कि जब तक उनको आल्टरनेटिव जाब सरकार प्रोवाइड नहीं करती उस समय तक नये लाइसेन्स देने पर कोई पाबन्दी नहीं हो। मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री महोदय ने सिद्धान्त स्वीकार करके इस सदन को बता दिया कि नये लाइसेन्स लेने में रिक्शापुलर्स को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उस आधार पर क्लाज (बी) का रखना मंत्री महोदय ने जो सदन में कहा है उसके विपरीत होगा। इसलिए इस क्लाज को इस प्रकार से अमेन्ड करना चाहिए कि जिसके द्वारा रिक्शा मालिकों को नये लाइसेन्स नहीं मिलें बल्कि रिक्शापुलर्स को लाइसन्स मिल जायें यह भावना मेरी इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ठीक है, स्वीकार किया है कि रिक्शापुलर्स को मिले और ओनर्स को नहीं मिले लेकिन नये रिक्शापुलर्स को देने की बात नहीं है। एक्चुअली रिक्शा चलाते तो हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका रेकार्ड कहां है?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : भरतपुर में सैकड़ों रिक्शा चलते हैं और आप टेलीफोन से पूछ लें भरतपुर की नगरपालिका में पिछले पांच-सात साल से कोई रेकार्ड नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो एक्चुअली चला रहे हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपको अमेन्डमेन्ट यह लाना पड़ेगा : "Provided that no licence shall be granted except to rickshaw pullers".

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आगे है।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह क्लाज इसमें लाना पड़ेगा : "Provided that no lice-

(श्री भैरोंसिंह)
nce shall be granted except to rickshaw pullers." इतना सा कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : "Shall be granted and renewed" both.

श्री भैरोंसिंह : यह तो पाबन्दी कर दी। अगर यह पाबन्दी रह गयी तो फिर आप नये लाइसेन्स किसी को नहीं दे सकते।

श्री रामकिशोर व्यास : रिक्शापुलर्स कौन हैं ?

श्री भैरोंसिंह : वह बाद में आयेगा। अगर आप यह तय करके चलते हैं कि कोई नया लाइसेन्स रिक्शापुलर्स को नहीं दिया जायेगा तो नहीं दिया जा सकता चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। उस एनोमाली को निकालने के लिए ...

श्री रामकिशोर व्यास : वह उससे हल हो जायेगा जो अमेन्डमेन्ट गिरधारी लाल जी ने मूव किया है। उसमें ग्रान्टेड एण्ड रिन्यूड था।

श्री भैरोंसिंह : It should be "Provided that on licence shall be granted except to rickshaw pullers"

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : Yes. Except to rickshaw pullers.

श्री भैरोंसिंह : एक तो नये रिक्शा का लाइसेन्स ग्रान्ट करना और दूसरे पुराने को रिन्यू करना। श्री गिरधारीलाल जी का अमैन्डमेन्ट रिन्यूअल के लिए आपने पाबन्दी दी कि किसी को रिक्शापुलर का नया लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। आपकी भी कोशिश यही है और हमारी भी यही है। जो रिक्शा चल रहे हैं उनका यदि लाइसेंस नहीं है तो उनको यदि नया लाइसेन्स भी दिया जाये तो आपत्ति नहीं है और इसके लिए एक व्यवस्था करके चल रहे है कि पुलर्स की डेफीनेशन इसमें आ जाये जिससे कोई पुलर लाईसेन्स लिये हुए नहीं हो तो इस फेसेलिटी का लाभ उठाकर वह पुलर के रूप में लाइसेन्स ले सकें। अब आप लाइसेन्स नहीं दे रहे हैं तो कोई सेन्स नहीं रहा तो आपकी मान्यताओं का समावेश तो तब ही होगा जब हम इसको मन्जूर करें कि "एक्सेप्ट रिक्शा पुलर" बाकी का किसी को लाईसेन्स नहीं दिया जायेगा। बाकी का गिरधारी लाल जी का अमेन्डमेन्ट आ जायेगा 'एक्सेप्ट रिक्शा पुलर' किसी के लाइसेन्स को रिन्यू नहीं किया जायेगा यह दोनों बातें आनी चाहिएं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन को आप इस रूप में स्वीकार कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : दो प्रकार के लाईसेन्स हैं आज। एक तो रिक्शा जिसका खुद का है और एक रिक्शा पुलर का। दोनों बातों में इसको प्रोवाईड करना पड़ेगा। रिक्शा पुलर की क्लाज को अमेंड करना पड़ेगा। यह उसमें आ जायगा। अब पुलर कौन होगा इसको डिफाईन करना पड़ेगा तो वह कर देंगे। जो रिक्शा तो चलाते हैं लेकिन जिनके पास रिक्शा नहीं है उनको तो लाइसेंस देना ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो दोनों ही आ गए।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका परपज तो इससे सर्व हो जाता है। इसमें

(श्री रामकिशोर व्यास)
तो सभी एकमत हैं और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी है कि पूलर्स को लाइसेंस दिया जाय। अब पूलर कौन है यह डिफाइन्ड करना है और इससे परपज सर्व हो जाता है। डेफिनेशन में आ जायगा एक्चुअली चालक का कि कौन है और सरटन डेट तक रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको लाइसेंस मिल जायगा।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो मैं समझता हूँ कि अनर्थ हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : कैसे अनर्थ हो जायगा ?

श्री **भैरोंसिंह** : मैं बताता हूं आपको। आपके जयपुर शहर में इस समय 947 रिक्शा लाइसेंस लिए हुए हैं और आज जो जयपुर शहर में स्थिति है उसके अनुसार पांच हजार रिक्शे यहां पर चल रहे हैं। 947 और पांच हजार में तो बड़ा डिफरेंस है। आपके कानून के अनुसार तो 947 ही रिक्शा रिन्यू किये जायेंगे बाकी को नए लाइसेंस ग्रांट नहीं किए जायेंगे। इसको ऊपर जो चार हजार रिक्शे हैं उनको किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यह मंशा आपकी भी नहीं है, लेकिन कानून की इबारत के अनुसार ऐसा नहीं हो सकेगा जब तक कि यहां अमेंडमेंट नहीं करते हैं। आप एक्चुअल रिक्शाओं का नम्बर भी रिजिड करना चाहते हैं? जयपुर शहर में कितने रिक्शा चल सकेंगे यह भी निर्धारित करना होगा। जो एक्जीस्टिंग हैं लेकिन किसी प्रकार के लाइसेंस होलडर नहीं हैं। उनको किस किस प्रकार से अकोमोडेट करना चाहेंगे। इस क्लाज में इस प्रकार का प्रोविजन रख कर चलें कि रिक्शा पूलर्स के अतिरिक्त अगर कोई होंगे तो उनको नए रिक्शे के लाईसेंस नहीं मिलेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ज्यादा फर्क नहीं मालुम पड़ता है। इस सिद्धान्त पर अपन सब एग्री हैं कि पूलर्स को लाइसेंस रिन्यू किया जाना चाहिये। यही गवर्नमेंट का मत है और यही आपका भी मत है। ओनर को भी लाइसेंस मिल जायगा अगर वह ओनर रिक्शा पूलर है। इसमें कोई फर्क नहीं है। अब पूलर कौन कौन है ? एक पूलर तो वह है जिसका लाईसेंस रिकार्डेड है और वह भी पूलर हो सकता है जो एक्चुअली चलाता तो है लेकिन रिकार्डेड नहीं है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली चलाते तो हैं रिक्शा काफी लम्बे अर्से से लेकिन रिकार्डेड नहीं हैं, उनको अकोमोडेट कर लिया जायगा, उनको भी लाइसेंस मिल जायगा। अब किस तरह से अचिव करना है इस पर्पज को, उसके लिए मैं यह ठीक समझता हूं कि एक तो रिक्शा पूलर को डिफाइन कर दिया जाय कि जो एक्चुअली चलाता है और अगर आप मुनासिब समझें तो यह एड कर सकते हैं कि वह और कोई धंधा नहीं करता है वह फलां तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा ले।

श्री **भैरोंसिंह** : फिर भी नहीं आया मान लीजिए मैं एक रिक्शा पूलर हूं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है और पिछले पांच साल से रिक्शा चला

(श्री भैरोंसिह)

रहा हूं लेकिन मेरे पास अभी तक अपना रिक्शा नहीं हैं। अब आज में नया लाइसेंस लेना चाहता हूं....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया कि एक तारीख मुकर्रर कर देंगे कि जो रिक्शा पूलर्स की परिभाषा में आते है उनको लाईसेंस मिल जायगा। अब पूलर्स के खाते में नाम तो लिखना ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिह : एक बात स्पष्ट कर दिजिये ! इस कानून के बनने के बाद जयपुर शहर के लिए कितने लाइसेंस देना चाहते हैं और नए लाइसेंस देना चाहते हैं या नहीं। इस समय जयपुर शहर में 947 लाइसेंस रजिस्टर्ड एक्चुअली एवरेज पांच हजार के रिक्शा चल रहे हैं अब आप समझते हैं कि जयपुर में पांच हजार रिक्शायें होनी चाहिये तो बाकी चार हजार रिक्शाओं के बारे में क्या करना चाहेंगे। उस स्थिति के अन्दर जो रिक्शा पूलर्स हैं उनको लाइसेंस देना पड़ेगा मैं इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। संख्या निर्धारित करना तो मुश्किल है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वह चलाता है और म्युनिसिपैलिटि से लाइसेंस मिला हुआ नहीं है उनको कवर करने के लिए ..

श्री भैरोंसिह : इससे पर्पज सर्व नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : कैसे नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिह : "(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may——

(a) prescribe the date on and after which rikshaws shall not be plied, driven or used in streets and public places"

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने प्रेस्क्राइब किया है। फिर

"(b) provided that no new licences shall be granted to rickshaw pullers."

अब अगर यह स्थिति रहती है तो आज के बाद किसी को रिक्शा या रिक्शा लाइसेंस नहीं मिलेगा। उस स्थिति में चार हजार रिक्शा पूलर्स की क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाजा लगाइए।

श्री रामकिशोर व्यास : चार हजार में से जो एक्चुअली चलाते हैं उनको लाइसेन्स मिल जाएगा और बाकी को नहीं मिलेगा। चार हजार में से जो एक्चुअली चलाते हैं उनको मिल जाएगा। ...

श्री भैरोंसिह : इसमें कोई पाबन्दी तो नहीं लगायेंगे जब रूल्स बनायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इस परपज को अचिव करने के लिए एक्चुअली रिक्शा पूलर को डिफाइन कर देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : कोई भी रिक्शा चालक हो जाएगा, इसमें भी कोई आर्ट है क्या ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय···

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट और। गिरधारीलाल जी माफ करें। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर रखे हैं कि जयपुर शहर में नए लाइसेन्स नहीं दिए जायेंगे। उस आदेश के रहते हुए रिक्शा पूलर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कहना चाहती है। एक तरफ तो ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए और दूसरे कारण से लाइसेंस नहीं देना चाहें और दूसरी तरफ रिक्शाओं के लाइसेंस दे दें तो रिक्शा पूलर्स के सामने अजीब स्थिति हो जावेगी म्युनिसिपेलिटि वाले, पुलिस वाले उनका चालान करेंगे। इस कानून के तहत आपने किसी अथोरिटि को एम्पावर कर दिया वह चालान करेगी। तो इस स्थिति को माननीय मंत्रीजी स्पष्ट कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : एक्चुअली जो रिक्शा चलाता रहा है इस बात के प्रमाणित होने पर रजिस्टर्ड कर लेंगे और लाइसेंस दे देंगे, ओनर को नहीं देंगे। पूलर्स की एक केटेगरी तो वह है कि रिक्शा भी उनके पास है और वे रिक्शा चलाते हैं। एक केटेगरी यह भी है कि जो पूलर्स तो हैं, रिक्शा चलाते हैं लेकिन उनका खुद का रिक्शा नहीं है, औरों का चलाते हैं। अब जो एक्चुअल पूलर्स हैं और वे अपना रिक्शा खरीदते हैं, कहीं से लेते हैं तो उनके रिक्शे का लाइसेन्स दिया जावेगा, इसलिए अमेंडमेंट किया है। पहले तो "रिन्यू" था उसको अब "ग्रांटेड एण्ड रिन्यू" किया है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसे प्रमाणित कौन करेगा कि यह रिक्शा चलाता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो एफिडेविट ले लेंगे। कुछ एवीडेंस ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी आर. ए. एस. की पोस्ट है जिसके लिए झगड़ा होगा।

श्री मोहनलाल मोदी : झगड़ा कैसे नहीं होगा। सही आदमी है वह रह जायगा, दूसरे आदमी ले जायेंगे।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय, रिक्शा चलाने वाले को लाइसेन्स तो मिल गया लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह रिक्शा कैसे चलायेगा। चलाने वाले के पास पैसा नहीं होगा तो मजबूरी से वह दूसरे से रिक्शा लेगा और उसका रिक्शा उसको चलाना होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको रिक्शा खरीदने के लिए खर्चा दिया जावे। नहीं तो वह और बेकार हो जावेगा।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा संशोधन यह है :

In clause (c)—

(i) insert the words "grant and" between the words "provide for the" and the words "renewal of".

(ii) insert the words "granted or" between the words

Page No.104

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
"Rickshaw shall be" and the words" renewed only".

(iii) Omit the words "and not more than one puller's licence shall be renewed in relation to one licenced Rickshaw".

श्री मदनसिंह : रिक्शा वाले समझेंगे नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा मतलब यह है कि माननीय भैरोंसिंहजी जिसके बारे में यहां पर कह रहे थे और जैसा कि एक शुबहा यहां पर किया गया था कि जो रिक्शापुलर्स हैं वे नया रिक्शा खरीदते हैं तो उनको नया लाइसेन्स दिया जायेगा या नहीं। उसको हल करने के लिये मेरा यह आग्रह है...

Insert the words "grant and" between the words "provide for the" and the words "renewal of".

Insert the words "granted or" between the words "Rickshaw shall be" and the words "renewed only".

Omit the words "and not more than one puller's licence shall be renewed in relation to one licenced Rickshaw".

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपनी उम्र में पहली बार समझदारी का काम किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप में परिवर्तन आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे असेप्ट है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : Omit the words "and not more than one puller's licence shall be renewed in relation to one licenced rickshaw."

श्री गिरधारीलाल व्यास : तीन, चार आदमी अलग अलग रिक्शा खरीदें तो इतना अमाउन्ट उनके पास नहीं होगा। तीन आदमी एक घर में चलाने वाले हों और वे एक ही रिक्शा पर लाइसेन्स लेना चाहें तो उनको लाइसेन्स मिलना चाहिये।

दूसरा मेरा अमेन्डमेंट है क्लाज डी में। In clause (d), insert the words "granted or" between the words "may be" and the word "renewed".

यह इसका कान्सीक्यूशनल है। इसलिए निवेदन है कि इसको भी मन्जूर कर लिया जाये।

दूसरा मेरा निवेदन है क्लाज जी— In cluase (g), insert the words "grant and" between the words "terms of the" and the words "renewal".

उनके लिए एक नाम रख दिया जाय कि किस प्रकार के आदमी को रिक्शा का

Page No.105

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
लाइसेन्स दिया जायेगा और जो मन्शा हमारी है कि जो पुलर हो उसी को लाइसेन्स मिले तो यह इससे पूरा हो जायेगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : उनका टेस्ट लिया जाये। उनका फिजीकल टेस्ट लिया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एच में भी एक संशोधन दिया है। In clause (h), insert the words "granted or" between the words "to be" and the word "renewed."
यह लाइसेन्स ग्रान्ट करने के लिये रिन्युअल करने के लिये जो फीस है वह आपने लिखा था। इससे भी बाकी लोगों को सहूलियत होगी।

एक संशोधन है (आई) In clause (i) insert the words "grant or" between the words "conditions for" and the words "renewal of."
ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो इस प्रकार के मेरे संसोधन हैं। मैं आशा करता हूं सरकार उनको स्वीकार करेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : स्वीकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की जो धारा 297 है वह धारा 297, जिसमें 297-ए आप जोड़ना चाहते हैं, वह धारा है पावर आफ गवर्नमेन्ट ··· to make rules and orders

यह एक्ट के अन्दर सबसटेन्टिव प्राविजन है, उसके तहत में आप रूलिंग मेकिंग पावर लेना चाहते हैं, 297–ए में रिक्शा के बारे में। आपको पावर नहीं है वह 297–ए में लेना चाहते हैं जिससे रेगुलेशन बन सके। मैं जानना चाहता हूं कि एक्ट में सब्सटेन्टिव पावर गवर्नमेन्ट को नहीं है। रिक्शा का लाइसेन्स ग्रान्ट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिये तो फिर रूल मेकिंग पावर अनेबलिंग पावर है। कोई एक सब्सटेन्टिव पावर एक्ट में बनी हुई और उसके तहत में आपने कोई नियम बनाये और बनाकर आपने यह निर्धारित कर दिया कि इस तरह से यह चीज होगी। मगर सब्स्टेन्टिव प्राविजन चाहिये। यहां पर आपने पावर लिया है टु मेक regulations. For what ? To regulate the plying of rickshaws.

रिक्शा कैसे चले और क्या क्या होगा? लेकिन रिक्शा चलाने के मामले में लाइसेन्स लेना एक्ट में कहां लिखा हुआ है? लाइसेन्स ग्रान्ट किया जा सकता है रिक्शा पुलर्स को परन्तु लाइसेन्स का जिक्र कहां एक्ट में लिखा हुआ है और आपने रू. मेकिंग पावर ले ली और यह कर दिया तो रिक्शा आउनर इस बिना पर इसको चेलेन्ज करेंगे। एक्ट में इसका प्रोविजन नहीं है। बिना प्रोविजन एक्ट में किया है तो यह एक गम्भीर मसला है और कहीं ऐसा न हो कि हमारे करे कराये पर पानी फिर जाये। जो म्युनिसिपेलिटी एक्ट है उसके अन्दर कहां प्राविजन है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी रेगुलेशन····

श्री रामकिशोर व्यास : 297 ए में जो है उसमें खुद में प्रोवीजन मोजूद है— Notwithstanding anything con-

(श्री रामकिशोर व्यास)

tained in section 297 or any other provision of this Act or any other law for the time being in force, the State Government may, for the purpose of preservation of human health or the safety or convenience of the public in public places and streets or the amelioration of rickshaw pullers, by regulations provide…"

यह ऊपर जो प्रिन्सीपल दिया है उसकी पूर्ति के लिए वह कर सकते हैं। इसी सेक्शन में आ गया। 297 ए के अन्दर वह परपज आ गया है। उसमें रेग्युलेट किया है। वह पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी रेग्युलेट करने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पावर किन बातों पर होगी / 297-A simply gives the power to State Government to make regulations.

श्री रामकिशोर व्यास : Not only that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके हैडिंग में इसको इस प्रकार से लिख दें।

श्री रामकिशोर व्यास : To regulate on those points which have been mentioned in the section.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मानने वाले थोड़े ही हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं आपकी बात जरूर मानते हैं क्योंकि आप रिक्शा वालों के····

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : वह मैंने वापस ले लिया है।

श्री सभापति : वापिस ले लिया।

श्री भैरोंसिंह : खण्ड 2(d) में एक संशोधन रह गया है मेरा आखरी। इसमें "any officer or authority" लिखा है वह मैं समझता हूं "Municipal Council/Board" रहना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी ऐसी राय है कि "authority" वर्ड जो है It covers Municipal Board.

श्री भैरोंसिंह : वह कवर तो करता है म्युनिसपैलिटी को आथोरिटी मानकर आप चलते हैं तो मेरे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई दूसरी आथोरिटी प्रेसक्राइब करना चाहते हैं क्योंकि आजकल नगरपालिका में क्यूअल बोडीज····

श्री रामकिशोर व्यास : म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कौन्सिल है।

श्री भैरोंसिंह : तो ठीक है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) एज एमेंडेड स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह : डेफिनिशन वाला।

श्री रामकिशोर व्यास : The existing explanation at the end of Section 297-A proposed to be inserted by clause (2) of the Bill shall be numbered as Explanation No. 1 thereof and after the explanation No. 1 so numbered the following explanation shall be added, namely:

"For the purpose of clause (c) of sub-section(2), the expression "puller" shall mean a person who actually plies rickshaw and holds a rickshaw licence on 30th November, 1971."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ा डिफरैन्स है। "who actually plies the rickshaw and holds a licence" on ...

श्री रामकिशोर व्यास : ओन 30 नवम्बर, 1971.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाइसेन्स उसका ही रिन्यू होगा जो कि 30 नवम्बर, 1971 तक लाइसेंन्स वाला हो और उसके बाद वाले का नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें आप देख लें कि म्युनिसिपैलिटीज को रिक्शा पुलर्स को लाइसेंस देने या रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी इन्फर्मेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि यह आपने एक्ट में प्रोवाइड कर दिया हैं वर्ना यह रूल्स में रखते तो ठीक होता। इस कारण से 30 नवम्बर के बाद उनको नहीं दे पायेंगे। रूल्स में तो गुन्जायश रहती है और एक्ट में आ जाने पर दिक्कत होगी।

श्री भैरोंसिंह : 31 नवम्बर आर लेटर।

श्री रामकिशोर व्यास : वह नहीं कर पायेंगे। उसमें दिक्कत हो जायगी। वह नोटिफिकेशन कल ही इश्यू कर सकते हैं लेकिन यह डिफिकल्टी आयेगी। उसके बाद में एक्चुअल रिक्शा पुलर आयेगा तो उसका नहीं कर पायेंगे। यह प्राब्लम आयेगी इसलिए रूल्स में प्रोवाइड कर दें।

श्री भैरोंसिंह : 31 दिसम्बर कर दिया जाय। फिर रह जाय तो रह जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स में कर सकते हैं। आपने कह दिया देट परपज विल बी केरिड आउट।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जाने दें। छोड़ दें, रूल्स में कर दें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कर दें 'रिक्शा पुलर' के डेफिनिशन में कि हूं "एक्चुअली प्लाइज दी रिक्शा"। इतनी बात कर दें अमेंडमेंट।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो लिखा ही है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (1) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (1) स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Without amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक एज एमेण्डेड स्वीकार किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : एक्स्प्लेनेशन एड होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्स्प्लेनेशन कहां एड किया है।

श्री भैरोंसिंह : "एक्चुअल रिक्शा पुलर" का इसमें कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर एक बार रखवा दें।

श्री रामकिशोर व्यास : एक्स्प्लेनेशन इतना जोड़ दिया जाय-

"For the purpose of clause (c) of sub-section (2), the expression 'puller' shall mean a person who actually plies rickshaw and holds a rickshaw licence on 30th November 1971."

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : कहां पर करेंगे, कौन से सैक्शन में ?

श्री भैरोंसिंह : एक्स्प्लेनेशन नं. 2 इन सब-सैक्शन (3) ग्राफ क्लाज· · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लाज ?

श्री भैरोंसिंह : सैक्शन (3) का एक्स्प्लेनेशन (1) तो यह है और दूसरा हो जायगा एक्स्प्लेनेशन नं. 2।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा क्लाज है ?

श्री भैरोंसिंह : क्लाज (3) में यह एक्स्प्लेनेशन नं. (2) है-"who actually plies rickshaw."

श्री रामानन्द अग्रवाल : "and earns his liveli hood."

श्री सभापति : एज एमेण्डेड में सारा आ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "and earns his livelihood from this."

श्री रामकिशोर व्यास : "For the purpose of clause (c) of sub-section (2), the expression 'puller' shall mean a person who actually plies rickshaw and holds a rickshaw licence on 30th November, 1971."

श्री भैरोंसिंह : बस इतना ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा वह जरूर बढ़ाइये, वर्ना खुला रह जायगा रास्ता।

श्री रामकिशोर व्यास : Provided House accepts it. आपका (श्री रामानन्द अग्रवाल) कहना है तो ठीक।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "and who earns his livelihood mainly by rickshaw pulling."

श्री रामकिशोर व्यास : अगर हाउस का यह सेन्स हो तो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे असलियत सामने आ जायेगी । भैरोंसिंह जी पास कराना चाहते हैं वह मिडिल क्लास वालों के लिए कराना चाहते हैं । इससे असलियत सामने आ जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : इससे कई समस्याएं आयेंगी ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह जरूरी है ।

श्री भैरोंसिंह : लिवलीहुड का इसमें रखेंगे तो इसके पहले टेनेन्सी एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा डेफिनेशन में कि लैण्डलेस टैनेन्ट वही होगा जो कि एक्चुअली खेती करता हो, तो पता लगेगा । जसराज जी बड़े जोर से कह रहे हैं । रिक्शा पुलर्स के लिए सब चिल्लाते हैं ।

श्री शंकरलाल : हम भी यही चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिह : आप जो कह रहे हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जयपुर में रिक्शा पुलर्स को देखते हैं तो वहां पर 90 प्रतिशत लोग गांवों के हैं । जिस समय बरसात होगी और खेती होगी तो गांवों को चले जायेंगे, और खेती काटने के बाद जयपुर, जोधपुर में चले आयेंगे रिक्शा चलाने के लिए ।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : रिक्शा वाले भी यही कहेंगे कि यही होना चाहिए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ा सा और संशोधन आ रहा है ।

(विराम)

(श्री रामानन्द अग्रवाल से) आप विथड्रा करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am pressing it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर लो साहब जब तक आपका कोलेबोरेशन है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके हुकुम को तामील भी करते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इस अमेंडमेन्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि किस कोर्ट आफ लॉ से प्रूफ लायेगा कि उसकी लिवलीहुड का वही साधन है । आधा घण्टा कोई चलाता है तो चलाने दें । एक्चुअली जो ड्राइव करता है उसको मिले । लिवलीहुड का प्रश्न बेकार उठा रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं करेंगे तो वे सब के सब उनको खा जायेंगे ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : लिवलीहुड तो उनकी है जो रिक्शों के मालिक हैं । आप चाहते हैं कि उनके हो जायं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके लिए तो आप चाह रहे हैं। मेरे एमेंडमेन्ट से उनके नहीं होंगे।

श्री मदनसिंह : लिवलीहुड तो सेठों की चल रही है।

श्री भैरोंसिंह: मंत्री महोदय, इसमें प्राब्लम आयेंगे। मैं सिद्धान्त के विरोध में नहीं हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाय या नहीं रखी जाय, लेकिन प्रयोग में दो बातों की डिफिकल्टी आयेगी। एक तो इसमें लिवलीहुड का डेफिनिशन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : और इनेक्टमेंट में है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखना पड़ेगा कि लिवलीहुड क्या है। रिक्शा पुलर्स को हैल्थ ग्राउण्ड पर धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। आपकी मन्शा यह है कि जो रिक्शा पुलर है उसकी आयु 60 वर्ष की हो लेकिन रामानन्दजी की मन्शा यह है कि वह 40 वर्ष में ही खत्म हो जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री दांता, आप अभी कुछ कह रहे थे ?

श्री मदनसिंह : मैं कह रहा था कि लिवलीहुड आजायेगी तो वह आगे जाकर मालिक हो जायेगा। इसलिए यह खतरनाक शब्द है। मैं रामानन्द जी से निवेदन करूंगा कि वह यह नहीं रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ने एक्सप्लेन किया है 'पुलर' का ?

श्री शंकरलाल : एक्सप्लेनेशन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Plying' does not mean actual driving.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका मतलब यही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो कह रहा हूं।

श्री जसराज : यह गलत शब्द है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं। मैं फालो करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है – I am owner of a bus, it means I am plying the bus even though. I may not be actually driving it.

श्री शंकरलाल : 'फिजिकली' और एड कर दिया जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : Plying के बजाय ड्राइविंग कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "who personally drives the rickshaws."

श्री मदनसिंह : 'Puller's shall mean a person who himself drives the rickshaw.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलर कर दिया जाये।

श्री शंकरलाल : फिजिकली ठीक रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : "and who earns his livelihood by it."

Page No.111

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Now you withdraw your amendment.

श्री रामकिशोर व्यास : वह सब भेज चुके हैं पहले।

अब आप दूसरा संशोधन ले लीजिये। (श्री सभापति से)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

एज अमेण्डेड स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल ठीक है। ऐसा है–I move that clause 2 be re-opened.

यह मोशन रख दिया जायें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को रीओपेन किया जाये?

(स्वीकृत)

क्लाज 2 रीओपेन किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको डिलीट किया जाये। इसको डिलीट किया उसके बाद लिया जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी रोक नहीं है। The existing explanation at the end of section 297-A proposed to be inserted by clause 2 of the Bill shall be numbered as Explanation No. 1 thereof, and after Explanation No. 1 so numbered, the following explanation shall be added, namely:

"(2) For the purpose of clause (c) of sub-section (2), the expression 'puller' shall mean a person who earns his livelihood mainly by personally driving a rickshaw."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज 2 एज अमेण्डेड स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लाज 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाये?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इसको पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 3 बजकर 58 मिनट पर कल दिनांक 11-11-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 2 की सूची)

सूची 'अ'

जिन रकबों की फसलों की श्रीच के पानी से कुप्रभाव हुआ था उसका विवरण निम्न प्रकार है

		बीघा	बिस्वा
1–	गेहूँ	62	9
2–	चना	12	5
3–	धनिया	3	0
4–	आलू	22	9
5–	सब्जी	0	15
6–	मसूर	5	10
		106	8

परिशिष्ट 2

(ता.प्र.सं. 6 की सूची)

103 CAPITAL ACCOUNT ORIGINAL WORKS COMMUNICATION.

PALI DISTT.

Expenditure incurred through contractor Shri Purkha Ram:

1.	First Running Bill	31-3-69	Rs.	955.00
2.	2nd Running Bill	9-3-70	Rs.	44204.00
3.	III Running Bill	31-3-70	Rs.	30275.00
4.	IV Final Bill	31-7-71	Rs.	3611.00
			Rs.	79045.00

Expenditure incurred through Deptt. Agency.—

1.	Year 1968-69	Rs.	40678.67
2.	Year 1969-70 (–)	Rs.	349.34
3.	Year 1970-71	Rs.	6134.00
4.	Year 1971-72	Rs.	33898.00

64-FAMINE RELIEF WORKS.

Expenditure incurred through contractor Shri Purkha Ram:

1.	Ist Running Bill	9-3-70	Rs.	35561.00
2.	2nd Running Bill	27-7-70	Rs.	23054.00
3.	3rd Final Bill	9/70	Rs.	7635.00
			Rs.	66250.00

Expenditure incurred through Departmentally

4/69 to 3/70	Rs.	4,48,228.57
4/70 to 3/71	Rs.	4,12,619.29
	Rs.	8,60,847.86

Works done departmentally Rs. 41,000

S.No.	Name of contractor	Year	Amount of contract	Work done	Amount	Month of payment	Departmental
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Purkharam Gehlot	70-71	20,484/-	24 to 30th	1,700.00	March 71	..
2.	Jai Singh c/o Shiv Bux	70-71	1,230/-	..	383.00	March 71	..
3.	-do-	70-71	2,475.00	..	2,465.00	March 71	..
4.	Kasavram Gehlot	70-71	2,475/-	..	1,946.00	March 71	..
5.	-do-	70-71	1,680/-	..	1,680.00	March 71	..
6.	Banta Singh (fire wood)	70-71	Rate contract	..	2,250.00	March 71	..
7.	Sanwar Lal Bhati	70-71	2,024/-	..	121.00	March 71	..
8.	-do-	70-71	2,475/-	..	1,880.00	March 71	..
9.	-do-	70-71	2,475/-	..	2,10.00	March 71	—
10.	-do-	70-71	2,404/-	..	2,343.00	March 71	24,774.00
11.						April 71	3,154.00
12.						May 71	914.00
13.						June 71	6,156.00
14.						July 71	1,948.00
15.						Aug., 71	9,429.00
16.						Sept., 71	416.00
17.					7,151.00	Oct., 71	
					25,065.00		45,871.00

परिशिष्ट 3

(अ. प्र. सं. 4 की सूची)

अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों की राजकीय महाविद्यालय टोंक

अनुसूचित जन जाति

1.	जगदीशलाल मीना	प्रथम वर्ष कला
2.	जगदीशनारायण छोलक	,,
3.	जगदीशनारायण मीना	,,
4.	मूलचन्द मीना	,,
5.	राजेन्द्रकुमार	,,
6.	बद्रीलाल मीना	,,
7.	लड्डूलाल	,,
8.	रामबिलास मीना	,,
9.	रामचन्द्र मीना	,,
10.	रामदयाल मीना	,,
11.	शंकरलाल मीना	,,
12.	श्रवणलाल मीना	,,
13.	सुवालाल मीना	,,
14.	बद्रीलाल मीना	द्वि. वर्ष कला
15.	हरिभजन मीना	,,
16.	कन्हैयालाल मीना	,,
17.	मोतीलाल मीना	,,
18.	गुलाबचन्द मीना	प्र. व. विज्ञान
19.	हरिनारायण मीना	,,
20.	जयराम मीना	द्वि. व. विज्ञान
21.	किशनलाल मीना	,,
22.	लड्डूलाल मीना	तृ. व. विज्ञान
23.	लक्ष्मीनारायण मीना	प्र. व. विज्ञान
24.	केदारमल मीना	तृ. व. विज्ञान

अनुसूचित जाति

1.	बन्नालाल	प्र. व. कला
2.	गोविन्दराम बैरवा	,,

3.	जगन्नाथप्रसाद बैरवा	प्र. व. कला
4.	केसरलाल महावर	,,
5.	लालचन्द कंवरिया	,,
6.	रामकिशन महावर	,,
7.	रामनिवास	,,
8	हरदयाल	,
9.	हीरालाल रेगर	,,
10.	जगदीशनारायण बैरवा	,,
11.	जगदीशप्रसाद खटीक	,,
12.	कन्हैयालाल रैगर	,,
13.	मांगीलाल रैगर	,,
14.	मोहनलाल लोदी	,,
15.	प्रभुदयाल बैरवा	,,
16.	प्रहलाददास आजाद	,,
17.	राधेश्याम	,,
18.	रामनिवास पुत्र घाहीराम	,,
19.	अजयकुमार सालोदिया	,,
20.	अर्जुनलाल वर्मा	द्वि. व. कला
21.	चन्द्रप्रकाश	,,
22.	चिरंजीलाल	,,
23.	कु. गीतारानी	,,
24.	गोपीलाल	,,
25.	हरलाल बैरवा	,,
26.	हरिनारायण गंगोत्र	,,
27.	कजोडमल बंशीलाल	,,
28.	कन्हैयालाल किराड	,,
29.	लक्ष्मीनारायण बैरवा	,,
30	मदनलाल बैरवा	,,
31.	मोहनलाल बैरवा पुत्र घासीलाल बैरवा	,,
32.	मोहनलाल बैरवा पुत्र घासीराम	,,
33.	नन्दकिशोर बैरवा	,,
34.	प्रहलाददास	,,
35.	रामेश्वर प्रसाद बैरवा	,,
36.	रामकरण पुत्र मोतीलाल बैरवा	,,
37.	रामकरण पुत्र रामदेव बैरवा	,,

Page No.117

38.	रामसिंह	द्वि. व कला
39.	रतनबाबू चौहान	,,
40.	वृद्धिप्रकाश वकला	,,
41.	छीतरलाल चावड़ा	तृतीय व. कला
42.	हीमचन्द साकरवाल	,,
43.	जगदीशनारायण पुत्र कल्याण	,,
44.	जगदीशनारायण पुत्र रामपाल	,,
45.	केसरलाल बैरवा	,,
46.	प्रितमराय	,,
47.	गिरिराज किशोर वर्मा	,,
48.	किशनलाल बैरवा	प्र. व. विज्ञान
49.	मदन लाल कोली	,,
50.	मूलचन्द	,,
51.	नन्द किशोर पत्तरिया	,,
52.	रामगोपाल वर्मा	,,
53.	रामजस कुमार आजाद	,,
54.	हरि प्रसाद	,,
55.	प्रदीप कुमार सालोदिया	,,
56.	भागीरथ लाल वर्मा	द्वि. व. विज्ञान
57.	कजोडमल गंगोत्री	,,
58.	लीलाधर	,,
59.	रामरतन बोहरा	,,
60.	बृज मोहन बैरवा	तृ. व. विज्ञान
61.	चन्दनमल	,,
62.	राम निवास बैरवा	,,
63.	भागचन्द मेहर	प्र. व. वाणिज्य
64.	गिरिराज प्रसाद महावर	,,
65.	रमेश चन्द्र साकरवाल	,,
66.	नानक राम कगार	,,

शुद्धि-पत्र

(बुधवार दिनांक 10 नवम्बर, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1	अंतिम से	2	al read	al ready
7	”	10	केसथ	के साथ
9	”	13	बठने	बंटने
14		19	नियुक्त	नियुक्ति
19	अन्तिम से	11	आश्वशन	आश्वासन
23		9	कूर	दूर
24	अन्तिम से	10	विधालय	विद्यालय
25		3	शिकामत	शिकायत
26	अन्तिम से	4	(1)	(3)
29	”	4	लिपे	लिये
49	”	7	प्रभावति	प्रभावित
65		1	अदाय	अनुदान
83		6	विलती	मिलती
95	अन्तिम से	3	की	को
105		14	अन्दर लगाये	अन्दर आरोप लगाये
131	अन्तिम से	4	का	की
136		7	स्थान	स्थगन प्रस्ताव
138		13	सदन	सदन का
145		6	को	का
146		1	डिस्क्काली फिकेशन	डिस्क्वालीफिकेशन
”		18	निवदे	निवेदन
”	अन्तिम से	12	बार ब	बार बार
148		1	श्री सतीशचन्म	श्री सतीशचन्द्र
”	अन्तिम से	5	opporlunity	Opportunity
149		9	cause.	Cause.
”		16	State. If he is	State, if he is
”		21	Legislat r f	Legislature of
”		22	becme	become
150		4	श्री सतीशचन्द्र अवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
”		16	disqualiication	disqualification
”		19	rcerence	reference
”		21	Govenar	Governor
152	अन्तिम से	2	by no othre	by no other
155	”	1	योग्य	अयोग्य
165		10	कासिल	कैसिल
”		10	चेंअरन	चेयरमैन
”		18	let hlm	leth

1	2	3	4
168	17	बातचित	बातचीत
,,	अन्तिम से 2	श्री देवीदत्त गाािया	श्री देवीदत्त गाडिया
172	8	मजवूरी	मजबूरी
174	17	नहीं	
184	अन्तिम से 14	की	का
194	6	कन्यूर्जमंग	कन्जूमिंग
199	अन्तिम से 10	on	no
,,	,, 2	पाबन्दी दी	पाबन्दी लगादी
201	4	डिफाइन्ड	डिफाइन
,,	अन्तिम से 12	इसको	इसके
208	,, 2	नाम	नाम
209	अन्तिम से 13	संसोघन	संशोधन
,,	,, 1	रलिंग	रूल
210	,, 13	रु	रूल
211	,, 16	पावरस्नेट	पावरस्टेट
213	,, 2	यहो	यही